खण्ड–500, अंक–3
बुधवार 27 वैशाख, शक संवत् 1939
(17 मई, 2017 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2017)

(खण्ड 500 में 10 अंक है)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2017

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये।

Makeup 169 Vidhan Sabha—Mc. 7

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य . .	1–6
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से सम्बन्धित नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग (जारी) . .	7
प्रश्नोत्तर . .	7–54
विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या–1 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न . .	54
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से सम्बन्धित नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग . .	55–61
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें (जारी) . .	61
श्री राज्यपाल के अभिभाषण में दिनांक 31–12–2016 तक किसानों द्वारा लिये गये एक लाख तक के फसली ऋण को माफ किये जाने एवं सरकार द्वारा दिनांक 04–04–2017 को लिये गये ऋण की अधिकतम सीमा 1 लाख तक का ऋण माफ किये जाने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी) . .	61–62
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें . .	62–63
जनपद लखनऊ स्थित गोमती नदी में पेयजल संकट के निवारण हेतु अतिरिक्त पानी बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना . .	63
जनपद आगरा में वन गायों (नील गायों) से किसानों की फसलों की सुरक्षा हेतु वन की भूमि की बाउण्ड्रीवाल कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना . .	63–64
संत कबीरदास की जन्म स्थली लहरतारा, वाराणसी में सर्विस रोड के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना . .	64
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेवता में शारदा व घाघरा नदी के कटान से बचाव हेतु तटबन्ध निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना . .	64
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के प्रमुख सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना . .	65
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र आजमगढ़ सदर में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना . .	65
जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र के दातागंज में राजकीय महाविद्यालय न होने से उच्च शिक्षा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में	65–66

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ब्लाक सढियांव के अन्तर्गत नव निर्मित बस डिपो को संचालित करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना . .	66
जनपद अम्बेडकर नगर के परगना व तहसील अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम गोहन्ना की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना . .	66
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कृष्णा तथा हिण्डन नदी में हो रहे प्रदूषण के निराकरण हेतु सोलर पम्प तथा आर0ओ0 लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना . .	66–67
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड रोहनिया के अन्तर्गत दूषित जल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना . .	67
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना . .	67–68
जनपद श्रावस्ती में राप्ती भाकलापुर से कोलाभार बांध बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना . .	68
जनपद गाजीपुर के कतिपय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हो रही कटान को रोके जाने हेतु समुचित प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना . .	68
जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र पटियाली अन्तर्गत थाना दरियावगंज में सौ बेड का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना . .	69
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें . .	69
शराबबन्दी से सम्बन्धित महिलाओं द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के फलस्वरूप उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए लगभग पूरे प्रदेश में 433 महिलाओं के जेल में बन्द होने एवं उनके विरुद्ध 161 अभियोग पंजीकृत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न . .	69–73
श्री राज्यपाल के अभिभाषण में दिनांक 31–12–2016 तक किसानों द्वारा लिये गये एक लाख तक के फसली ऋण को माफ किये जाने एवं सरकार द्वारा दिनांक 04–04–2017 को लिये गये ऋण की अधिकतम सीमा 1 लाख तक का ऋण माफ किये जाने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न . .	73–74

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) . . 74

पश्चिम उत्तर प्रदेश स्थित जनपद सहारनपुर में ठमोली नदी पर तटबन्ध एवं पिचिंग कार्य कराये जाने विषयक श्री शिव कुमार राणा आदि

X

विषय **पृष्ठ–संख्या**

जनपद सहारनपुर नगर की प्राकृतिक नदी, पांवधोई नदी पर कतिपय पुलों का निर्माण/चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री कृष्ण कुमार गुप्ता आदि निवासीगण सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . . 74

सहारनपुर नगर के अन्तर्गत अमरद्वीप कालोनी एवं जेल चुंगी, मौज्जमपुरा, एस0एस0पी0 निवास के पीछे जनता रोड के ऊपर से गुजरने वाली 66 के0वी0ए0 की हाईटेंशन लाइन को हटाये जाने विषयक श्री सुशील सोनकर आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . . 75

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) . . 75

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2017–18 की ''लोक लेखा समिति'' ''प्राक्कलन समिति'' ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'' ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'' ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायतीराज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारण की सूचना . . 76

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2017–18 की ''लोक लेखा समिति'' ''प्राक्कलन समिति'' ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'' ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'' ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायतीराज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिए विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत). . 77

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (चर्चा जारी) . . 77–130

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें . . 130–131

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 17 मई, 2017 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थिति सदस्य–382

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री बस्ती
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री सम्भल
7. अजीत पाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
8. अतुल गर्ग, श्री गाजियाबाद
9. अदिति सिंह, सुश्री रायबरेली
10. अनिल कुमार, श्री बुलन्दशहर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
12. अनिल पाराशर, श्री अलीगढ़
13. अनिल राजभर, श्री वाराणसी
14. अनिल सिंह, श्री उन्नाव
15. अनीता, श्रीमती अम्बेडकर नगर
16. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 बुलन्दशहर
17. अनुराग सिंह, श्री मिर्जापुर
18. अनूप प्रधान, श्री अलीगढ़
19. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री प्रतापगढ़
20. अभिजीत सिंह सांगा, श्री कानपुर नगर
21. अमन मणि त्रिपाठी, श्री महाराजगंज
22. अमर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
23. अमर सिंह चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
24. अमिताभ बाजपेई, श्री कानपुर नगर
25. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री लखनऊ
26. अरविन्द गिरि, श्री खीरी
27. अरूण कुमार, डॉ0 बरेली
28. अलका राय, श्रीमती गाजीपुर
29. अवतार सिंह भडाना, श्री मुजफ्फरनगर
30. अवधेश सिंह, श्री वाराणसी
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री खीरी
32. अविनाश त्रिवेदी, श्री लखनऊ
33. अशोक कुमार राणा, श्री बिजनौर
34. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री हमीरपुर
35. असलम अली, श्री हापुड़
36. आजाद अरिमर्दन, श्री आजमगढ़
37. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री बलिया
38. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
39. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
40. आलमबदी, श्री आजमगढ़
41. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री हरदोई
42. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
43. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
44. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
45. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
46. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
47. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
48. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
49. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
50. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
51. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया

52. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
53. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
54. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
55. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
56. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
57. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
58. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
59. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
60. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
61. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
62. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
63. काली प्रसाद, श्री देवरिया
64. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
65. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
66. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
67. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
68. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
69. केसर सिंह, श्री बरेली
70. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
71. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
72. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
73. गंगा, श्री कुशीनगर
74. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
75. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
76. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
77. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
78. गौरी शंकर, श्री जालौन
79. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
80. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
81. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
82. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
83. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
84. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
85. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
86. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
87. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
88. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
89. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
90. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
91. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
92. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
93. जयमंगल, श्री महाराजगंज
94. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
95. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
96. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
97. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
98. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
99. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
100. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
101. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
102. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
103. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
104. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
105. दल बहादुर, श्री रायबरेली
106. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
107. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
108. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
109. दिनेश खटिक, श्री मेरठ
110. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
111. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
112. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
113. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
114. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
115. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
116. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
117. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
118. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया

119. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
120. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
121. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
122. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
123. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
124. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
125. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद
126. नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री इलाहाबाद
127. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
128. नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
129. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
130. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
131. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
132. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
133. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
134. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
135. निर्मला संखवार, श्रीमतीकानपुर देहात
136. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
137. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
138. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
139. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
140. नीलिमा कटियार, श्रीमतीकानपुर नगर
141. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
142. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
143. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
144. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
145. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
146. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
147. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
148. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
149. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
150. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
151. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
152. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
153. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
154. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
155. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
156. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
157. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
158. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
159. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
160. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
161. फागू चौहान, श्री मऊ
162. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
163. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
164. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
165. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
166. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
167. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
168. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
169. बावन सिंह, श्री गोण्डा
170. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
171. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
172. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
173. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
174. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
175. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
176. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
177. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
178. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
179. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
180. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
181. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
182. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
183. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
184. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
185. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
186. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद

187. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
188. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
189. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
190. महबूब अली, श्री अमरोहा
191. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
192. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
193. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
194. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
195. महेश चन्द्र, श्री कानपुर नगर
196. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
197. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
198. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
199. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
200. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
201. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
202. मुख्तार अन्सारी, श्री मऊ
203. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
204. मो0 आजम खां, श्री रामपुर
205. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
206. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
207. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
208. मौ0 फईम, श्री मुरादाबाद
209. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
210. यासर शाह, श्री बहराइच
211. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
212. योगेश धामा, श्री बागपत
213. योगेश वर्मा, श्री खीरी
214. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
215. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
216. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
217. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
218. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
219. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
220. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
221. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
222. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
223. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
224. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
225. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
226. रवि शर्मा, श्री झांसी
227. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
228. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
229. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोब
230. आर0 के वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
231. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
232. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
233. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
234. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
235. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
236. राज करन कबीर, श्री बांदा
237. राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजिया, श्री हरदोई
238. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
239. राजबाला, श्रीमती रामपुर
240. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
241. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
242. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
243. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया, श्री बदायूं
244. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
245. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
246. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
247. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
248. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
249. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं

250. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
251. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
252. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
253. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
254. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
255. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
256. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
257. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
258. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
259. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
260. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
261. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
262. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
263. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
264. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
265. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
266. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
267. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
268. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
269. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
270. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
271. लाखन सिंह, श्री औरैया
272. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
273. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
274. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
275. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
276. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
277. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
278. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
279. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
280. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
281. विजय कुमार कश्यप, श्रीमुजफ्फरनगर
282. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
283. विजय मिश्र, श्री भदोही
284. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
285. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
286. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
287. विनय शाक्य, श्री औरैया
288. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
289. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
290. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
291. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
292. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
293. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
294. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
295. वीरेन्द्र, श्री एटा
296. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
297. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
298. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
299. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
300. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
301. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
302. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
303. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
304. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
305. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
306. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
307. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
308. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
309. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
310. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
311. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
312. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
313. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
314. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
315. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
316. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
317. संगीता, श्रीमती गाजीपुर

318. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
319. संजय, श्री बुलन्दशहर
320. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
321. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
322. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
323. संजय यादव, श्री बलिया
324. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
325. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
326. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
327. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
328. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
329. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
330. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
331. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
332. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
333. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
334. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
335. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
336. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
337. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
338. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
339. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
340. सहेन्द्र सिंह रमाला, श्री बागपत
341. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
342. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
343. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
344. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
345. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
346. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
347. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
348. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
349. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
350. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
351. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
352. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
353. सुरेन्द्र, श्री बलिया
354. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
355. सुरेश कुमार, श्री शामली
356. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
357. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
358. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
359. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
360. सुरेश राही, श्री सीतापुर
361. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
362. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
363. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
364. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
365. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
366. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
367. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
368. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
369. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
370. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
371. सौरभ सिंह, श्री खीरी
372. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
373. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
374. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
375. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
376. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
377. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
378. हरीराम, श्री सोनभद्र
379. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
380. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
381. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
382. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), उप मुख्य मंत्री (डॉ0 दिनेश शर्मा), डॉ0 महेन्द्र सिंह, (ग्राम्य विकास एवं राज्य मंत्री स्वतन्त्र प्रभार), श्री स्वतंत्र देव सिंह, (परिवहन राज्य मंत्री स्वतन्त्र प्रभार) तथा श्री मोहसिन रजा (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री) भी सदन में उपस्थित थे।

[**11:00**]

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्यों ने अपना–अपना स्थान ग्रहण किया)

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से सम्बन्धित नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। 05 अप्रैल को मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नोत्तर हो जाने दीजिये, उचित रहेगा, यह आपका ही घण्टा है। उसके बाद कह लीजियेगा।

श्री लालजी वर्मा–

ठीक है, मान्यवर।

[11:01] प्रश्नोत्तर

नत्थी 'क'

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वायु प्रदूषण की रोकथाम का विवरण

''**01–श्री संजय गर्ग तथा मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं उद्यान मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)–

जी हां।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के 21 शहरों में चिन्हित 62 स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणता के अनुश्रवण का कार्य किया जाता है जिसके अन्तर्गत पार्टीकुलेट मैटर (पी0एम0–10), सल्फर डाई आक्साइड एवं नाइट्रोजन डाई आक्साइड गैस की मात्रा का मापन किया जाता है तथा प्रदेश में वायु गुणता के सतत अनुश्रवण हेतु लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एवं आगरा नगरों में सतत परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण केन्द्र स्थापित एवं संचालित हैं।

प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने हेतु वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना/संचालन एवं डीजल जनरेटर सेट्स पर नियमानुसार समुचित ऊंचाई की चिमनी की स्थापना सुनिश्चित कराई जाती है। ऐसी औद्योगिक इकाइयां जिनमें वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित/संचालित नहीं पाया जाता है, के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत

बन्दी की कार्यवाही की जाती है। उद्योगों एवं वाहनों में उपलब्धता के आधार पर स्वच्छ ईंधन (सी0एन0जी0) की आपूर्ति किये जाने के साथ–साथ शहरों में संचालित वाहनों की अधिकतम अनुमन्य आयु सीमा का निर्धारण किया जाना भी सम्मिलित है। वर्तमान में वाहनों में प्रयोग हेतु लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ एवं बरेली में सी0एन0जी0 की आपूर्ति उपलब्ध है।

वायु प्रदूषण को और कम करने हेतु पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि अवशेषों/अपशिष्टों को जलाने पर रोक लगाने हेतु अधिसूचना दिनांक 28–10–2015 लागू है, जिसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर समितियों का गठन भी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु विभिन्न विभागों यथा परिवहन, गृह, लोक निर्माण, कृषि, नगर विकास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उद्यान तथा उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि से समन्वय स्थापित करते हुए वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसमें वाहन प्रदूषण नियंत्रित किया जाना, कृषि अपशिष्ट जलाने से रोकना, कूड़ा–कचरा जलाये जाने से रोका जाना, निर्माण तथा ध्वस्तीकरण की गतिविधियों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना इत्यादि कार्यों को समावेशित किया गया है।

सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार स्तर पर नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत जो औद्योगिक इकाइयों का देखरेख करती है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो नियंत्रण इकाइयों को लगाती भी हैं, वह उसे पूरे समय, 24 घण्टे न चलाकर केवल जब प्रदूषण बोर्ड का अधिकारी आता है, उस समय या कुछ घण्टों के लिए उसका संचालन करती हैं और वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा खतरा पूरे उत्तर प्रदेश को हो रहा है। इस सम्बन्ध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी तक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कितनी औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने की कार्यवाही की गयी है ? माननीय मंत्री जी पहले इसका उत्तर दे दें।

श्री दारा सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा जो चिन्ता व्यक्त की गयी है कि इस प्रदेश को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए सरकार ने क्या–क्या उपाय किये हैं ?

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने संख्या भी पूछी है कि कहीं कोई कार्यवाही हुई है ?

श्री दारा सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो हमारी सरकार जो है, पूरे प्रदेश में चाहे जिस भी प्रकार के प्रदूषण हैं, इन सारे प्रदूषण से मुक्ति के लिए माननीय योगी जी की सरकार ने ठोस सार्थक कदम बढ़ाने का काम किया है। लेकिन माननीय सदस्य का वायु प्रदूषण से सम्बन्धित जो सवाल है कि क्या–क्या हमने कार्यवाही की है। 2015–2016 में हमने 101

वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्यवाही की है, 2016–2017 में 241 और जब से हमारी सरकार बनी तब से हमने पूरे प्रदेश में 10 इकाइयों का क्योंकि जो शंका है मा0 सदस्य की कि जो हमारे 1981 अधिनियम के अनुसार टी0एस0पी0 या जो भी हमें आवश्यक यंत्र लगाये जाने जरूरी हैं, न लगाने पर उनको हम दण्डित करने का प्राविधान करते हैं, दस ऐसे लोगों के खिलाफ हमने बन्दी के आदेश दिये हैं।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह वायु प्रदूषण का खतरा पैदा हो रहा है, विभिन्न तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों को उनसे आगाह करने के लिए जिससे कि वह उनका मैकेनिज्म एडाप्ट कर सकें। वायु प्रदूषण के कारण पैदा होने वाली बीमारियों, अस्थमा, दिल और फेफड़ों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति आगाह करते हुए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या सरकार कोई कार्यक्रम चलाने पर विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी जो सरकार कार्यक्रम चला रही है, तमाम कार्यक्रम चला रही है, एक–दो–तीन कर के बता दें।

श्री दारा सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में जागरूकता पैदा करने के लिए एम0–10 और एम0–25 के कण जो धूल में हमारे पैदा होते हैं जिससे स्वांस नली के द्वारा अस्थमा रोग के होने की सम्भावना बनी रहती है, उसको समुचित उपाय के लिए किस तरीके से वायु प्रदूषण को कम करें, चारों तरफ से जैसे मोटर व्हीकल्स हैं उनसे भी प्रदूषण पैदा होता है। जन जागरूकता के लिए हमारा विभाग पूरे तरीके से वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहा है, पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण के माध्यम से और हमारे विभाग के द्वारा जन–जागरण किया जा रहा है और यह हमारी सब की जिम्मेदारी है चूंकि इसमें 12 डिपार्टमेंट के लोग शामिल होते हैं, इस प्रदूषण से मुक्ति के लिए इसमें ट्रान्सपोर्ट, पी0डब्ल्यू0डी0 समेत सारे डिपार्टमेण्ट के लोग हैं, ये सारे डिपार्टमेण्ट के लोग अलग–अलग इस वायु प्रदूषण से मुक्ति के लिए जन–जागरण का कार्यक्रम चलाने का काम करते हैं।

श्री रितेश पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूरे देश की तीसरे नम्बर की सबसे वायु प्रदूषित सिटी है और लखनऊ अपनी राजधानी होने के कारण यहां पर एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या रहती है, जिनको तमाम बीमारियों खासतौर से फेफड़े, दिल की बीमारियां होती हैं, लखनऊ को वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार लखनऊ क्षेत्र के लिए क्या कर रही है।

श्री दारा सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ, आगरा, मेरठ ऐसे तमाम शहर खासकर के लखनऊ में जिस तरीके की सदस्य ने शंका जाहिर की है, इस प्रदूषण को कम करने के लिए हम डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम जो बोर्ड लगाया जाता है कि प्रदूषण का हमारा स्तर

क्या है, उसको मापने के बाद, उसकी रोक–थाम के लिए उपाय किया जाता है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने एलान किया है कि वाहन प्रदूषण से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जिस तरीके से अब तो कन्सेप्ट आ गया है कि वी0एस0–फोर जिससे प्रदूषण को हम कम करेंगे और पांच शहरों में खासकर के बनारस, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर में हम मेट्रो की व्यवस्था करने जा रहे हैं, मेट्रो संचालन के लिए जो किया है मा0 मुख्यमंत्री जी ने इससे हम काफी मात्रा में वायु प्रदूषण कम करने में सहायक सिद्ध होंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं।

प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जनपदों तथा संवेदनशील बंधो को चिन्हित कर तटबन्ध/कटाव निरोधक कार्यों के अनुरक्षण की कार्ययोजना का विवरण

''02–श्री अजय कुमार ''लल्लू''–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन–कौन से जनपद बाढ़ प्रभावित जनपद की श्रेणी में हैं तथा इन जनपदों में अति संवेदनशील बन्धे कौन–कौन से हैं ? क्या सरकार द्वारा अति संवेदनशील बन्धों को चिन्हित कर इन बन्धों को मानसून पूर्व दिनांक 15 जून, 2017 तक मरम्मत कार्य कराने हेतु कार्य योजना बनाकर धनराशि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार (श्रीमती स्वाती सिंह)–

प्रदेश में बाढ़ से 38 प्रभावित जनपद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराईच, बाराबंकी, गोण्डा, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बदायूं, शाहजहांपुर, कासगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, गाजीपुर, उन्नाव, बुलन्दशहर, लखनऊ, बरेली, बिजनौर, बांदा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, गौतमबुद्धनगर, फर्रूखाबाद, रामपुर, हरदोई, अलीगढ़ हैं।

इन जनपदों में 28 अतिसंवेदनशील बंधे जौरीनगला, लालपुर रूहेला, ए0पी0 तटबन्ध, अमवाखास, नरवाजोत, बलिया, बैरिया, तुर्तीपार श्रीनगर, बकुलहा संसार टोला, चिउँटीडाड़, महुला गढ़वाल, मदरहवा अशोगवा, बढ़या कोठा, गाहासाड़, कोलिया, बोक्टा बरवार, कटरिया चांदपुर, चांदपुर गौरा, गौरा सैफाबाद, कलवारी रामपुर, विक्रमजोत धुसवां, काशीपुर दुबोलिया, रामपुर मखदूमपुर, मदरहा बेहराडाडी, पाण्डेयमाझा जोगिया, अलीनगर रानीमऊ, सकरौर भिखारीपुर, एल्गिन ब्रिज चरसरी, बेल्हा बेहरौली, रेवली आदमपुर हैं।

उक्त 28 अतिसंवेदनशील तटबन्धों के अतिरिक्त महाराजगंज सिंचाई विभाग के नियन्त्रणाधीन नेपाल राष्ट्र के जनपद नवलपरासी में स्थित बी0 गैप बांध एवं नेपाल बांध भी अतिसंवदेशील बन्धे की श्रेणी में आते हैं क्योंकि बाढ़ की स्थिति में महाराजगंज, गोरखपुर एवं कुशीनगर जनपद प्रभावित होते हैं। इस प्रकार कुल 30 अदद अतिसंवेदनशील बन्धे हैं।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में बाढ़ संरचनाओं तटबंध/कटाव निरोधक कार्यों के अनुरक्षण (मरम्मत) हेतु 05 माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए लेखानुदान

के द्वारा लेखाशीर्षक 2711–बाढ़ अनुरक्षण के अन्तर्गत रु0 3025.00 लाख स्वीकृत है। उक्त धनराशि के सापेक्ष क्षेत्रीय संगठनों को रु0 1664.00 लाख की धनराशि प्राधिकृत की जा चुकी है, विवरण निम्नवत् है :

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0सं0	मुख्य अभियन्ता/संगठन का नाम	प्राधिकृत धनराशि
1	2	3
(1)	गण्डक, गोरखपुर	560.00
(2)	रामगंगा, कानपुर	30.00
(3)	पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	160.00
(4)	मध्यगंगा, अलीगढ़	20.00
(5)	शारदा सहायक	230.00
क्र0सं0	मुख्य अभियन्ता/संगठन का नाम	प्राधिकृत धनराशि
(6)	शारदा, लखनऊ	204.00
(7)	परियोजना बेतवा, झांसी	30.00
(8)	सरयू परियोजना–प्रथम, फैजाबाद	130.00
(9)	यमुना, ओखला	140.00
(10)	गंगा, मेरठ	50.00
(11)	सोन, वाराणसी	90.00
(12)	अनु0 एवं नियो0 (बाढ़), लखनऊ	20.00
	योग . .	**1664.00**

लेखानुदान की शेष धनराशि रु0 1361.00 लाख आगामी वर्षा के पूर्व/दौरान क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं की मांग एवं तटबंधों की संवदेनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए आवंटित की जायेगी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पर सवाल पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, प्रदेश के 38 प्रभावित जनपदों को संवेदनशील और 28 को अति संवेदनशील जनपद माननीय मंत्री जी के उत्तर में दर्शाया गया है और इसमें मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि चूंकि मानसून सत्र आने वाला है और 15 जून, के बाद मानसून सत्र प्रारम्भ हो जायेगा। मानसून सत्र का मतलब मानसून आ जाता है। सत्र का मतलब आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। असल में पिछले काफी समय तक ये विपक्ष में थे, अब सरकार में आये हैं तो उत्साह में हैं। मानसून 15 जून से आने वाला है और अब तक जिन अतिसंवेदशील बन्धों के बारे में मा0 मंत्री जी ने विस्तार से उनके धनराशि आवंटन की बात की। मान्यवर, यह सारा धन केवल मरम्मत के नाम पर है और ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। आप इस प्रश्न के उत्तर में देखें कि गण्डक, गोरखपुर को मात्र 5.60

करोड़ रुपया दिया गया है जबकि मान्यवर, अतिसंवेदनशील स्थिति में मैं चूंकि बाढ़ क्षेत्र से आता हूं, ए0पी0 तटबन्ध पर बिरवट, कोनवलिया लगभग 8 से 11 कि0मी0 तक आधा बन्धा कट चुका है और इसकी सूचना मैंने मा0 मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से भी दी जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ है उसके दूसरे दिन।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं, मेरा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न है। इसकी सूचना मैंने दी है। इतना ही नहीं हमारे ही क्षेत्र में नरवाजोत एक्सटेंशन ए0पी0 तटबन्ध पर।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैं बता रहा हूं, मैं पूरा प्रश्न तो बता दूं।

श्री अध्यक्ष–

आप जानकार और सजग विधायक हैं इसलिए प्रश्न कीजिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, जंगली पट्टी में कि0मी0 01 से 1.5 कि0मी0 तक, अहिरौलीदान में पिछले साल परियोजना स्वीकृत हुई, 5 करोड़ रुपये में से मात्र 10 लाख रुपया आवंटित हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि मा0 मुख्यमंत्री जी जिस क्षेत्र से आते हैं वहां गोरखपुर बोक्टा–बरवार अतिसंवेदशील स्थिति में है, सिद्धार्थनगर का अशोगवा–नगवा बन्धा अतिसंवेदनशील स्थिति में है, बस्ती का रामपुर कलवारी अतिसंवेदनशील स्थिति में है और गोण्डा का एल्गिन–चरसरी बांध पिछली बार से 700 मीटर कटा है और केवल मरम्मत के नाम पर पैसा देना पर्याप्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, आप सूचित कर रहे हैं, प्रश्न नहीं कर रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। महोदय, थोड़ा संरक्षण दिया जाये। आप ही पूरे विपक्ष के संरक्षण दाता हैं और आपका संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो हम लोग कैसे पूछेंगे। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, चूंकि बाढ़ मा0 मुख्यमंत्री जी के पास है कि ये तो सारी परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, ये परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं 28 दिसम्बर, 2016 को। स्थायी संचालन समिति में ये स्वीकृत हो चुका है। क्या मा0 मुख्यमंत्री जी इस सदन को आश्वस्त करेंगे कि मानसून से पहले उन बन्धों का निर्माण कराके लाखों लोगों के जीवन को बचाने का काम किया जायेगा। चूंकि बन्धा सुरक्षित नहीं रहेगा तो वह पूरा क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा।

श्रीमती स्वाती सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मा0 विधायक जी को यह जानकारी देना चाहती हूं कि राज्य आकस्मिकता निधि/स्टेट कांण्टिनजेंसी फण्ड के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर, गोण्डा, बलिया एवं सिद्धार्थनगर की अतिसंवेदनशील 13 परियोजनाओं के लिए वित्त विभाग से सहमति मिल गई ळें 4 और हैं, 01 नेपाल की और 03 जनपद बस्ती की परियोजनाएं भी वित्त विभाग को भेज दी गई हैं। 29 परियोजनाएं हैं जिसमें 20 करोड़ 22 लाख लेखानुदान के अन्तर्गत स्वीकृति की गई हैं। ऐसा नहीं है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की हमारी सरकार चिन्ता नहीं कर रही है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह जानकारी देना चाहती हूं कि जब हमारी सरकार बनी, मा0 मुख्यमंत्री जी ने ये इंस्ट्रक्शन्स खुले तौर पर अधिकारियों को दे दिये थे कि 15 जून के पहले–पहले बाढ़ के जो भी संवदेनशील और अतिसंवदेनशील क्षेत्र हैं उनमें रेमेडियल मेजर्स का काम पूरा हो जाना चाहिए इसलिए क्योंकि अभी पूरा बजट नहीं आया है, पूरा पैसा नहीं है लेकिन फिर भी हम लोगों ने राज्य आकस्मिकता निधि/स्टेट काण्टिनजेंसी फण्ड के अन्तर्गत हमारी 13 ऐसी परियोजनाएं हैं। और 4 अभी भेजी गयी हैं। इसमें 13 पर सहमति मिल गई है और जिस कुशीनगर, गोरखपुर क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं उसमें से 9 परियोजनाएं सिर्फ कुशीनगर की ही हैं।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जानना चाहा, उन्होंने स्पेशफिक नाम दिया कि जो बांध टूटे हुए हैं, क्या मा0 मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि 15 जून तक उन टूटे हुए बंधों का पूरी तरह से निर्माण कराकर उस क्षेत्र को, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने, रोकने का प्रयास किया जायेगा, ऐसा कर लेंगे, सुनिश्चित कर लेंगे।

श्रीमती स्वाती सिंह–

माननीय विधायक जी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया मैं इसी ओर आपका फिर से ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि 15 जून से पहले–पहले सारे जो भी रेमीडियल मेजर्स होंगे उन कार्यों को पूरा कर लेना है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अगर मा0 अध्यक्ष जी, आप प्रश्नकर्ता को संरक्षण नहीं देंगे, सदन के विपक्ष के लोगों को संरक्षण नहीं देंगे तो कैसे होगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मई चल रहा है और 15 जून में अब कोई बहुत दिन नहीं हैं और इन्होंने आश्वस्त किया है कि जून के पहले हम उस काम को करा लेंगे। महोदय, जैसा कि आप ही बता रही हैं कि वित्त में अभी वह फाइल पड़ी हुई है और वित्त से अनुमोदन होकर वह फाइल जायेगी माननीय मंत्री जी के अनुमोदन के लिए। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि एक महीने का समय तो टेण्डर में लग जाता है और टेण्डर प्रक्रिया के बाद पैसा एलॉटमेंट होगा और बॉण्ड बनते–बनते दो महीने पूरे हो जायेंगे तो कहां से तय समय–सीमा के अन्तर्गत उन बंधों को बचाने की सरकार की तरफ से कोशिश होगी। मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन बंधों को जो कि आधे–आधे कट चुके हैं। मैंने कुशीनगर ए0पी0 तटबंध के बारे में बताया और अन्य बंधों के बारे में बताया उन बंधों का निर्माण कार्य कब से शुरू करा देंगे यह मैं जानना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो समस्या उठाई उसके प्रति सरकार ने अपनी तत्परता और प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी है। माननीय मंत्री जी की तरफ से प्रश्न का उत्तर पूरा का पूरा आ चुका है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, उत्तर पूरा नहीं आया है। मेरा यह निवेदन है कि बाढ़ बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, बाढ़ बहुत महत्वपूर्ण है यह बात सही है और इसीलिए अनेक प्रश्न पूछे गये यह भी सही है।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है सरकार उससे पूरी तरह अवगत है। उत्तर प्रदेश में तटबन्धों के मरम्मत के कार्य पिछले 8–10 वर्षों से नहीं हुए हैं और यह पहली सरकार है जो 8–10 वर्षों के बाद उन तटबंधों के रैटहोल और रेनकट को बन्द कर रही है। (मेजों की थपथपाहट) मैं सभी माननीय विधायकों से इस बात को कहूंगा कि अतिसंवदेनशील और संवेदनशील बाढ़ प्रभावित जो जनपद हैं, हम लोगों ने चिहिन्त किये हैं। उन जनपदों से जितने जुड़े तटबंध हैं। उनकी मरम्मत के कार्य के आदेश दिये जा चुके हैं। इसके लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है। तटबंध तब टूटते हैं, जब उसमें रैटहोल होता है और पुराने रेनकट बन्द नहीं होते हैं, तब तटबंध टूटते हैं। उन तटबंधों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो रही है। हम लोग इसको ठेकेदारी से जोड़कर कभी न देखें। अक्सर होता है कि हम लोग धनराशि की अतिरिक्त मांग तब करते हैं जब हम लोग अपने किसी निजी ठेकेदार को लगाकर उन तठबन्धों का निर्माण कराना चाहते हैं और सबसे बड़ी समस्या तो यही से प्रारम्भ होती है। (मेजों की थपथपाहट) और इसीलिए सरकार ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि कोई भी गुण्डा कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का तत्व इन ठेकेदारी की व्यवस्था के साथ नहीं जुड़ेगा और अगर कहीं जुड़ेगा तो फिर वह सम्बन्धित अधिकारी उसके लिए पूरी तरह दण्डित होगा। (मेजों की थपथपाहट) इसलिए पहले चरण में हम लोगों ने कहा है कि तटबंधों की मरम्मत का कार्य जिसमें रैटहोल और रेनकट तत्काल प्रभाव से बंद होने चाहिए, दूसरे चरण में इस बात की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए कि जो अतिसंवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां पर तटबंध के पास से नदी का कटान हो रहा है। एल्गीन ब्रिज के बारे में जो बात आपने कही है, जो चिन्ता आपने व्यक्त की है। सम्भवतः आप वहां गये नहीं होंगे लेकिन हमारी मंत्री वहां दौरा करके आ चुकी हैं। मुझे लगता है कि केवल पढ़ी–पढ़ाई बातों को ही न बोला करें, मौके पर जाकर यदि आप देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वहां पर प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ हुई है और हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि बिगड़ी हुई व्यवस्था में भी पिछली बार से अच्छी व्यवस्था यह सरकार देगी।

(मेजों की थपथपाहट)

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

'01–श्री संजय गर्ग–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

नत्थी 'ग'

तारांकित प्रश्न

'01–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

[4थे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत तथा नवीनीकरण कराये जाने विषयक

'02–श्री अनुराग सिंह–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की जो लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कें हैं, कई वर्षों से पर्याप्त मरम्मत न होने के कारण जर्जर हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी मरम्मत शीघ्रता से कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री, लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर तथा सार्वजनिक उद्यम (श्री केशव प्रसाद मौर्य)–

राज्य सरकार में उपलब्ध विभागीय वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण तथा नव निर्माण का कार्य कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेते हुए 15 जून, 2017 तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय उपमुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं।

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पूरक प्रश्न तो पूछा जा सकता है।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, जब मूल प्रश्नकर्ता हाउस में नहीं है तो,

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, अगर आपकी रुचि है तो आप अनुपूरक कर सकते हैं इसमें कौन प्रतिबंध लगा सकता है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, रुचि अगर है तो प्रश्न खत्म होने के बाद लिए जाने की परम्परा है। आप तो इस पीठ पर बैठ चुके हैं आप ही ने कई बार यह निर्णय दिये हैं और आप कहिये तो हम आपको दिखवा भी देंगे। आपने रुचि दर्शायी है इसके बाद बोलेंगे।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अगर उत्तर न आया होता तब तो यह बात होती अगर उत्तर आ गया तो उत्तर के बाद अनुपूरक पूछने का औचित्य बनता है या तो उत्तर न आया होता। पहले ही इसको नहीं लिया जाना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल में औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह नियम भी है और परम्परा भी है। नियम यह है कि जब माननीय सदस्य कोई नहीं होते हैं तो पीठ से आदेश होता है और आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न जो है वह ले लिया जाता है। इस समय जब आपने नाम पुकारा।

श्री अनुराग सिंह–

मान्यवर, मैं उपस्थित हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, तब तो ठीक है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, एक विनम्र प्रार्थना आपसे है, जैसा कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा या तो आप माननीय सदस्य खड़े नहीं होते तो आप उत्तर देने से मना कर देते। जब माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया तो वह सदन की प्रापर्टी हो गयी और जब सदन की प्रापर्टी हो गयी तो किसी भी माननीय सदस्य को उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष–

जब बीच में व्यवस्था का प्रश्न आया था प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता और नहीं उठाया जाना चाहिए था। मैंने इधर–उधर नहीं कहा मैंने कहा कि प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि 15 जून, 2017 तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिन सड़कों का चिन्हीकरण किया गया है वह कुल कितने किलोमीटर की है और उनको गड्ढामुक्त किये जाने कितनी धनराशि की आवश्यकता है ? क्या उक्त धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि लगभग 80 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें गड्ढायुक्त पायी गयी हैं और उसके लिए पहले से ही प्रबन्ध है तथा गड्ढामुक्ति का अभियान तेजी से शुरू हो गया है। मैं सदन को यह भी जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि 15 मई शाम तक की सूचना से डे टू डे रिपोर्ट भी लेने का काम किया जा रहा है। जिसमें से 13,952 किलोमीटर यह गड्ढामुक्त का कार्य जो चल रहा था उसको विस्तार दिया जा चुका है आगे भी तेजी से कार्य चल रहा है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन को आश्वस्त किया कि 15 जून से पहले सारे गड्ढेमुक्त कर दिये जायेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बहुत सारी सड़कें हैं जो पूरी तरह टूटी पड़ी है और उन सड़कों पर केवल चिप्पी साधकर और उसको मरम्मती के नाम पर पूरी व्यवस्था बता दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो अधिकारी गलत सूचना दे रहे हैं, जो सड़क पूरी तरह टूटी है जिसको पूरा तोड़कर बनाने की जरूरत है क्या माननीय मंत्री जी उस तरह के सड़क निर्माण की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाह रहा हूं कि माननीय योगी जी की अगुवाई में जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से लगातार उत्तर प्रदेश में सड़कों को लेकर जितनी तेजी से अभियान चला है उसमें जो गड्ढे हैं वह गड्ढे क्यों हैं अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहता उनके बारे में भी बताऊंगा मैं बाद में आपको, लेकिन गड्ढामुक्त कराने का जो सरकार ने निर्णय लिया है मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो गड्ढामुक्त सड़कें चिन्हित की गयी हैं और जो पूरी तरह से ध्वस्त हैं उनको ठीक करने की अलग प्रकार से योजना उसकी बनाई गयी है और जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उस संसाधन में हम उसे करने जा रहे हैं। पहले की सरकार के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा आगे कभी कोई विषय आयेगा तो इसकी चर्चा करेंगे लेकिन इस समय हमारी सरकार का एक ही संकल्प है कि 15 जून तक जो गड्ढायुक्त सड़कें हैं उत्तर प्रदेश के अन्दर उन्हें गड्ढामुक्त बनाने की दिशा में पूरी तरह से सरकार कृत संकल्प है, उसके लिए गम्भीर है और प्रयास कर रही है।

प्रदेश में कृषि हेतु उपस्थित कुल सिंचित तथा असिंचित भूमि के सम्बन्ध में

'03–श्री नितिन अग्रवाल–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल भूमि में से कितने हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य एवं उक्त में से कितनी सिंचित है और कितनी असिंचित है ? क्या सरकार की हर खेत में पानी पहुंचाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)–

प्रदेश में कुल भूमि 240.93 लाख हेक्टेयर है। उसमें से 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। इसमें से 56.01 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के द्वारा सिंचित है। शेष भूमि 132.39 लाख हेक्टेयर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचित नहीं है।

वर्तमान में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि यह किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है इसलिए यह कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी जानते हैं। मंत्री जी का जवाब आया और इस जवाब में यह साफ दर्शाता है कि यह सरकार कितनी संवेदनशील है किसानों के लिए, यह आज मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहले तो मेरे तीन प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह कि माननीय मंत्री जी पहले यह बता दें सदन को कि राज्यपाल का अभिभाषण असत्य है या आपने जो जवाब दिया है वह असत्य है।

श्री अध्यक्ष–

राज्यपाल के अभिभाषण का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, मैं बता देता हूं कि क्या सम्बन्ध है ?

श्री अध्यक्ष–

आप जानकारी नहीं दे सकते, आप प्रश्न करिये।

श्री नितिन अग्रवाल–

हम प्रश्न ही कर रहे हैं मान्यवर, राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह लिखा हुआ है कि हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए

श्री अध्यक्ष–

आप हमारी बात सुन लें, हो सकता है कि कोई अन्तर्विरोध आपको मिल गया हो, आप प्रश्न करिये।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं कुछ संरक्षण आपका भी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

पूरा संरक्षण है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है कि सिंचाई विभाग की कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो हर खेत में पानी पहुंचाने की हो। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सिंचाई विभाग की योजना वाकई नहीं है या कोई चल रही है आपकी जानकारी में नहीं है।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश ही नहीं, सम्पूर्ण देश कृषि प्रधान देश है कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था है और कृषि प्रभावित होती है तो देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। माननीय योगी सरकार कृषि के लिए पूर्ण कटिबद्ध है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प उत्तर प्रदेश के लिए है। अभी तक पिछली सरकारों में टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था थी अब योगी सरकार में टेल तक पानी नहीं, खेत तक पानी पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे।

श्री सुखदेव राजभर–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सिंचित और असिंचित तय करने का आधार क्या है और बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया कि जो असिंचित भूमि है उनको सिंचित करने के लिए उस श्रेणी में लाने के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है। क्या उसके लिए कोई धन आवंटित या धन की व्यवस्था हुई है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में दो क्षेत्र हैं एक बुन्देलखण्ड और विन्ध्याचल। यहां पर सिंचन की व्यवस्था नहीं है वहां पर हम सिंचाई विभाग के माध्यम से स्प्रिकंलर पद्धति के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम करेंगे और राजकीय नलकूप लगाने का भी काम कर रहे हैं जो असिंचित भूमि है जहां नहरें नहीं पहुंच पायी हैं वहां पानी का प्रबन्ध करेंगे। अभी तक यह होता था कि सिंचाई विभाग द्वारा फ्लड में पानी दिया जाता था। फ्लड मायने बहाव। मटर को कितना पानी चाहिए, टमाटर को कितना पानी चाहिए, मिर्च को कितना पानी चाहिए, चने को कितना पानी चाहिए, मसूर को कितना पानी चाहिए, धान को कितना पानी चाहिए, गेहूं को कितना पानी चाहिए, गन्ने को कितना पानी चाहिए। यह अलग–अलग सिस्टम है और इस सिस्टम के माध्यम से जो जल का अपव्यय होता था उस अपव्यय को रोककर पानी को खेतों तक पहुंचाने का भी काम करेंगे और स्प्रिकंलर पद्धति अपनाकर किसानों की खेती की सिंचाई करेंगे।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है। माननीय मंत्री जी ने खुद अपने जवाब में कहा है कि 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि जो कृषि योग्य है उसमें केवल सरकार के प्रबन्धन से सिर्फ 56.01 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। बाकी 132.339 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वह किसान खुद अपने संसाधन से सिंचित कर रहा है। क्या माननीय मंत्री जी सदन को यह बतायेंगे कि कोई ऐसी योजना है कि जो किसान खुद अपने संसाधन लगाकर अपनी भूमि को सिंचित कर रहा है उसमें वह जितना भी कर्ज ले रहा है जितना भी उसका पैसा लग रहा है, क्या सरकार उस सारे पैसे को माफ करेगी यह मेरा दूसरा प्रश्न है और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि प्रदेश में जो टोटल 240.93 लाख हेक्टेयर कुल भूमि है उसमें आपने बताया कि 188.40 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। बाकी जो भूमि कृषि योग्य नहीं है जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन प्रदेशों ने अपने प्रदेश की सारी भूमि को कृषि योग्य बना दिया है तो क्या अपने यहां भी अपने प्रदेश में आपकी कोई ऐसी योजना है जिसमें आप सारी भूमि को कृषि योग्य बना दें, तो उसमें कितना व्यय होगा इन दो प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री जी दे दें।

श्री अध्यक्ष–

यह आपके जो दो प्रश्न हैं यह आपके मूल प्रश्न से संगत कम हैं, इसलिए शायद उनके पास पत्रावली में न हो। अगर माननीय मंत्री जी आपके पास सूचना हो तो बता दें।

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, सूचना तो नहीं है लेकिन आपकी अनुमति से बताना चाहता हूं कि कम से कम उधर पहुंचकर इनके संज्ञान में किसान तो आया। इधर बैठते थे तो किसान नहीं था ये किसान के बारे में सोचते ही नहीं थे, इनके एजेण्डे में किसान था ही नहीं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी आप प्रश्न का उत्तर दें।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर भी दे रहे हैं, मा0 सदस्य बैठ तो जायें।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी आप हमसे कहें, हम बैठा देंगे।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, इन्होंने चिन्ता व्यक्त की 132.39 लाख हेक्टेयर में से 56.1 हेक्टेयर भूमि सिंचाई की है बाकी सिंचाई की नहीं है। किसान अपने संसाधनों से सींचता है जो जमीन शेष बची है उसके लिए हमारी जो परियोजनाएं चल रही हैं। मा0 अध्यक्ष जी, यदि आपकी अनुमति हो तो परियोजनाओं का नाम गिना दें, इन परियोजनाओं से हम शेष भूमि सिंचित कर देंगे।

श्री नितिन अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी स्पष्ट यह उत्तर दे दें कि जो किसान अपने संसाधनों से अपनी भूमि को सिंचित कर रहा है उसका उसमें जितना भी पैसा लगा है या जितना भी पैसा उसने इस काम के लिए कर्ज लिया है, सरकार उसे माफ करेगी या नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न नहीं बनता है, यह मूल प्रश्न से संगत नहीं है, हम अगला प्रश्न ले रहे हैं।

श्री नितिन अग्रवाल–

सरकार ने घोषणा की थी कि वह किसानों का कर्ज माफ करेगी। मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब मा0 मंत्री जी ने नहीं दिया है।

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार ने पहले ही एक लाख तक का कर्ज किसानों का माफ कर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संगत नहीं है कि सरकार इस सिंचाई को माफ करेगी या नहीं करेगी।

श्री मनोज कुमार पारस–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से एक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं जैसे कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो नहरें हैं जिन्हें हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाई हैं उनमें टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की थी।

श्री अध्यक्ष–

आप सदन को इन्फार्म कर रहे हैं, प्रश्न पूछिये।

श्री मनोज कुमार पारस–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

पूरा संरक्षण है, मैंने आपको बोलने के लिए कहा है।

श्री मनोज कुमार पारस–

मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूं कि आज किसान को गन्ना बुवाई के लिए और जो धान की फसल अभी उगनी है उसके पनीर के लिए पानी की आवश्यकता है। आज नहरों में पानी नहीं है क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है, क्या वह जल्दी पानी सुनिश्चित करायेगी और कितना पानी सुनिश्चित करायेगी जिससे कि किसानों को आसानी हो सके।

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, हमने टेल तक पानी पहुंचाने की बात तो कर ही ली, हम खेतों तक पानी पहुंचायेंगे।

प्रदेश की नहरों के सुचारु रूप से रख–रखाव की काय ंयोजना

'04–श्री पारस नाथ यादव–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नहरों के किनारे पक्के न होने के कारण नहरें टूटने से किसानों की फसल जल प्लावन से नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वे कराकर नहरों को पक्की कराने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं।

अवैध कटिंग एवं खांदी आदि के कारण कभी–कभी कुछ स्थानों पर जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

जिन स्थानों पर फिलिंग रीच में नहर बनायी जाती है तथा नहर की जिस रीच में पानी का रिसाव होता है जिसके कारण आस–पास के क्षेत्र में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है वहां नहर के आन्तरिक सेक्शन की लाइनिंग कर पक्का किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

श्री पारस नाथ यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, कृषि प्रधान देश और प्रदेश में किसान अन्नदाता ही नहीं भगवान माना गया है। यह किसान से जुड़ा हुआ सवाल है और इस सवाल में मैंने जो चिन्ता व्यक्त की थी कि जो हमारे नहरें बनती हैं उन नहरों के निर्माण के समय जो बुनियादी गलतियां की जाती हैं उन बुनियादी गलतियों के चलते नहर का निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाता है। अपनी जमीन को बचाने के लिए जो जितना ही पावरफुल होता है उन्हीं नहरों की खुदाई के समय दूसरे के खेतों से खुदाई करा देता है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये।

श्री पारस नाथ यादव–

यूं कहा जाये तो केवल नहरों का निर्माण ऊंची–खाली जमीनों या परती पड़ी हुई जमीनों से किया गया है और जब टेल तक पानी पहुंचाने की बात की जाती है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप जानना क्या चाहते हैं।

श्री पारस नाथ यादव–

मैं अब उसी बात पर आ रहा हूं। आप विद्वान हैं, आप किसान भी हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि नहरों का निर्माण सही न होने के कारण जब पानी नहरों में छोड़ा जाता है या आने का सीजन होता है तो नहरें टूट जाती हैं और किसानों की हजारों–हजार एकड़ जमीन जल प्लावन से भर जाती है और फसल नष्ट हो जाती है। मैंने केवल यह सवाल किया था, माननीय मंत्री जी क्या उन नहरों का सर्वे कराकरके जो नहरें हमारी इस तरह से कमजोर हैं, उनको पक्का कराने का काम करेंगे ? माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि फिलिंग रीच जो होती है जहां से कैरिज मिट्टी ले जा करके बेड को बनाते हैं वहां जो जल प्लावन होता है, वहां से सीपेज के कारण हम पक्की रीच करते हैं लेकिन जमीन के पक्की करने की बात मैंने नहीं की है। जब जल बेड में आता है तो वह नहरें टूटती हैं इनके रोकने के लिए क्या कोई ऐसा उपाय आप कर रहे हैं कि ऐसी नहरों की लाइनिंग कराकर हम पक्का करा दें। मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जहां नहर का रिसाव होता है, तो वहां पर पानी कटता है तो हम लाइनिंग करके जहां रिसाव होगा वहां नहर को पक्की कर देंगे और रिसाव को रोक देंगे, जल–प्लावन वहां होने नहीं देंगे। हमारी सरकार माननीय अध्यक्ष जी और भी काम करेगी जैसे नहर के रिसाव से जल प्लावन हो जाता है, किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो जो किसान की फसल बर्बाद हो जायेगी जल प्लावन से, तो हम उसका मुआवजा भी देने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य के प्रश्न के एक भाग का उत्तर रह गया है कि क्या आप इस तरह का सर्वेक्षण करा लेंगे जहां–जहां ऐसा होना सम्भावित है।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो इन्होंने रिसाव की बात कही है। आप मा0 सदस्य का सपोर्ट कर संरक्षण दे रहे हैं तो हमको भी आपका संरक्षण चाहिए। ऐसा है भू–गर्भ जल मेनटेन रखने के लिए सारी नहरें पक्की नहीं करेंगे क्योंकि पानी बहुत नीचे चला जा रहा है। यदि नहरों को नीचे तक पक्का कर देंगे तो पानी लायेंगे कहां से ? जहां नहरें लाइनिंग में हैं और कटाव है वहां हम पक्की कर देंगे।

श्री पारस नाथ यादव–

यह सवाल नहीं किया है, सारी नहरें .....

(श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पारस नाथ जी आपके पीछे आपके सहयोगी खड़े हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि जहां–जहां पर नहरों के द्वारा, नहरों के किनारे एक या दो किलोमीटर दूर नहरों का स्तर ऊंचा होने के कारण सीपेज आ रहा है चाहे सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, बाराबंकी आदि प्रदेश के तमाम जनपद हों क्या उस सीपेज को मुक्त करने के लिए विभाग कोई तैयारी करेगा ?

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी सब चीजें तो मैंने बता दीं, लेकिन आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारी नहरों पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं और उस कब्जे के कारण से नहरें ठीक से नहीं चल पाती हैं। रात में ये लोग पानी भी काट लेते हैं। फ्री सिंचाई है इसके बाद भी हर नहर का रोस्टर बना हुआ है कि इस रोस्टर से, इस कुलावे से पानी जायेगा, इसके बाद भी नहरों को ठीक से संचालित नहीं होने देते। जो माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है आप हमको लिखकर दे देना, उसको चेक करा लेंगे।

श्री पारस नाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से यह नहीं जानना चाहा था कि आप सारी नहरों को पक्का कर दें। यह सही है कि वाटर लेबिल बहुत नीचे जा रहा है। वाटर लेबिल के नीचे जाने से मैंने यह नहीं कहा कि आप नहरें पक्की कर दें। मैंने केवल यह कहा है कि नहरों की सही सफाई नहीं होने के कारण सिल्ट आ जाती है और जब उसमें पानी चलने लगता है तो वह जो नहरें टूटती हैं जहां कमजोर है जिनसे फसलों का नुकसान होता है किसानों का, उन किसानों की फसलों की भरपाई करने की बात तो यह कह रहे हैं कि हम उनका मुआवजा देते हैं। हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम उन नहरों को चाहते हैं जहां कमजोर नहरें हैं और सही सफाई न होने के कारण टूटती हैं उनको पक्का कराने का काम सर्वे कराकर करेंगे ?

श्री धर्मपाल सिंह–

करेंगे।

प्रदेश के राज्य मार्गों के मरम्मत/निर्माण कराने विषयक कार्य योजना

'05–श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य मार्गों के मरम्मत/निर्माण(टू लेन/फोर लेन) के निर्माण का निर्धारित मानक क्या है ? क्या यह सही है कि 16वीं विधान सभा के कार्यकाल में निर्मित अधिकतर सड़कें मानकानुसार न होने के कारण गड्ढायुक्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो सरकार उनकी जांच कराकर उक्त सड़कों को मानक के अनुरूप निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

राज्य मार्गों पर मरम्मत/अनुरक्षण के अन्तर्गत सतह नवीनीकरण प्रत्येक चार वर्ष के चक्रानुक्रम पर किये जाने का मानक विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। राज्य मार्गों का टू लेन/फोर लेन निर्माण यातायात की आवश्यकता अनुरूप किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेते हुए प्रदेश की सभी सड़कों को 15 जून, 2017 तक गड्ढामुक्त किये जाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

श्री मोहम्मद असलम–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। क्या मैं आपसे एक निवेदन के साथ पूछ सकता हूं इससे संबंधित। माननीय अध्यक्ष जी, जो टू लेन या फोर लेन सड़कें बनती हैं, कितने वर्ष उनकी वारंटी होती है ? उसका मानक क्या है ? क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि टू लेन सड़क बनने के बाद एक महीने या दो महीने के अन्दर उसी के ऊपर पूरे प्रदेश में और खासतौर से गोण्डा, बहराइच और श्रावस्ती में उसी के ऊपर दो महीने के अन्दर फोर लेन बना दिया गया। क्या इसमें हमारी सरकार का नुकसान नहीं हुआ और एच0डी0पी0एल0 संस्था ने जहां–जहां भी पूरे उत्तर प्रदेश में खासतौर से गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती में जो सड़कें इन्होंने बनाई हैं मेरे पास प्रूफ है माननीय अध्यक्ष जी और उसमें इन्होंने जो मानक का प्रयोग किया है, मेरे पास फोटोग्राफ मौजूद हैं। यह मानक के अनुरूप नहीं है। क्या आप उनको कोई सजा देंगे। (सत्ता पक्ष की तरफ से शोर) पूरे उत्तर प्रदेश में क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी या नहीं होगी यह बताने की कृपा करें माननीय उप मुख्य मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय उप मुख्य मंत्री आपको मानक पहले ही बता चुके हैं। आपके अन्तिम प्रश्न का उत्तर देना चाहें।

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो विषय उठाया गया है उसके सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस समय हम चुनाव के मैदान में थे। लोक कल्याण संकल्प–पत्र के माध्यम से जनता से यह वायदा करके आये हैं इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आज हम सब यहां जनता के आशीर्वाद से बैठे हैं। जो भ्रष्टाचार पिछले 15 वर्षों में हुआ है विशेष तौर पर सड़कों के निर्माण को ले करके जहां से भी शिकायत आ रही है उसको भी हम संज्ञान ले रहे हैं और जहां से शिकायत कोई इस प्रकार से आये तो उसको भी संज्ञान लेंगे और भ्रष्टाचारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) और इसी तौर से माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे पहले भी एक शिकायत दिया है उसकी हम जांच करायेंगे लेकिन सदन को यह बताना भी मैं आवश्यक समझता हूं कि अभी जब से माननीय योगी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकार बनी है ऐसे–ऐसे फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, जिसके कारण से अभी दो बड़ी कम्पनियां हैं जिनको ब्लैक लिस्ट करने का भी काम सरकार के द्वारा करने का निर्णय लिया गया है एक ऐसी कम्पनी है जिसका नाम नहीं लूंगा। लेकिन फर्जी अनुबन्ध, फर्जी बैंक गारंटी, इस प्रकार के कई काम प्रदेश भर में जांच के दौरान प्रकट हो रहे हैं मैं सदन को, माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं जहां पर भी ओवरलैपिंग करने की कोशिश की गई है जहां पर भी प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटने की कोशिश की गई है वह चाहे जितने बड़े पद पर होंगे चाहे जैसे भी होंगे सरकार उनको बख्शेगी नहीं।

(मेजें थपथपाई गई)

(तारांकित प्रश्न संख्या–6 पुकारा गया)

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब तो हो गया इससे सुन्दर उत्तर क्या हो सकता है। पूरी बात आ गई है और प्रश्नकर्ता ने भी कहा पुरानी सरकार के बारे में आप प्रश्न फिर पढ़ लें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। समय भी है अगर आपकी अनुमति हो तो कह दूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बताया, मानक चौड़ाई का बताया इन्होंने उसकी गुणवत्ता का मानक पूछा था कि उसकी गुणवत्ता का मानक क्या है और एक सड़क बनने के बाद कितने वर्ष तक उसकी वारन्टी है इसका जवाब नहीं आया मान्यवर, इसका जवाब दिला दें।

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को यह भी बता देना चाहता हूं जो नवीनीकरण के अन्तराल की एक पहले से व्यवस्था निर्धारित है, ग्रामीण क्षेत्र में तीन प्रकार के लोक निर्माण विभाग के मार्ग होते हैं राज्य मार्ग होता है, प्रमुख जिला मार्ग होता है, अन्य जिला मार्ग होता है। राज्य मार्ग और प्रमुख जिला मार्ग इसका चार वर्ष का मानक है कि चार वर्ष में इसको फिर से ठीक कराने का कार्य किया जायेगा जो अन्य जिला मार्ग होते हैं उसे पांच वर्ष में और जो नगरीय क्षेत्र के अन्दर होते हैं उसमें पांच वर्ष का जो अन्य जिला मार्ग है वह मानक हटाकर इसे चार वर्ष ही रखा गया है मैं माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं वर्मा जी, उनको बताना चाहता हूं क्योंकि मैं भी जनता के बीच से ही चुनकर आने वाले लोगों में से रहा हूं इस सदन के अन्दर पिछले सत्र में भी रहा हूं, यह जो भ्रष्टाचार है इसने उत्तर प्रदेश की हालत को खराब करने का काम किया था और उसी भ्रष्टाचार की बात को मैं पुनः दोहराना चाहता हूं जो मानक है माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय में उस मानक के अनुसार काम होगा, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन पहले जो भ्रष्टाचार करके हमारी सड़कों की गुणवत्ता को खराब किया है उनके खिलाफ जांच करके सख्त कार्यवाही की जायेगी।

(मेजें थपथपाई गई)

प्रदेश में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने विषय कार्य योजना की जानकारी

'06–श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार की कोई योजना चल रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा उसमें क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना –

जी हां।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एन0जी0आर0बी0ए0 एवं नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे स्थित नगरों से जनित घरेलू सीवेज से हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु सीवरेज योजनायें

क्रियाशील हैं, जिसके अन्तर्गत नालों के इण्टरसेप्शन/डायवर्जन कार्य, सीवेज शोधन संयंत्रों के निर्माण कार्य तथा पुराने सीवेज शोधन संयंत्रों के जीर्णोद्धार, अपग्रेडेशन तथा सीवरेज नेटवर्क के कार्य कराये जा रहे हैं। दिनांक 30 अप्रैल, 2017 तक कुल स्वीकृत 19 योजनाओं में से जनपद इलाहाबाद की 03 योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष जनपदों क्रमशः गढ़मुक्तेश्वर, अनूपशहर, नरौरा, मुरादाबाद, कन्नौज, वृन्दावन तथा बिठूर नगरों की एक–एक योजना, कानपुर नगर की 02 योजनायें, वाराणसी नगर की 03 योजनायें एवं इलाहाबाद नगर की 04 योजनायें इस प्रकार कुल 16 योजनाओं के कार्य प्रगति पर है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा नदी में उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले ग्रोसली पाल्यूटिंग श्रेणी के 721 उद्योग चिन्हित किये गये हैं, जिसमें से 502 उद्योग संचालित है तथा 219 उद्योगों में से 90 उद्योग स्वयं के कारणों से बन्द है तथा 129 उद्योग मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों से बन्द है। सभी कार्यरत उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं गंगा नदी की पौराणिकता और पवित्रता को बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश में जितना रिवर बेल्ट उसका है उसमें जो दूसरी छोटी नदियां आकर मिलती हैं और उसमें जो गन्दा पानी आकर उसे प्रदूषित कर रहा है क्या उन छोटी नदियों के किनारे बसे हुए नगरों को भी इन शोधन संयंत्रों के ऊपर सरकार कुछ विचार कर रही है जिससे पूरी गंगा नदी की पवित्रता को बरकरार रखा जा सके और उसके साथ–साथ जो दूसरी योजनाओं का कार्य प्रगति पर है उसमें क्या समयावधि निर्धारित है कि इतने समय में वह योजनायें पूरी हो जायेंगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इस सम्बन्ध में बहुत डिटेल में जानकारी गंगा के बारे में दी गई है जहां तक छोटी नदियों की बात है अभी उस सम्बन्ध में बहुत प्राथकिता स्तर पर विचार चल रहा है अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। लेकिन यह सही है कि आवश्यकता है हम इसको महसूस करते हैं।

श्री संजय गर्ग–

जो कार्य प्रगति पर है वह कब तक पूरे हो जायेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रश्न दोहरा दें।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना प्रश्न दोहरा दें।

श्री संजय गर्ग–

जो कार्य आपके प्रगति पर हैं प्रदूषण के सम्बन्ध में आपने कहा कि कुछ नगरों की एक–एक योजना कानपुर नगर की दो योजनायें, बनारस की 3 योजनायें, इलाहाबाद

नगर की 4 योजनायें इस प्रकार कुल 16 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इन कार्यों की कोई समयावधि निश्चित है कि इतने समय में यह कार्य पूरे करा लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

गंगा तो इस सरकार की प्राथमिकता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मैं बताये दे रहा हूं। कानपुर नगर की दो योजनायें पहली योजना है इण्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन नाला सीसामऊ, कानपुर इसमें 63.80 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत हुई है और अप्रैल 18 तक इसमें कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है। दूसरी योजना कानपुर की है सीवरेज योजना सीवरेज डिस्ट्रिक्ट कानपुर यह 337.40 करोड़ की योजना है जुलाई, 2020 में इसका कार्य पूर्ण होगा तीसरी योजना जो वाराणसी की है जायका सहायतित सीवरेज योजना यह 496.90 करोड़ की है इसमें 66 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और यह कार्य जुलाई, 2018 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। रमना वाराणसी योजना यह 151 करोड़ की योजना है और इसमें कार्य दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण होगा। गढ़मुक्तेश्वर की जो योजना है उसमें 46.51 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था 87 प्रतिशत खर्च हो चुका है और सितम्बर, 2017 तक कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है। मुरादाबाद की जो योजना है रामगंगा सीवरेज 279.91 करोड़ रुपये की यह योजना थी इसमें 85 प्रतिशत काम हो चुका है और अक्टूबर, 2017 तक कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है। सीवरेज योजना नरोरा बुलन्दशहर 34.87 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था 81 प्रतिशत काम हो चुका है नवम्बर, 2017 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। अनूपशहर के सीवरेज अपग्रेडेशन का कार्य 75.79 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था 42 प्रतिशत काम हो चुका है इसमें जून, 2018 तक कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है। वृंदावन योजना इसमें 33.82 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई थी मार्च, 2019 में कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं आपने कई योजनाओं का उल्लेख किया है और ब्रेक अप भी दिया है कि इतना करोड़ इस योजना में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो पैसा स्वीकृत हुआ है इसकी तिथि और वर्ष मालूम है कि इस समय यह स्वीकृत हुआ और जो धन एलाट हुआ है उसके सापेक्ष 66 प्रतिशत 67 प्रतिशत आपने खर्च बता दिया है क्या उसके सापेक्ष भौतिक रूप से काम पूरे हो चुके हैं यह धनराशि कब स्वीकृत हुई है।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न कुछ विस्तीर्ण नहीं लग रहा है।

श्री सुखदेव राजभर–

केवल यही बता दें कि धन कब स्वीकृत हुआ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इनकी अगर जिज्ञासा है तो मैं बताये देता हूं। इलाहाबाद की जो तीन योजनायें पूर्ण हुई थी उसके बारे में पूछ रहे हैं या बाकी योजनाओं के बारे में बता दे। यह नमामि गंगे योजना वर्ष 2014 में प्रारम्भ हुयी थी। गढ़मुक्तेश्वर वाली योजना सितम्बर,

2011 से चल रही थी। पहले हम केवल सीवरेज ट्रीटमेंट करते थे और जबसे नमामि गंगे योजना वर्ष 2014 में आई, उसके बाद से हम नाले जो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां से गंगा नदी प्रारम्भ हुई बिजनौर से लेकर और यहां तक 27 जनपदों में 247 नालें हैं, जिन पर इस वक्त काम चल रहा है। बिजनौर से लेकर गाजीपुर तक 27 जनपदों में गंगा नदी निकली और कुल 247 नाले है। जिनमें अभी तक 69 नालों के ऊपर शोधन कार्य चल रहा है और जिसका अलग–अलग ब्रेकअप हमारी मा0 मंत्री जी ने जानना चाहा था उसको हम बता दें।

श्री अध्यक्ष–

अगर बहुत बड़ा हो तो इनको आप लिख कर दे दीजिये या बता दीजिये।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, केवल स्पेसिफिक डेट बता दें बाकी सब छोड़ दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं वही बता रहा हूं। गंगा नदी वाराणसी वर्ष 2016 में स्वीकृत हुई थी वर्ष 2019 में पूर्ण होने की सम्भावना है। पूर्ण होने का भी बता दिया। गढ़मुक्तेशवर की सीवरेज योजना सितम्बर, 2011 में स्वीकृत हुई थी। रामगंगा सीवरेज योजना, मुरादाबाद अक्टूबर, 2011 में स्वीकृत हुई थी। सीवरेज योजना, कन्नौज नवम्बर, 2011 में स्वीकृत हुई थी। सीवरेज अपग्रेडेशन कार्य अनूपशहर दिसम्बर, 2015 में स्वीकृत हुआ था। वृंदावन–मथुरा योजना मार्च, 2017 में स्वीकृत हुई थी।

(सदस्य श्री इरफान सोलंकी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बाद में पूछ लीजियेगा।

उत्तर प्रदेश में बन्द पड़े छविगृहों को पुनः चालू कराने हेतु प्रोत्साहन योजना विषयक

'07–डा0 नीरज बोरा–

क्या उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बन्द छविगृहों को चलाने के लिए सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार नये मल्टीप्लेक्स छविगृहों को दी जाने वाली छूट की भांति बन्द छविगृहों को पुनः चालू कराने के लिए छूट देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी हां।

प्रदेश में पुराने बन्द पड़े या घाटे में चल रहे छविगृहों को रिमाडल/पुनर्संरचित कर विविध सुविधाओं व व्यावसायिक गतिविधियों से युक्त एकल छविगृह/मल्टीप्लेक्स बनाने हेतु प्रोत्साहन योजना शासनादेश संख्या–843/11–6–2016–20एम(19)/2008, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 द्वारा संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत 03 वर्ष की अवधि के लिए छविगृहों में कुल एकत्रित मनोरंजन कर का 50 प्रतिशत अनुदान प्रोत्साहन धनराशि के रूप में देय है।

प्रदेश में बन्द पड़े छविगृहों को रिमाडल/पुनर्संरचित कर चलाये जाने हेतु प्रोत्साहन योजना उपरोक्तानुसार पूर्व से लागू है।

उपरोक्तानुसार।

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्यमंत्री जी की बंद पड़े छविगृहों को पुनः प्रारम्भ करने की योजना का मैं स्वागत करता हूं। प्रश्न के माध्यम से मैं यह पूछना चाहता हूं कि पूर्व सरकार का जो वर्ष 2016 का शासनादेश है, इसमें मात्र उन शहरों को सम्मिलित किया गया है जहां पर मल्टीप्लेक्स नहीं है। क्या उन शहरों के बारे में भी सोचा जायेगा या सम्मिलित किया जायेगा जहां पर मल्टीप्लेक्स हैं। जैसे लखनऊ में 30 छविगृहों में से 19 छविगृह बंद हो गये हैं, आज की तारीख में मात्र 11 छविगृह चल रहे हैं और प्रदेश में 780 छविगृह बंद हो गये हैं। एक और चीज यह है कि जो सिनेमाहॉल के लिये कहा गया है कि वह अगर रिमॉडल्ड किये जायेंगे तभी उनको यह प्रोत्साहन मिलेगा। अगर छविगृह पुनः तोड़कर बनाए जाएं तो उनको यह प्रोत्साहन राशि नही मिलेगी। मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप तो सूचना दे रहे हैं कि नहीं लिया जायेगा। आपका प्रश्न क्या है ?

डा0 नीरज बोरा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन शहरों को भी सम्मिलित किया जायेगा जहां पर पूर्व से मल्टीप्लेक्स हैं और अगर छविगृह पुनः तोड़कर बनाया जाए तो क्या उनको भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार ने शपथ लिया है, हम लोग लगातार चाहते हैं कि रोजगार के अवसर बढ़े। हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर 552 की संख्या में यह सिनेमाघर बंद है। यह सही है कि ऐसे जो मल्टीप्लेक्स वाले शहर हैं अभी उन स्थानों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है कि वहां पर अगर बंद छविगृह है तो उनको चालू कैसे किया जाये। अभी तक की योजना के अनुसार जहां पर मल्टीप्लेक्स नहीं है नये क्षेत्रों में, जहां पर ऐसे मल्टीप्लेक्स बंद पड़े है उनको शुरू करने अथवा नये भी शुरू करने की सरकार की प्रोत्साहन योजना है।

(नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या–07 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।)

अतारांकित प्रश्न

मिर्जापुर जिले के चुनार घाट, भटौली घाट तथा प्रदेश के अन्य निर्माणाधीन पुलों को शीघ्र पूरा करके चालू कराने की जानकारी विषयक

01–श्री अनुराग सिंह–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों के ऊपर निर्माणाधीन पुलों के निर्माण की समय–सीमा पूर्ण होने के बाद अधूरे पुलों को जनहित में पूरा करके चालू कर देने की सरकार की कोई विशेष योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार मिर्जापुर जिले में गंगा नदी के चुनार घाट व भटौली घाट पर कई वर्षों से निर्माणाधीन पुल का कार्य वर्ष 2017 में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

उ0प्र0 राज्य में निर्माणाधीन पुलों तथा अधूरे पुलों को समय से पूरा किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जनपद मिर्जापुर में गंगा नदी के चुनार घाट व भटौली घाट पर निर्माणाधीन सेतुओं को पूरा करने का लक्ष्य क्रमशः मई, 2018 एवं फरवरी, 2018 निश्चित किया गया है। प्रयास किया जा रहा है कि दोनों निर्माणाधीन पुलों को निर्माण कार्य जनहित में शीघ्र पूरा करा दिया जाय।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रेदश में बाण सागर सिंचाई परियोजना सहित प्रदेशों में वर्षों से विलम्बित निर्माणाधीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराये जाने विषयक कार्य योजना

02–श्री अनुराग सिंह–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्षों से विलम्बित निर्माणाधीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार मिर्जापुर व इलाहाबाद को लाभन्वित करने वाली बाण सागर सिंचाई परियोजना का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बाण सागर सिंचाई परियोजना के वर्षों से अनावश्यक लम्बित रहने के कारणों व सम्भावित कदाचार की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

बाण सागर नहर परियोजना भारत सरकार की 99 वरीयता वाली परियोजनाओं में सम्मिलित है, जिसका निर्माण कार्य मार्च, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

बाण सागर परियोजना के कार्यों का विलम्ब से पूर्ण होने के प्रमुख कारण निम्नवत् है–

- कैमूर वन्य जीव अभ्यरण के अन्तर्गत भूमि का विलम्ब से हस्तानान्तरण।
- क्रोनिक एक्टिव स्लिप जोन में बाणसागर पोषक नहर का कार्य।
- कृषक भूमि अधिग्रहण में विलम्ब।

परियोजना में विलम्ब होने के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तम्बौर, महमूदाबाद मार्ग का चौड़ीकरण/उच्चीकरण कराने विषयक कार्य योजना

03–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तम्बौर, महमूदाबाद मार्ग तथा महमूदाबाद सिधौली मार्ग का चौड़ीकरण–उच्चीकरण का कार्य निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी नहीं।

तम्बौर, महमूदाबाद मार्ग के 13.00 किमी0 लम्बाई में तथा सिधौली–महमूदाबाद मार्ग के 11.65 किमी0 लम्बाई में डी0बी0एम0 स्तर तक कार्य पूर्ण है। शेष भाग में कार्य प्रगति पर है।

कार्य का पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया निर्माणाधीन डामर रोडों का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

04–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में डा0 राम मनोहर लोहिया योजना अन्तर्गत चयनित गांव धर्मपुर, रजपारापुर, बजेहरा तथा समसाबाद में निर्माणाधीन सड़कों के डामरीकरण का कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

रजपारापुर राजस्व गांव के निर्माणाधीन सड़कों का कार्य पूर्ण हो गया है।

धर्मपुर, बजेहरा तथा समसाबाद के निर्माणाधीन सड़कों के डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद सीतापुर की नगर पालिका महमूदाबाद में बाईपास निर्माण कार्य कराये जाने विषयक

05–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की नगर पालिका परिषद् महमूदाबाद में बाईपास सड़क बनाये जाने हेतु जमीन का अधिग्रहण कर मिट्टी की पटाई का काम पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो इसे लेपन स्तर तक कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रतिकर का भुगतान करते हुए जमीन के अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। भूमि अध्याप्ति के उपरान्त अवशेष धनराशि से 700 मी0 भाग में मिट्टी पटाई का कार्य तत्समय प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सीतापुर द्वारा कराया गया था। तदोपरान्त जिलाधिकारी, सीतापुर/उप आयुक्त, मनरेगा द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के अनुपालन में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सीतापुर/विकास खण्ड, महमूदाबाद की संयुक्त टीम द्वारा मनरेगा पद्धति से मिट्टी पटाई एवं खडंजा लगाने का कार्य वर्तमान में कराया जा रहा है।

लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत टाउन एरिया पैंतेपुर के किनारे बाईपास बनाये जाने की मांग

06–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की टाउन एरिया पैंतेपुर के किनारे स्वीकृत बाईपास में किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा उन्हें देकर बाईपास का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी नहीं।

लोक निर्माण विभाग में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर के नगर पालिका परिषद् महमूदाबाद के अन्तर्गत संकटादेवी मंदिर के किनारे स्वीकृत नाले के निर्माण विषयक कार्ययोजना की मांग

07–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की नगर पालिका परिषद् महमूदाबाद में स्थित संकटादेवी मंदिर के किनारे नगर के गन्दे पानी के निकास के लिये स्वीकृत नाले का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

नगर पालिका परिषद्, महमूदाबाद जनपद सीतापुर में संकटा देवी मन्दिर के निकट नालों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–14/2017/4008/नौ–5–16–156 बजट/16, दिनांक 03.01.2017 के द्वारा रुपये 305.44 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रथम किश्त के रूप में रुपये 35.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण उक्त कार्य तत्समय नहीं कराया जा सका। वर्तमान में निविदा की कार्यवाही की जा रही है। तत्पश्चात् कार्य प्रारम्भ करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्य को पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वृक्षों की कटान को रोकने तथा वृक्षारोपण कराने विषयक कार्ययोजना का विवरण

08–श्री पारस नाथ यादव–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगातार हो रहे पेड़ों की कटान के अनुपात में वृक्षारोपण का कार्य नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षों की कटान रोकने तथा नये वृक्षारोपण कराने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

जी नहीं।

भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा निर्गत 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2015' के अनुसार अनवरत योजनाबद्ध तरीके से किये गये वृक्षारोपण, हरित पटरियों का किये गये विकास एवं वनों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था के कारण विगत दो वर्षों में प्रदेश के वनावरण क्षेत्र में 112 वर्ग किलोमीटर (0.04 प्रतिशत) की तथा वृक्षावरण के क्षेत्रफल में 149 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है अर्थात वृक्षावरण एवं वनावरण में 261 वर्ग किलोमीटर (0.11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाले 05 राज्यों में सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत रमकुण्डा चौराहे पर बनी अवैध बाउण्ड्री को हटाये जाने विषयक

09–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत रमकुण्डा चौराहे से रोडवेज बस स्टैण्ड के बीच में थाना कोतवाली महमूदाबाद द्वारा मुख्य मार्ग के किनारे सड़क सीमा के अन्तर्गत अवैध रूप से बाउण्ड्री बनाने के कारण हर समय जाम लगा रहता है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध बाउण्ड्री को हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

उक्त रोड का निर्माण लोक निर्माण विभाग (पी0डब्लू0डी0) द्वारा कराया गया है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा सीमांकन करने के पश्चात् अवैध बाउण्ड्री को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के कपूरथला में वाहनों हेतु पार्किंग स्थल एवं जनसुविधा हेतु सुलभ शौचालय का निर्माण कराये जाने विषयक

10–डा0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के कपूरथला में वाहनों हेतु पार्किंग स्थल एवं जनसुविधा हेतु सुलभ शौचालय का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी नहीं।

वर्तमान में नगर निगम द्वारा जगह की अनुपलब्धता के कारण कपूरथला क्षेत्र में वाहनों हेतु पार्किंग स्थल एवं जनसुविधा हेतु सुलभ शौचालय का निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के अलीगंज सेक्टर–पी तथा चांदगंज गार्डेन में नाला–नालियों की समुचित व्यवस्था कराये जाने विषयक

11–डा0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के अलीगंज सेक्टर–पी तथा चांदगंज गार्डेन की आन्तरिक सड़कों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से लोगों के घरों में पानी भर जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त समस्या के निराकरण हेतु उक्त स्थानों में नाला–नालियों की समुचित व्यवस्था सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी नहीं।

प्रश्नगत कालोनियां पूर्णतया विकसित है, जिसमें जल निकासी हेतु समुचित नाला–नालियां पूर्व से निर्मित हैं। अतिवृष्टि के समय थोड़े समय के लिए जल निकासी की समस्या होती है, परन्तु धीरे–धीरे स्वतः जल निकासी हो जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रबन्ध नगर योजना हेतु जमीनों के अधिग्रहण तथा मुआवजा की दर के सम्बन्ध में

12–डा0 नीरज बोरा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रबन्ध नगर योजना हेतु जमीनों के अधिग्रहण किया गया है ? यदि हां, तो अधिग्रहीत जमीनों का मुआवजा किस दर से प्रदान किया गया है तथा उक्त योजना को कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्य नाथ–

जी नहीं।

प्रबन्धनगर आवासीय योजना, भाग–1 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 द्वारा ग्राम घैला की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर की दर रु0 1018406.75 (रु0 दस लाख अठारह हजार चार सौ छः एवं पचहत्तर पैसे) प्रति हेक्टेयर की दर से अभिनिर्णीत किया गया है। इसी प्रकार प्रबन्धनगर आवासीय योजना भाग–2 के अन्तर्गत ग्राम अल्लूनगर डिगुरिया की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर की दर रु0 1415094.00 (रु0 चौदह लाख पन्द्रह हजार चौरानवे मात्र) प्रति हेक्टेयर की दर से तथा ग्राम ककौली की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर की दर रु0 1315789.00 (रु0 तेरह लाख पन्द्रह हजार सात सौ नवासी) प्रति हेक्टेयर की दर से अभिनिर्णीत किया गया है। इस प्रकार प्रबन्धनगर आवासीय योजना भाग–1 व 2 की कुल धनराशि रु0 203.40 करोड़ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी–भू0अ0, लखनऊ कार्यालय को प्रतिकर भुगतान हेतु उपलब्ध करायी जा चुकी है।

योजना के कतिपय कास्तकारों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं में स्थगनादेश प्रभावी होने, अभिनिर्णीत दर से किसानों द्वारा मुआवजा न प्राप्त किये जाने तथा नये अधिनियम के अन्तर्गत डी0एम0 सर्किल रेट का 4 गुना प्रतिकर की मांग करने एवं स्थल पर किसानों द्वारा विरोध उत्पन्न किये जाने के कारण योजना का विकास कार्य बाधित है।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती के ब्लाक रामनगर में संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालय करैली तक आवागमन हेतु सड़क के लिए कार्य योजना

13–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रास्ते के अभाव में बस्ती के ब्लाक रामनगर में संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालय करैली में पढ़ने वाले बच्चों को आने–जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय तक आवागमन हेतु सड़क के लिये नवीन अराकृति कराकर राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज कर सड़क निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्य नाथ–

जी हां।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय करैली के दक्षिण पक्की सड़क से विद्यालय तक सड़क बनाये जाने हेतु ग्राम के श्री राम निवास पुत्र कलई अपनी भूमिधरी गाटा सं0 415/1. 0200 हे0 में से 0.035 हे0 भूमि देने हेतु इस शर्त के साथ तैयार हो गये हैं कि उन्हें उतनी ग्राम समाज की भूमि विनिमय के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाय। तत्क्रम में ग्राम समाज की बंजर भूमि से विनिमय कर उक्त विद्यालय हेतु रास्ता प्रदान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के फैजुल्लागंज आदि क्षेत्र में सड़क व पार्क में घूमते आवारा सुअरों की समस्या से निराकरण हेतु कार्य योजना विषयक

14–डा0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के फैजुल्लागंज क्षेत्र में सड़क व पार्क में घूमते आवारा सुअरों की बढ़ती संख्या के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिहाइसी क्षेत्र से सुअरों को हटाने का कोई प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

जी हां।

नगर निगम में सुअर पकड़ने हेतु कोई स्थायी टीम न होने के कारण समय–समय पर शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यदायी संस्था के माध्यम से टीम बुलाकर विशेष अभियान चलाकर सुअरों को पकड़वाने की कार्यवाही की जाती है।

फैजुल्लागंज अनियोजित क्षेत्र है। यहां गत वर्ष 2016–2017 में समय–समय पर विशेष अभियान चलाकर 42 सुअरों को पकड़कर कॉजीहाउस में बन्द कराकर नीलामी की कार्यवाही कर सुअर पालकों के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 550 के तहत चालान की कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में स्थित खराब नलकूप को प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराये जाने की मांग

15–डा0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में स्थित खराब नलकूपों को सरकार जनता को स्वच्छ पानी की आपूर्ति हेतु ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ठीक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

विद्युत एवं यॉन्त्रिक खराबी के कारण अस्थायी रूप से खराब नलकूपों को 24 घण्टें के अन्दर चालू करने की कार्यवाही की जाती है।

लखनऊ नगर की उत्तर विधान सभा क्षेत्र में 116 नलकूप स्थापित है, जिसमें से 11 नलकूप खराब चल रहे हैं। खराब 11 नलकूपों को प्राथमिकता पर ठीक कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड, फैजुल्लागंज व जानकीपुरम आदि वार्डो में अवैध डेरियों को बन्द अथवा स्थानान्तरित कराये जाने विषयक कार्य योजना की मांग

16–डा0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड, फैजुल्लागंज व जानकीपुरम आदि वार्डो में अवैध डेयरियां संचालित होने के कारण उनसे निकलने वाले गोबर आदि गन्दगी के कारण नाले तथा सीवर जाम हो जाते है तथा पशुओं को खुला छोड़ देने के कारण प्रायः दुघटनायें होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नियम विरुद्ध चल रही उक्त अवैध डेयरियों को बन्द या अन्यत्र स्थानान्तरित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

जी हां।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड में दिनांक 27.09.2016 को विशेष अभियान चलाकर श्रीमती नसीमा पत्नी श्री शकील निवासी डी0 109, 110, 111 सेक्टर पी0 अलीगंज, लखनऊ द्वारा संचालित दुग्ध डेरी को हटा दिया गया तथा इनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन है। जानकीपुरम वार्ड में दिनांक 29.09.2016 को श्री इकबाल पुत्र श्री खलील निवासी छुईयांपुरवा एवं 22.01.2017 को श्री शौकत अली पुत्र श्री साहिद अली, श्री अनवर पुत्र श्री साहिद अली निवासी एम0–2/116, सेक्टर आई, जानकीपुरम, लखनऊ द्वारा संचालित दुध डेरियों को हटा दिया गया। फैजुल्लागंज वार्ड में दिनांक 28.09.2016 को श्री राम मिलन पुत्र राम विलास निवासी केशवनगर, सीतापुर रोड, लखनऊ द्वारा संचालित दुध डेरी को हटा दिया गया हैं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2000 में आदेश पारित किये गये हैं कि हटाई गई दूध डेरियां आदि पुर्न–स्थापित होती है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित क्षेत्राधिकारी का होगा। उक्त आशय का पत्र क्षेत्राधिकारी, अलीगंज का प्रेषित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–7151 (एम0बी0)/2012 आल इण्डिया घोसी एसोसिएशन, लखनऊ बनाम प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन व अन्य में दिनांक 22.11.2013 को आदेश पारित किये गये है कि आवास विकास परिषद एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पशुपालकों को इनके अनुरोध के अनुसार भूखण्ड उपलब्ध कराये जाए।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, रायबरेली के विकास खण्ड खीरो/लालगंज/सरेसी/सतौब एवं डलमऊ की नहरों, रजवाहों, माइनरों में पानी की कमी को दूर करने विषयक कार्ययोजना

17–श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव खण्ड, शारदानगर उन्नाव के अन्तर्गत जनपद रायबरेली के विकास खण्ड खीरो/लालगंज/सरेसी/सतौब एवं डलमऊ की नहरों, रजवाहों एवं माइनरों में पानी की भारी कमी के कारण किसानों को सिंचाई के लिये भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के निराकरण हेतु उक्त क्षेत्र की नहरों, रजबहों एवं माइनरों में टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां। उन्नाव खण्ड, शारदानगर उन्नाव के अन्तर्गत जनपद रायबरेली के विकास खण्ड खीरो, लालगंज, सरेनी, सतौब एवं डलमऊ की नहरों, रजवाहों एवं माइनरों के टेलों तक प्रयास करने के बावजूद भी पानी पहुंचाने की समस्या रहती है।

जी हां। विकास खण्ड खीरो, लालगंज, सतौब एवं डलमऊ की नहरों को पानी पुरवा शाखा से मिलता है। पुरवा शाखा का आन्तरिक सेक्सन कम हो जाने के कारण पानी की उपलब्धता कम रहती है। पुरवा शाखा के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 39.030 तक की परियोजना मुख्य अभियन्ता समिति द्वारा स्वीकृत हो गयी है। बजट आवंटन एवं परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त उपरोक्त विकास खण्डों की नहरों में टेलों तक पानी पहुंचाया जायेगा।

सरेनी विकास खण्ड की नहरों को पानी डलमऊ की पम्प नहर से उपलब्ध कराया जाता है। यह नहर पुरानी एवं बार्जों पर स्थापित होने के कारण 300 क्यूसेक जल के स्थान पर मात्र 150 क्यूसेक जलापूर्ति सम्भव हो पा रही है। डलमऊ बी पम्प हाउस का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त सरेनी विकास खण्ड की नहरों में टेलों पर पानी पहुंचाया जाना संभव हो सकेगा।

परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्तमान रवि की फसल अवधि में ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुयी फसलों का मुआवजा प्रदान करने विषयक

18–श्री अयज कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान रबी की फसल अवधि में ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें नष्ट होने की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उनकी नुकसान हुई फसलों का मुआवजा प्रदान किये जाने का कोई प्राविधान सरकार ने किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ओलाग्रस्त जनपदों में पीड़ित किसानों को सूचीबद्ध करते हुये उन्हें मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

ओलावृष्टि से कृषि फसलों को 33 प्रतिशत या उससे अधिक क्षति होने पर भारत सरकार के आदेश संख्या 32–7/2014–एन0डी0एम0–1, दिनांक 08.04.2015 के अनुसार कृषि निवेश अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

जी हां।

ओलावृष्टि से कृषि फसलों की क्षति के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव जनपद महराजगंज एवं अलीगढ़ से प्राप्त हुआ था। शासन द्वारा जनपद महराजगंज को रु0 3,03,14,925/– एवं जनपद अलीगढ़ को रु0 64,45,703/– की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण गर्मी में तालाब/पोखरों के सूख जाने से हो रहे पशुओं की मौत को रोकने के सम्बन्ध में

19–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान भीषण गर्मी के कारण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के ज्यादातर तालाब/पोखरे सूख जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार विभिन्न डैमों एवं लिफ्ट पम्प कैनालों को चलाकर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों के सूख चुके तालाबों/पोखरों को भरवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

नहर एवं लिफ्ट पम्प कैनालों के कमाण्ड में पड़ने वाले ग्राम पंचायतों के तालाबों एवं पोखरों को भरा जाना प्रस्तावित है।

दिनांक 30 जून, 2017 तक।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के सभी जनपदों में घासफूस के मकानों आगजनी की समस्या से निदान दिलाने तथा आवास प्रदान कराने विषयक

20–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष 2017 में भीषण गर्मी के मौसम में जनपद कुशीनगर समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में घासफूस के घरों में रहने वाले गरीब लोगों के घरों में आग लगने की घटनायें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार आगजनी से पीड़ित परिवारों को सूचीबद्ध करते हुये उन्हें राहत स्वरूप आवास प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्य नाथ–

जी हां।

भारत सरकार के आदेश संख्या 32–7/2004–एन0डी0एम0–1, दिनांक 08.04.2015 में अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के लिये अहैतुक सहायता दिये जाने के साथ ही पक्के/कच्चे मकानों तथा झोपड़ी के क्षतिग्रस्त/नष्ट होने पर भी सहायता दिये जाने का प्राविधान है। उक्त प्राविधान के तहत

अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के लिये जिलाधिकारीगण की मांग पर दिनांक 27.04.2017 तक रु0 24.26 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

21–श्री सुखदेव राजभर–

खदिनांक 16.05.2017 को अतारांकित प्रश्न संख्या–47 द्वारा उतरित,

आजमगढ़ में 2017 में आगजनी से नष्ट हुयी फसलों का शेष मुआवजा उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

22–श्री सुखदेव राजभर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मार्च, 2017 से दिनांक 18.04.2017 तक आजमगढ़ मण्डल में आगजनी से कुल कितनी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हुई है तथा नष्ट हुई फसलों की भरपायी हेतु कितनी–कितनी धनराशि मुआवजे के रूप में दी गयी है ? क्या सरकार उक्त का ब्योरा उपलब्ध कराते हुये अवशेष किसानों को मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्य नाथ–

जी हां।

माह मार्च, 2017 से दिनांक 18.04.2017 तक आजमगढ़ मण्डल में आगजनी से कुल 289.904 हे0 गेहूं की फसल जलकर नष्ट हुई है। नष्ट हुई कृषि फसलों के अनुपात में कुल रु0 27,25,509/– की धनराशि का वितरण कराया जा चुका है।

जनपद आजमगढ़ में 975 प्रभावित कृषकों में से 265 कृषकों को रु0 6,39,728/–, बलिया में 278 प्रभावित कृषकों को रु0 10,55,230/– तथा मऊ जनपद के 425 प्रभावित कृषकों को रु0 10,30,551/– की धनराशि का वितरण कराया गया है। जनपद आजमगढ़ के अवशेष किसानों के प्रकरणों की जांच की जा रही है। अवशेष कृषकों को तीन दिन में अनुमन्य सहायता प्रदान कर दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर नगर निगम की सीमाओं को विस्तारित करने विषयक

23–श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर निगम की सीमा का विस्तार करने हेतु 14 राजस्व ग्रामों को नगरीय क्षेत्र में शामिल किये जाने हेतु शासन द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को जारी अधिसूचना का प्रकाशन सरकारी असाधारण गजट में हुआ है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

अधिसूचना दिनांक 26.12.2016 द्वारा नगर निगम, सहारनपुर की सीमा में सम्मिलित किये गये 14 राजस्व ग्रामों को अधिसूचना संख्या–1120/नौ–7–17–1

परि/2011 दिनांक 11 मई, 2017 द्वारा नगर निगम, सहारनपुर की सीमा से बाहर कर दिया गया है।

लखनऊ में गोमती किनारे पक्का पुल से घैला तक बांध का कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक

24–डा0 नीरज बोरा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में गोमती नदी के किनारे पक्का पुल से घैला तक बांध निर्माण का कार्य पूरा न होने के कारण फैजुल्लागंज क्षेत्रवासी जलभराव की समस्या का सामना करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त बांध के निर्माण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

जी हां।

भूमि व धन उपलब्ध होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

25–श्री सुखदेव राजभर–

ख्1ले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद आजमगढ़ के विधानसभा दीदारगंज स्थित विकास खण्ड मार्टिनगंज, लालगंज तथा फूलपुर स्थापित नलकूपों की संख्या तथा कार्यरत नलकूप की जानकारी

26–श्री सुखदेव राजभर–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधानसभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्डों मार्टिनगंज, लालगंज तथा फूलपुर में कुल कितने राजकीय नलकूप स्थापित हैं तथा उक्त नलकूपों में से कितने नलकूप कार्यरत हैं तथा कितने बन्द हैं ? क्या सरकार बन्द पड़े नलकूपों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

विधानसभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्ड मार्टिनगंज में 07, लालगंज में 32 तथा फूलपुर में 02 राजकीय नलकूप कुल 41 राजकीय नलकूप स्थापित हैं। स्थापित नलकूपों में से 28 राजकीय नलकूप परित्याग की श्रेणी में हैं एवं 13 राजकीय नलकूप क्रियाशील हैं। क्रियाशील राजकीय नलकूपों में से 01 राजकीय नलकूप विद्युत दोष (लो–वोल्टेज) से बन्द है।

परित्याग की श्रेणी में आ चुके नलकूपों को ठीक नहीं कराया जाता है। विद्युत दोष से बन्द राजकीय नलकूप को ठीक कराये जाने हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

क्रियाशील राजकीय नलकूपों का खराब होना एवं उन्हें ठीक कराकर क्रियाशील कराया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई शहर में जाम से निजात दिलाने हेतु/बाई पास बनाये जाने विषयक

27–श्री नितिन अग्रवाल–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ–दिल्ली (वाया हरदोई) चार लेन मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन बढ़ने से हरदोई शहर, हरदोई नगर में जाम लगने से जनसामान्य को आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु हरदोई शहर में बाई–पास बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड में पेयजल संकट दूर करने की मांग

28–डा0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड तथा जानकीपुरम् विस्तार में पानी की टंकी स्थापित होने के बाद भी उनसे पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टंकियों से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड के सेक्टर ए में अवर जलाशय का निर्माण 1989 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया था। वर्ष 2008 में अवर जलाशय के डोम की उपरी छत गिर जाने के कारण उक्त अवर जलाशय जलापूर्ति हेतु प्रयोग में नही है।

पाईप पेयजल योजना के अन्तर्गत पेयजल की आपूर्ति अवर जलाशय एवं सीधे पाईप के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था है।

वर्तमान में उक्त क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति नलकूपों के माध्यम से सुनिश्चत कराई जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में पर्याप्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती की मांग

29–डा0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में वार्डवार सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत कम होने के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है और संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार लखनऊ उत्तर विधान सभा के सभी वार्डों में मानकानुसार सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में नगर निगम लखनऊ जोन–3 के अन्तर्गत आने वाले वार्डों में सफाई कार्य हेतु नियमित सफाई कर्मचारी, संविदा कर्मी एवं नगर निगम की

वित्तीय स्थिति के अनुसार कार्यदायी संस्था के माध्यम से नियोजित जनशक्ति के द्वारा वार्डों में सफाई कार्य सुनिश्चित कराया जा रहा है। अतः सफाई व्यवस्था प्रभावित होने अथवा संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका नहीं है।

वर्तमान में सफाई कर्मचारियेां की संख्या बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

30–डा0 नीरज बोरा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते पक्का पुल से आई0आई0एम0 रोड तक गोमती किनारे सरकार सम्पर्क मार्ग बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्य नाथ–

सूचना संकलित की जा रही है।

जनपद श्रावस्ती/बइराईच में निर्माणधीन सरयू नहर के निर्माण में व्यय की गयी धनराशि एवं कार्यपूर्ण होने के समय सीमा की जानकारी

31–मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या सिंचाई एव जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती/बइराईच में निर्माणधीन सरयू नहर का निर्माण कार्य प्रारम्भ से लेकर वित्तीय वर्ष 2016–17 तक उसमें वर्षवार कितना–कितना धन व्यय हुआ है एवं सरकार ने उक्त का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु समय सीमा निर्धारित की है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

सरयू नहर परियोजना का निर्माण वर्ष 1978 में प्रारम्भ हुआ है। वित्तीय वर्ष 2016–17 तक का वर्षवार व्यय निम्नवत् है :–

(धनराशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	व्यय की गई धनराशि	वित्तीय वर्ष	व्यय की गई धनराशि
1977–1978	2.76	1997–1998	62.28
1978–1979	14.52	1998–1999	81.56
1979–1980	11.34	1999–2000	91.94
1980–1981	17.19	2000–2001	107.44
1981–1982	20.80	2001–2002	158.91
1982–1983	24.27	2002–2003	160.81
1983–1984	20.67	2003–2004	141.43

1984–1985	18.19		2004–2005	163.96
1985–1986	20.51		2005–2006	232.59
1986–1987	22.00		2006–2007	279.72
1987–1988	24.30		2007–2008	256.99
1988–1989	24.40		2008–2009	346.42
1989–1990	13.27		2009–2010	52.06
1990–1991	13.68		2010–2011	143.52
1991–1992	2.45		2011–2012	85.47
1992–1993	9.05		2012–2013	224.47
1993–1994	12.90		2013–2014	499.70
1994–1995	7.88		2014–2015	623.00
1995–1996	19.10		2015–2016	834.00
1996–1997	39.89		2016–2017	300.00
			योग :–	**5185.44**

दिसम्बर, 2019

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद श्रावस्ती के सिरसिया, हरिहरपुर एवं जमुनहा ब्लाक में उपलब्ध सिंचाई के सुविधा की जानकारी

32–मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या सिंचाई एव जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती के सिरसिया, हरिहरपुर एवं जमुनहा ब्लाक में सिंचाई के सुविधा उपलब्ध न होने के कारण क्षेत्रीय कृषि उपज न के बराबर होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ब्लाकों में कृषि उपज की सिंचाई हेतु समुचित मात्रा में सरकारी नलकूप लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड–सिरसिया में 29 राजकीय नलकूप, हरिहरपुर में 20 राजकीय नलकूप तथा जमुनहा में 38 राजकीय नलकूप, कुल 87 राजकीय नलकूप चलित हैं, जिनके द्वारा क्षेत्रीय कृषि उपज हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

इसके अतिरिक्त जनपद श्रावस्ती के तीनों ब्लाकों में से सिरसिया ब्लाक में राप्ती मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य प्रगति में है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद श्रावस्ती में पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध रूप से जबरन मुर्गा, मटनशाप आदि बन्द कराये जाने की जानकारी

33–मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती में स्लाटर हाउस न होने की स्थिति में भी पुलिस प्रशासन द्वारा मटन व मुर्गा शाप, अण्डा शाप, मुर्गा से बनी बिरयानी शाप को अवैध तरीके से बन्द कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न को प्राथमिकता के आधार पर रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अवैध बूचड़खानों को बन्द किए जाने की कार्यवाही मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा मटन, मुर्गा एवं अण्डा बिरयानी शाप को अवैध तरीके से न तो बन्द कराया जा रहा है और न ही किसी का उत्पीड़न किया जा रहा है।

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ में नीलगाय एवं जंगली सुअर के द्वारा नष्ट की जा रही फसलों को बचाने विषयक कार्य योजना की जानकारी

34–श्री देवमणि द्विवेदी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर विधान सभा क्षेत्र 190, लम्भुआ में नीलगाय एवं जंगली सुअर के द्वारा नष्ट की जा रही फसल को बचाने के लिये क्या सरकार कोई कारगर उपाय करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

जी हां।

उत्तर प्रदेश में वनरोज/नीलगायों एवं जंगली सुअर द्वारा फसलों की क्षति से बचाने हेतु विशेष कार्य योजना के तहत शासनादेश संख्या–446/14–4–2013 दिनांक 04.03.2013 द्वारा वनरोज/नीलगायों एवं जंगली सुअर द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाये जाने की समस्या से निजात दिलाने हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी, सदस्य सचिव व जिला कृषि अधिकारी, जिला पशुधन अधिकारी तथा जिला उद्यान अधिकारी को सदस्य के रूप में रखा गया है।

1–उक्त समिति द्वारा जिले के प्रत्येक ब्लाक में वनरोज एवं जंगली सुअरों से फसलों को होने वाले नुकसान की समीक्षा की जाएगी। इस समिति द्वारा वनरोज एवं जंगली सुअर को परमिट द्वारा मारने की त्रैमासिक समीक्षा की जाएगी तथा इनके नष्ट होने की 70 प्रतिशत तक की सीमा प्राप्त हो जाने पर परमिट जारी नहीं किया जायेगा।

2–यह समिति चिन्हित वनरोज एवं जंगली सुअर से समस्याग्रस्त क्षेत्र में किसानों से वनरोज एवं जंगली सुअर को मारने हेतु आवेदन पत्र ब्लाक स्तरीय कृषि अधिकारी के

माध्यम से एकत्र कराकर उसे खण्ड विकास अधिकारी या वन क्षेत्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा जिले के ऐसे आग्नेयास्त्र लाइसेन्सधारी जिनके पास राइफल हो या 12 बोर की बन्दूक के साथ एलजी कार्टरेज हो एवं आतंकी वनरोजों को नष्ट करने के इच्छुक हों, का पैनल तैयार करेगी।

3–यह समिति एक पंजिका संधारित करेगी इस पंजिका में परमिट के विवरण के साथ–साथ निस्तारण हेतु कृत कार्यवाही का विवरण टंकित किया जायेगा तथा समिति द्वारा इसकी मासिक सूचना संलग्न प्रपत्र में प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 को प्रत्येक माह संकलित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

वनरोज/नीलगायों एवं जंगली सुअर को नष्ट करने की अनुमति क्षेत्रीय वनाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर में भीटी महरुआ सम्पर्क मार्ग से घूरहूपुर तक जर्जर मार्ग को गड्ढ़ामुक्त कराये जाने विषयक

35–श्री लालजी वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में भीटी महरुआ से घूरहूपुर सम्पर्क मार्ग गड्ढ़ामुक्त योजना के अन्तर्गत शामिल है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी हां।

जी हां, परन्तु भीटी महरुआ से घूरहूपुर सम्पर्क मार्ग, अभिलेखों में काही सम्पर्क मार्ग के नाम से दर्ज है।

उक्त मार्ग 15 जून, 2017 तक गड्ढ़ामुक्त हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर में महरुआ जलाकी टाण्डा मार्ग से मोहीउद्दीनपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण विषयक

36–श्री लालजी वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में वित्तीय वर्ष 2011–12 में बरुआ जलाकी टाण्डा मार्ग से मोहीउद्दीनपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया गया ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी हां।

जनपद अम्बेडकरनगर में टाण्डा बरुआ जलाकी उतरेथू मार्ग से मोहिउददीनपुर सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 214.40 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु0 100.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। कार्य की पूर्णता वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

टाण्डा वाराणसी मार्ग हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का मुआवजा विभिन्न जनपदों में भिन्न–भिन्न दरों से निर्धारित किये जाने विषयक

37–श्री लाल जी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राज मार्ग 233 (टाण्डा–वाराणसी) हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का मुआवजा विभिन्न जनपदों में भिन्न–भिन्न दरों से निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो मुआवजा की दरों में भिन्नता के क्या कारण हैं ? क्या सरकार आजमगढ़ के किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की दर से जिला–अम्बेडकरनगर के किसानों को भी मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्य नाथ–

जी हां।

अलग–अलग जिले में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दरें भिन्न–भिन्न होने के कारण मुआवजे की राशि में भिन्नता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अलग–अलग जनपदों में निर्धारित सर्किल दर/बाजारू मूल्य में भिन्नता होने के कारण अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार समान प्रतिकर दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

लखनऊ नगर के उत्तर विधान सभा क्षेत्र में जल निगम द्वारा लगाये जा रहे नलकूपों के विषयक

38–डा0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के उत्तर विधान क्षेत्र में सरकार द्वारा कितने नलकूप लगाये जाने की योजना है एवं उसमें से कुल कितने नलकूप लगाये गये तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि शेष नलकूपों को कब तक लगाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित अमृत के अन्तर्गत राज्य की वार्षिक कार्य योजना, 2016–17 हेतु लखनऊ नगर के अभिषेकपुरम क्षेत्र जानकीपुरम की पेयजल योजना अनुमानित लागत रू0 2285.44 लाख के तहत लखनऊ नगर के उत्तर विधान सभा क्षेत्र में 03 नग नलकूप का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है। योजना की स्वीकृति मिशन के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक दिनांक 24.03.2017 में अनुमोदित हो चुकी है। योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के ट्रांसगोमती क्षेत्र में जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नये वाटर वर्क्स की स्थापना कराने विषयक

39–डा0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के ट्रांसगोमती क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निदान हेतु घैला के निकट एक नये वाटर वर्क्स की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

लखनऊ नगर के ट्रांसगोमती के जानकीपुरम, अलीगंज, कल्याणपुर, फैजुल्लागंज, त्रिवेणी नगर, खदरा, विकासनगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर, महानगर, निराला नगर, डालीगंज, निशातगंज आदि क्षेत्रों में नलकूपों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा रही है। सतही जल की व्यवस्था न हो पाने के कारण नये वाटर वर्क्स की स्थापना सम्भव नहीं हो पा रही है।

लखनऊ की अनियोजित कालोनियों को नियोजित कराये जाने के सम्बन्ध में कार्ययोजना

40–डा0 नीरज बोरा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ सहित प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में अनियोजित कालोनियों को नियोजित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्य नाथ–

जी हां।

अवैध कालोनियों के विनियमितीकरण के संबंध में शासनादेश संख्या–5097/9–आ–3–2001, दिनांक 26.05.2001 यथा संशोधित शासनादेश संख्या–5438/9–आ–3–2001, दिनांक 02.12.2003 एवं शासनादेश संख्या–3805/आठ–3–2008–194 काम्प /2001, दिनांक 05.08.2008 द्वारा गाइड लाइन जारी की गयी है।

निर्गत गाइड लाइन्स में निहित प्राविधानों के अनुसार लखनऊ सहित प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में अनियोजित कालोनियों को नियोजित करने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में गन्ना किसानों का लम्बित गन्ने के मूल्य का भुगतान कराये जाने की जानकारी

41–श्री कृष्णपाल मलिक–

क्या चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0बी0ई0सी0 शुगर मिल, मलकपुर, जनपद बागपत पर गन्ना किसानों का कितना गन्ना मूल्य का भुगतान अभी तक लम्बित है ? क्या सरकार गन्ना किसानों के लम्बित गन्ना मूल्य का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास (राज्यमंत्री) (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश राणा)–

दिनांक 04.05.2017 की स्थिति के अनुसार, पेराई सत्र 2016–17 के अन्तर्गत एस0बी0ई0सी0 शुगर मिल, मलकपुर, जनपद बागपत पर गन्ना किसानों का 14 दिन पूर्व अवधि तक कुल रु0 303.95 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है।

अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित व समयान्तर्गत भुगतान करने हेतु चीनी मिल मलकपुर को समय–समय पर यथा दिनांक 08.12.2016, 01.03.2017, 17.03.2017 एवं 21.03.2017 को नोटिसे निर्गत की गयी तथा गन्ना आयुक्त व शासन स्तर पर की गई समीक्षा बैठकों के माध्यम से भी निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में गन्ना मिल से निकलने वाले विषैले केमिकलयुक्त पानी को रोकने के सम्बन्ध में

42–श्री कृष्णपाल मलिक–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0बी0ई0सी0 शुगर मिल, मलकपुर, जनपद बागपत से निकलने वाला विषैला केमिकल युक्त पानी बिना साफ किये ग्राम मलकपुर से निकलने वाले नाले में डाले जाने से मलकपुर तथा कई आस–पास के गांवों में पीने का पानी दूषित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल से निकलने वाले विषैले पानी को रोकने हेतु मिल प्रबन्धन के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

जी नहीं।

उद्योग मै0 एस0बी0ई0सी0 शुगर लि0, लायन मलकपुर, जनपद बागपत द्वारा अशुद्धीकृत उत्प्रवाह का नाले में निस्तारण किये जाने से मलकपुर तथा कई आस–पास के गांवों में पीने का पानी दूषित हो जाने के सम्बन्ध में पूर्व में सूचना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ को प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक 06.05.2017 को ग्राम मलकपुर एवं आस–पास के गांवों लाय, रूस्तमपुर, सिलाना, सिनौली, बावली में स्थित हैण्डपम्प से पीने के पानी के नमूने लेकर क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ की प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया। विश्लेषण आख्या के अनुसार विभिन्न परिचालक पेयजल मानकों के अनुरूप हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी, बागपत ने अपने पत्रांक–सी0एम0ओ0/एस0टी0/2017–18/369, दिनांक 11.05.2017 के द्वारा अवगत कराया है कि एस0बी0ई0सी0 शुगर मिल, मलकपुर, बागपत के आस–पास के ग्रामों में दूषित पानी/भू–जल से बीमारियों के फैलने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली से सहारनपुर तक जर्जर मार्ग के गढ़डामुक्त एवं पुननिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

43–श्री कृष्णपाल मलिक–

क्या उपमुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली यमुनोत्री राज्य मार्ग दिल्ली से सहारनपुर तक अत्यन्त खराब एवं गड्ढायुक्त होने के कारण जनसामान्य को आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का पुननिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

दिल्ली–सहारनपुर–यमुनोत्री मार्ग (एस0एच0–57) का दिल्ली से सहारनपुर तक का प्रभाग यातायात योग्य है एवं मार्ग पर सुलभ यातायात संचालित हो रहा है।

इस मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ में रिमोट सेसिंग के पीछे जानकी प्लाजा से सहारा स्टेट रोड के सड़क के अधूरे निर्माण को पूर्ण करने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

44–मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के द्वितीय सोमवार के अता0प्र0सं0–31 के उत्तर के क्रम में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिमोटसेसिंग के पीछे जानकी प्लाजा से सहारा स्टेट रोड को मिलपरे वाली सड़क का कार्य जून, 2013 तक पूर्ण किया जाना लक्षित था ? यदि हां, तो जानकी प्लाजा से 4 नं0 चौराहा (रिमोटसेसिंग के पश्चिमी–उत्तरी कोने तक) ही निर्माण कर आगे की सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त अधूरे निर्माण को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के द्वितीय सोमवार के अता0प्र0सं0–31 के उत्तर में सड़क का कार्य जून, 2013 तक पूर्ण किया जाना लक्षित न होकर जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत लखनऊ नगर की स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना के ड्रेनेज डिस्ट्रिक्ट द्वितीय के अन्तर्गत जानकीपुरम् से कुकरैल तक मुख्य नाले का निर्माण कार्य जून, 2013 तक पूर्ण किया जाना लक्षित था। जानकी प्लाजा से 04 नंबर चौराहा होते हुए सहारा स्टेट रोड को मिलाने वाली सड़क का निर्माण विगत वर्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्ण करा दिया गया है। उक्त सड़क जानकीपुरम् योजना के सेक्टर–एच में आता है, जिसके रख–रखाव का कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के जानकीपुरम् कालोनी के से0–एच के चारों फेस (1, 2, 3, 4) का हस्तानान्तरण नगर निगम में न किया जाने का कारण एवं प्रकरण से सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

45–मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर–एच के फेज 1, 2, 3, 4 का हस्तानान्तरण नगर निगम को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब तक हस्तानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए हस्तानान्तरण सुनिश्चित कराकर मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री योगी आदित्य नाथ–

लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 28.04.2008 द्वारा जानकीपुरम् योजना, सेक्टर–एच की विभिन्न सुविधाओं (सड़क, नाला, नाली, पार्क, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, जोनल रोड तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जलापूर्ति एवं सीवरेज निस्तारण) को नगर निगम एवं जल संस्थान लखनऊ को अनुरक्षण हेतु हस्तान्तरित किया गया था, किन्तु हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। इस सम्बन्ध में नगर निगम, लखनऊ एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से सेक्टर–एच, जानकीपुरम् का निरीक्षण प्रस्तावित है। निरीक्षणोपरान्त यथाशीघ्र हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

वर्तमान समय में प्राधिकरण द्वारा मूलभूत सुविधाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मझवारा में नयी तहसील के निर्माण कराये जाने विषयक

46–मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में मझवारा व आस–पास के क्षेत्र के लोगों को तहसील से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन हेतु 20 कि0मी0 दूर स्थित तहसील मुख्यालय घोसी जाना पड़ता है जिससे उनका श्रम, धन एवं समय अधिक खर्च होता है यदि हां तो सरकार मझंवारा को नयी तहसील बनाइगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री योगी आदित्य नाथ–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

ग्राम मझवारा परगना व तहसील घोसी जनपद मऊ तहसील मुख्यालय से 14 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है।

जनपद बांदा के ब्लाक महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवा वाया अजनायक का पुरवा तक जर्जर मार्ग के निर्माण विषयक

47–श्री संजय गर्ग–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ब्लाक–महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवा–पिपरहरी (वाया अजनायक का पुरवा) मार्ग कच्चा एवं क्षतिग्रस्त

होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त मार्ग को पक्का करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

नहीं। मोतियारी का पुरवा–पिपरहरी तक 7.500 कि0मी0 लेपित स्तर तक मार्ग है, जो यातायात हेतु उपलब्ध है।

अजनायक का पुरवा मार्ग कच्चा मार्ग है, जिसकी लम्बाई पिपरहरी मार्ग से 0.450 मी0 है। विषयकगत कच्चा मार्ग लोक निर्माण विभाग की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के जयविहार कालोनी इन्दिरा नगर में दूध डेरियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के रोकथाम विषयक कार्ययोजना

48–श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को सम्बन्धित मा0 राधेश्याम सिंह, तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री का पत्र दिनांक 08.12.2016 जो जय विहार कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ में दूध डेरियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

संदर्भगत पत्र प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 02.01.2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सर्वश्री बदुरूद्दीन पुत्र फैयाज, खादिम पुत्र मुन्ना, चुन्ना पुत्र मुन्ना, कादिर पुत्र मुन्ना, दशरथ पुत्र अज्ञात निवासीगण–शिवाजीपुरम, इन्दिरानगर एवं कुंवारे पुत्र अज्ञात निवासी बसंत बिहार, निकट शिवाजीपुरम, इन्दिरानगर, लखनऊ द्वारा अवैध रूप से दूध डेरियों को संचालित किया जा रहा था, जिनके विरुद्ध नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–550 के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की गयी तथा दूध डेरियों को हटाये जाने हेतु नोटिस भेजी गयी है। इसके साथ ही उपरोक्त पशुपालकों के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा–133 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के वि0ख0 महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवा से दशरथ पुरवा की कटी नहर एवं टूटे चेकडैम को ठीक कराये जाने विषयक

49–श्री संजय गर्ग–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील नरैनी के विकास खण्ड महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवा एवं दशरथ पुरवा की नहर कई जगह से कटी एवं उन पर बने चेकडैम टूटे होने के कारण लोगों को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कटी नहर एवं टूटे चेकडैम को बरसात के पहले ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के विकास खण्ड महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवा एवं दशरथ पुरवा से होकर महुटा नहर निकलती है। कटी नहर एवं फाल की मरम्मत करा दी गयी है। नहर के पास कोई चेक डैम मौजूद नहीं है। नहर से कृषकों को सिंचाई सुविधा 1424 फसली रबी में उपलब्ध करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे घाड़ क्षेत्र में बहने वाली 13 बरसाती नदियों के बरसात में आने वाली बाढ़ से राहत पहुचाने विषयक

50–श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे घाड़ क्षेत्र में बहने वाली 13 बरसाती नदियों के बरसात में आने वाली बाढ़ से तबाही से बचाने व किसानों और मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिये सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री योगी आदित्य नाथ–

जी हां।

जनपद सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों के नीचे घाड़ क्षेत्र में बरसाती नदियों से बाढ़ की तबाही से गांवों को बचाने व किसानों, मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए 38 ग्रामों को चिन्हित कर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की परियोजना बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति की 48वीं बैठक में लागत रु0 863.55 लाख अनुमोदित की गयी है। वित्तीय संसाधन की व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को प्रादेशित राजमार्गों तथा प्रादेशिक राजमार्गों को जिला मार्गों में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में

51–श्री संजय गर्ग–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 26 मार्च, 2017 से 26 अप्रैल, 2017 तक कितने और कौन–कौन से राष्ट्रीय राजमार्गों को प्रादेशिक राजमार्गों तथा प्रादेशिक राजमार्गों को जिला मार्गों में परिवर्तित किया गया है तथा उसके क्या कारण हैं ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रदेश में दिनांक 26 मार्च, 2017 से 26 अप्रैल, 2017 तक किसी राष्ट्रीय राज्य मार्ग को प्रादेशिक राजमार्ग एवं किसी भी प्रादेशिक राजमार्ग को जिला मार्ग में परिवर्तित नहीं किया गया है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत सल्टौआ से बांसी तक जर्जर मार्ग के निर्माण विषयक

52–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ में कड़हा से परसा होते हुए बांसी मार्ग जिसकी लम्बाई 3.50 कि0मी0 है, ईंट उखड़ जाने से सड़क जर्जर हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौवा में कड़हा से परसा होते हुए बांसी मार्ग की कुल वास्तविक लम्बाई 2.50 किमी0 है, जिसमें से चैनेज 0.000 से चैनेज 0.500 किमी0 तक का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का है। वर्तमान में मार्ग की दशा सन्तोषजनक है। शेष 2.00 किमी0 मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के महानगर में हैण्डपम्प/नलकूप ठीक कराये जाने की जानकारी

53–डा0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महानगर में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु खराब नलकूपों और हैण्डपम्पों को सरकार ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ द्वारा लखनऊ महानगर में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

सामान्य खराबी वाले नलकूपों व हैण्डपम्पों की मरम्मत जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ द्वारा निरन्तर करायी जाती है।

स्थायी रूप से खराब नलकूपों एवं हैण्डपम्पों का रिबोर कार्य जिला योजना/अन्य मद में धन की उपलब्धता के आधार पर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर कराये जाने की व्यवस्था है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में नये नलकूप लगाकर जनता को शुद्धपेय जल उपलब्ध कराये जाने विषयक

54–डा0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में नये नलकूप लगाने के लिये उत्तर प्रदेश जल निगम के पास स्वीकृत धनराशि होने के बावजूद भी नलकूप नहीं लगाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नये नलकूप स्थापित होने में आ रही बाधाओं को दूर कराकर जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नये नलकूप लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी, हां। नगरीय पेयजल योजना के अन्तर्गत लखनऊ नगर में पेपर मिल वार्ड के अधीन बड़ी एवं छोटी जुगौली में 01 नग नलकूप लगाये जाने हेतु शासनादेश संख्या–233/2016–1229/नौ–16–118 बजट/2016, दिनांक 09.08.2016 द्वारा रु0 75.56 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त के रूप में रु0 37.78 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी हैं। कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है।

जी, हां।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित भूमि पर उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा नलकूप बोरिंग का कार्य प्रारम्भ किया गया था परन्तु इस भूमि का अधिपत्य आर्मी द्वारा अपना जताते हुए कार्य को रोक दिया गया। विकल्प के रूप में नगर निगम के माध्यम से इस कार्य हेतु किसी अन्य उपयुक्त भूमि का चयन करने की कार्यवाही की जा रही है। भूमि चयन होने के उपरान्त प्रस्तावित नलकूप का निर्माण एवं तत्सम्बन्धित कार्य पूर्ण कराये जाने सम्भव हो सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र सीतापुर रोड स्थित प्रियदर्शनी कालोनी में सड़क/पार्क की मरम्मत कराने विषयक

55–डा0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में सीतापुर रोड स्थित प्रियदर्शनी कालोनी की सड़कें व पार्क क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कें व पार्क ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी, हां।

वर्तमान समय में प्रश्नगत कालोनी लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के अधीन है तथा इसका हस्तान्तरण नगर निगम, लखनऊ को अभी नहीं किया गया है। उक्त कालोनी की सड़कों व पार्क के मरम्मत का दायित्व विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ में ग्राम बधवा से ग्राम बेलवाना तक जर्जर मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

56–श्री सुखदेव राजभर–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त किये जाने की मुख्य मंत्री की घोषणा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ की किन–किन सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद आजमगढ़ के बरदह अम्बारी मार्ग पर ग्राम बधवा से ग्राम बेलवाना तक जर्जर सड़क की मरम्मत का कार्य कराया गया है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ में मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत गड्ढ़ा मुक्ति हेतु 117 सड़कें प्रस्तावित की गई हैं, गड्ढ़ा मुक्ति हेतु कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है।

मार्ग के चौड़ीकरण व सृदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

57–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

ख्1ले सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

लखनऊ के चौक क्षेत्र में निर्माणधीन मल्टीलेवल पार्किंग के कार्यपूर्ण होने के समय सीमा के सम्बन्ध में

58–डा0 नीरज बोरा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के चौक क्षेत्र में निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण कार्य को पूरा कराने की कोई समय–समय निर्धारित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार समय सीमा निर्धारित कर जनहित में उक्त पार्किंग के निर्माण कार्य को पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्य नाथ–

जी हां। निर्माण कार्य को पूरा कराने की समय–सीमा अनुबन्ध के अनुसार 01 फरवरी, 2018 है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के घैला क्षेत्र में नाले के गंदे पानी को शोधित करने के लिए एस0टी0पी0 लगाने की मांग

59–डा0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के अनेक नालों का पानी सीधे गोमती नदी में गिराये जाने से आदि गंगा गोमती में जल प्रदूषण बढ़ने से उसका आस्तित्व संकट में है? यदि हां, तो क्या सरकार गन्दे नालों के पानी को शोधित करने के लिये लखनऊ के घैला क्षेत्र में भी एस0टी0पी0 की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी, नहीं। गोमती नदी में गिरने वाले अधिकांश नालों का पानी दौलतगंज में स्थित 56 एम0एल0डी0 तथा भरवारा स्थित 345 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के माध्यम से शोधित किया जा रहा है।

जी नहीं। वर्तमान में लखनऊ के घैला क्षेत्र में एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत पासीनपुरवा व बनिगवां की स्वीकृत व्यापार विकास निधि की सड़कों का कार्य पूर्ण कराये जाने की जानकारी

60–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद की महमूदाबाद तहसील के अन्तर्गत ग्राम पासीनपुरवा व बनिगवां में व्यापार विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

महमूदाबाद तहसील के अन्तर्गत ग्राम पासीनपुरवा में व्यापार विकास निधि योजना के अन्तर्गत कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी, जबकि ग्राम बनिगवां में स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रगति में है।

निर्माणाधीन मार्ग का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में बन्द पड़े नलकूपों के पुनः चालू कराये जाने की जानकारी

61–श्री लाल जी वर्मा–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड कटेहरी एवं भीटी में कुल कितने नलकूप लगे हैं तथा उक्त में से कितने नलकूप खराब अथवा बन्द हैं ? तो सरकार उक्त क्षेत्र के खराब/बन्द नलकूपों को ठीक कराकर पुनः चालू करायेगी? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड कटेहरी में 73 राजकीय नलकूप एवं भीटी में 125 राजकीय नलकूप कुल 198 राजकीय नलकूप चलित है। प्राप्त अद्यतन सूचनानुसार विकास खण्ड कटेहरी में विद्युत दोष से 01 राजकीय नलकूप एवं यांत्रिक दोष से 01 राजकीय नलकूप, कुल 02 राजकीय नलकूप बन्द हैं। विकास खण्ड भीटी में यांत्रिक दोष से 02 राजकीय नलकूप एवं विद्युत दोष से 02 राजकीय नलकूप, कुल 04 राजकीय नलकूप बन्द हैं।

जी हां।

राजकीय नलकूपों का बन्द होना एवं चालू किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। यांत्रिक दोष से बन्द नलकूपों को विभागीय मानकों के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्दर ठीक कराकर चालू कराया जाता है तथा विद्युत दोष से बन्द राजकीय नलकूपों को विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक करके नलकूपों को चालू कराने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अम्बेडकर नगर में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कराने विषयक

62–श्री लाल जी वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अम्बेडकरनगर में बोरिंग फेल होने के कारण बन्द पड़े इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों को सरकार रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

शासनादेश संख्या–434/38–5–2017–21 एम/2011, दिनांक 08.05.2017 के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य 14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जाने की व्यवस्था है एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायतें हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य स्वयं करा सकती हैं अथवा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं (उ0प्र0 जल निगम/यू0पी0 स्टेट एग्रो लि0) के माध्यम से करा सकती हैं।

नगरीय क्षेत्रों में हैण्डपम्पों के रिबोर का कार्य जिला योजना (नगरीय पेयजल) से जिला योजना समितियों की संस्तुति/अनुमोदन के पश्चात् धन की उपलब्धता के आधार पर कराये जाने की व्यवस्था है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

63–श्री लाल जी वर्मा–

खदिनांक 16.05.2017 को अतारांकित प्रश्न सं0 46 द्वारा उत्तरित,

जनपद बस्ती में बनाये गये चेक डैमों की जांच कराने के सम्बन्ध में जानकारी

64–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जनपद बस्ती में 34 स्थानों पर निर्मित किये गये चेकडैमों के निर्माण में मानक के विपरीत कराये गये कार्यों की जांच कराकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं।

जनपद बस्ती में सिंचाई विभाग द्वारा कोई चेक डैम का निर्माण नहीं कराया गया है।

विधान सभा रूधौली के अन्तर्गत बासखोर से डड़वा कला मार्ग पर पड़ने वाली आमी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने की मांग

65–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या उपमुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद बस्ती के रूधौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बासखोर से डड़वा कला होते हुए विकास खण्ड बेलहर, जनपद सिद्धार्थनगर को जोड़ने वाले मार्ग पर पड़ने वाली आमी नदी पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 से प्राप्त आख्या के अनुसार आमी नदी के संबंधित स्थल पर सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में सेतु का निर्माण किया गया है। लोक निर्माण विभाग के पास इस प्रकार को कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न सं0 1 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल से संबंधित मेरा एक अनुरोध है। आज नत्थी (ख) पर मेरा एक तारांकित प्रश्न था, जिसे विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त कर दिया गया, जबकि इस तरह का मैं नहीं समझता। मैं आपके माध्यम से मात्र माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता था कि क्या गन्ना विकास और चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की निजी और सरकारी चीनी मिलों पर अप्रैल, 2017 तक गन्ना किसानों का किस–किस चीनी मिल पर कितना–कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार बतायेगी कि बकाया धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु सरकार की कोई योजना है कि नहीं हैं ? तो मान्यवर, इसे मात्र विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त कर दिया गया, जबकि विषय इतना विस्तीर्ण नहीं था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जी, आपका जो प्रश्न था वह काफी व्यापक था, फिर भी आपसे बात कर लेंगे, जो आपकी कठिनाई है।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से सम्बन्धित नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग (क्रमागत)

(श्री सुखदेव राजभर, श्री लालजी वर्मा, श्री नितिन अग्रवाल एवं विपक्ष के कई सदस्यों के अपनी–अपनी बात कहने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग पहले बैठ जाईये।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने नियम 311 के अन्तर्गत एक विषय देने का काम किया है। मान्यवर, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि आप इसे सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम 311 के बारे में पहले ही बता दिया था कि नियम 311 औपचारिक कार्यवाही का हिस्सा नहीं है। यह बात पहले भी आ गई है। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आप अपने दल के नेता भी हैं। नियम 311 किसी भी तरह उठाया नहीं जा सकता है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपकी सहमति से यह उठाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

तो इस पर हमारी सहमति नहीं है। हम नियमावली से परे नहीं है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस पर हम आपकी सहमति चाह रहे है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप इसकी अनुमति दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

विषय आपका महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 311 के अन्तर्गत यह न तो पोषणीय है और न ही उसमें सुना जा सकता है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आप संक्षेप में इसे सुन लीजिये। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

हम सब साथ ही साथ काम करने वाले लोग हैं आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप नियमों को भली–भांति जानते हैं, यह नियम 311 के अन्तर्गत नहीं सुना जा सकता। आपका विषय महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह इस नियम के अन्तर्गत नहीं आयेगा।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आप नियम 56 लेंगे नहीं और नियम 311 के अन्तर्गत सुनने की अनुमति दे नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 नहीं लिया जायेगा, यह तो कार्य मंत्रणा समिति का फैसला है, यह बहुमत का निर्णय है, यह मेरा अकेले का नहीं है। कृपया आप सदन चलाने में सहयोग करें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, हमारे एक सदस्य के घर पर पुलिस ज्यादती का सवाल है और निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे माननीय सदस्य को अपमानित किया गया है। इसलिये मान्यवर, यह महत्वपूर्ण है और इसको आप नियम 311 में सुनने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। आप सदन संचालन में सहयोग करें और मैं इसे नियम–311 में नहीं सुन रहा हूं क्योंकि यह नियम–311 में पोषणीय नहीं है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह नियम–311 के अन्तर्गत ग्राह्य है।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह नियम–311 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है। आप पूरी संसदीय व्यवस्था को देख लें इसके अन्तर्गत ग्राह्यता पर नहीं सुना जाता।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह ग्राह्य है। आप ग्राह्यता पर सुन लें। मान्यवर, नियम के अन्तर्गत कोई भी सब्जेक्ट जब उठाया जाता है तो पहले इस बात को कहा जाता है कि यह ग्राह्य क्यों है ? उस ग्राह्यता पर आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

हमने आपका नोटिस पढ़ लिया 311 में है। नियम 311 किसी भी सूरत में ग्राह्यता सुनने का कोई भी प्रावधान नहीं है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, ग्राह्यता सुनने का तो सब में प्रावधान है। मान्यवर, नियमावली में आपके सामने पढ़ रहा हूं आप उसको देख लें, नियमावली को आप स्वयं पढ़ लें मैंने भी पढ़ा मान्यवर 311 में लिखा है कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव पढ़ सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलंबित कर दिया जाए और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वह नियम उस समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा इस अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जाएगी। मान्यवर हमें ग्राह्यता पर

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर नहीं इसमें लिखा हुआ है कि अध्यक्ष की सम्मति से ये लिखा हुआ है पढ़ लें सभी नियमों में नहीं लिखा हुआ अध्यक्ष की सम्मति से।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, सब में लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

अब नियम 311 पढ़िए।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, सभी में लिखा है बिना आपकी अनुमति से कोई सब्जेक्ट नहीं लाएगा।

श्री अध्यक्ष–

अब नियम 314 पढ़िए।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, नियम 314 अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्यमंत्री।

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, किसी बात को जान के अंजान बनना ये कौन से नियम में आता है मान्यवर, (हंसी के ठहाके) ये सब कुछ जानकर अंजान बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं वह जानते हैं। मा0 नेता विरोधी दल।

'नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी आदरपूर्वक आपके आदेश का पालन करते हुए एक हमारे यहां पूरब में कहावत है कि ''जबरा मारे रोवही न दे'' (हंसी के ठहाके)। बहुमत की सरकार है कार्यमंत्रणा में भी बहुमत है।

मा0 सदस्यगण–

सरकार बहुमत की ही होती है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्यगण कह रहे हैं कि सरकार बहुमत की ही होती है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

हां मेरा मतलब है कि भारी बहुमत की (मेजों की थपथपाहट) लेकिन श्रीमन् माननीय विपक्ष के सदस्य अपनी बात यहां कैसे, किस तरह से रखें ? आप 56 की अनुमति देंगे नहीं पूरा सत्र बीत गया हम लोगों ने आग्रह भी किया कि मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर नियम 56 की सूचनाएं बहुत समय ली भी गयी है बहुत समय नहीं भी ली गयी है दोनों उदाहरण है लेकिन हम आप पर कोई आरोप तो लगा नहीं सकते हैं आप हमारे प्रकाण्ड विद्वान हैं अध्यक्ष हैं। आप लेकिन ऐसा हम लोग महसूस करते हैं मान्यवर कि हम लोगों के साथ विपक्ष के साथ जरूर कहीं न कहीं आपके मन में कुछ कमी है जो दिखाई देती है (हंसी के ठहाके) जरूर कुछ दिखाई दे रही यूं तो हम संख्या में कम है और आपका संरक्षण भी न मिले तो ये विपक्ष के सदस्य जाए कहां ? माननीय बसपा नेता ने जिस सवाल को उठाया है यह महत्वपूर्ण है। सदन में पक्ष और विपक्ष, राजनीति में पक्ष और विपक्ष होता है श्रीमन् लेकिन एक राजनैतिक मर्यादा के अनुरूप हर राजनीतिक कार्यकर्ता के दूसरे राजनीतिक कार्यकर्ता के मान–मर्यादा रखने की प्रथा पहले से आई है लेकिन मा0 सदस्य किसी भी दल के सदस्य हों, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो कोई भी दल उसके अगर मा0 किसी भी सदस्य के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो इस सदन की परंपरा रही है कि पूरे सदन ने पीड़ित आदमी के साथ खड़े रहने का काम किया है। आज मा0 नेता विधान मण्डल दल बसपा ने जो उठाया है गोरखपुर में इसी सदन के एक वरिष्ठ सदस्य को बिना कारण छापा डलवाकर बेइज्जती करने का मामला था कृपया इसको दो मिनट सुन लें (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)।

'वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, हमने अभी मा0 नेता विरोधी दल को सुना। मान्यवर, पीठ के ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं किया जा सकता।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आप कार्यवाही दिखवा लीजिए। मैंने आक्षेप नहीं किया है। मैंने कृपा की बात कही है। कृपा और आक्षेप में अंतर है। आप हिन्दी का शब्दकोष देख लीजिए आरोप और कृपा दोनों में अंतर है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आपने कहा कि कुछ कमी है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

कृपा में कमी है। यह कहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, पिछले दस साल का उदाहरण है कि जब–जब महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुयी है तो अधिकांश बार ऐसा हुआ कि नियम 56 नहीं लिया गया। और यह परम्परा मेरी डाली हुयी नहीं है। यह परम्परा इन्होंने डाली। यह आपने डाली है और हम कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों को सिर झुकाकर स्वीकार करते थे। मैं भी था वहां, लेकिन हमने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया। मान्यवर, आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं उनकी अध्यक्षता में मीटिंग होती रही। और जो भी निर्णय होता था हम उसको सिर झुकाकर स्वीकार करते थे। अगर यह कह दिया जाता था कि राज्यपाल के अभिभाषण के समय नियम 56 नहीं लेंगे तो हमने उसको सिर झुकाकर स्वीकार किया। लेकिन मान्यवर, हमने कहा कि बजट सत्र में जितना चाहे नियम 56 दो। 238 सदस्य विधान सभा में नये आये हैं। सभी सदस्यों की पर्ची आती है कि हमें विधान सभा में पांच मिनट बोल लेने दिया जाये। आपने उस पर यह भी कहा कि 7–8 बजे तक हाउस चलायेंगे। हमने उस पर सहमति दी कि आप 7–8 बजे तक नहीं बल्कि दस बजे तक हाउस चलाइये।

श्री अध्यक्ष–

आठ बजे तक चलायेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आप चलाइये। बहुत से सदस्य श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार रखना चाहते हैं। वह 5–5 मिनट अपनी बात रख लेंगे। आपकी अनुमति से आपकी कृपा से मान्यवर, और जिस प्रकार का आचरण आप लोगों का है वह किसी प्रकार से शोभा नहीं देता। बहुत सी चीजें ऐसी है जो सदन के सामने कही जाती है और बहुत चीजें यहां नहीं लायी जाती हैं। कार्यमंत्रणा समिति में इस पर विस्तार से चर्चा हुयी। और हम फिर से यह आग्रह करते हैं कि हम किसी प्रकार का न तो दुराव करते हैं न छिपाव रखते हैं। और मान्यवर, परम्परा एक दिन में नहीं बनती है। परम्परा आप लोगों ने डाली है। अनेक बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल के अभिभाषण के समय नियम 56 नहीं लिया गया। हमने उसी की बात के लिए आपसे अनुरोध किया। मा0 अध्यक्ष जी को

उसके लिए अधिकृत कर दिया गया। आपकी तरफ से एक व्यवस्था आ गयी हमने उसको सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। लेकिन मान्यवर, उसको किसी प्रकार से रास्ता निकालकर इस तरह से करना यह एक प्रकार से कन्टेम्प्ट है। और यह कन्टेम्प्ट नहीं होना चाहिए। इन लोगों के मन में सदन को अपने तरीके से चलाने की व्यवस्था है मान्यवर, यह कैसे चलेगा।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, नियमों के अनुसार माननीय वर्मा जी ने 311 में रखा आपका विनिश्चिय हो गया, शिरोधार्य करते हैं। आपके कहे का सबकुछ हम लोग स्वीकार करेंगे और उसका पालन किया जायेगा। और जहां तक जो खन्ना साहब ने कहा है मैं तो 20–20, 22–22 सूचनायें नियम 56 की सुना करता था। और यह लोग नियम 56 देते–देते ऊब जाते थे। और पचासों में तो बीसों में तो मैं ध्यानाकर्षण कर दिया करता था। नियम 300 में तो यह करता था कि जो ग्राहय नहीं होती थी तो उसको लेंग्वेज में पढ़ने की अनुमति देता था। मा0 खन्ना जी से बहस करवाता था चर्चा भी करवा देता था। मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने परम्परा पर जोर दिया मैं उसका स्वागत करता हूँ। एक मा0 सदस्य के घर में गोरखपुर की पुलिस जाकर छापा डालकर उनके नौकरों को पकड़कर थाने में लेकर चली गयी। विधायक जी आते हैं तो एडिशनल एस0पी0 का पहला शब्द यह होता है कि नेतागीरी मत करियेगा। मैं तिवारी जी का मसला बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं विधायक हूँ, एक सम्मानित परिवार का हूँ। अब अगर किसी सदस्य का व्यक्तिगत कोई अपमान हुआ है।

(श्री उपेन्द्र तिवारी तथा कुछ अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)।

श्री सुखदेव राजभर–

तो मान्यवर, मैं इतना अनुरोध कर रहा हूँ कि ..

श्री अध्यक्ष–

आप लोग आपस में बात मत करिए।

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक सिफारिश कर रहा हूँ कि माननीय तिवारी जी खड़े होकर 02 मिनट अपनी तकलीफ सदन में रख दें, आपके सामने।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय तो आपने प्रकारान्तर से रख दिया है।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, अगर तिवारी जी की बात आप 02 मिनट सुन लेते और उस पीड़ा में हो सकता है सभी सदस्य कहें, पहले भी हुआ है, आप उसकी पुनरावृत्ति कराना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय वर्मा जी ने जिस बात पर जाोर दिया है, चलिए नियम 311 में नहीं, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की परम्पराओं का स्वागत करते हैं, यह परम्परा रही है कि अगर कोई माननीय सदस्य किसी अधिकारी या किसी तरह से अपमानित हुआ है, वह खड़ा होकर अपनी पीड़ा को कहेगा और माननीय पीठ से उम्मीद रखेगा कि आप एक व्यवस्था देंगे। इसलिए माननीय तिवारी जी से 02 मिनट बुलवा लें। इतना निर्दयी मत बनिए, नियमों के आधार पर।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक विषय आपके संज्ञान में नियम 311 में दिया गया और नियमों में मान्यवर, व्यवस्था है, नियम 314 में, आप स्वयं अभी इसको उद्धत भी कर चुके हैं कि एक बार अध्यक्ष जी का जो निर्णय हो चुका है, उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं हो सकती। जहां तक किसी सदस्य की मान्यवर, अगर कोई पीड़ा है, वह उसे किसी दूसरे नियम में दे देंगे, उसे सुन लेंगे। लेकिन आयेंगे नियमों में मान्यवर। मान्यवर, सदन के पास पूरी शक्ति है, किसी दूसरे नियम में दे दें। मान्यवर, इस पर आपकी व्यवस्था आ चुकी है।

श्री अध्यक्ष–

दूसरा विकल्प हमारे पास मौजूद है, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो बात यहां कही है, यदि निर्णय हो गया कि नियम 56 की सूचनाएं नहीं ली जायेंगी तो कोई भी विपक्ष के सदस्य ने एक भी नियम 56 की नोटिस आपके आफिस में नहीं दिया। हमने आपकी बात को माना है। क्या कोई भी विपक्ष के एक भी सदस्य ने नियम 56 का नोटिस दिया है ? तो मैंने आपसे कृपापूर्वक प्रार्थना की, आप सदन के सर्वेसर्वा हैं, यहां पर पक्ष या विपक्ष के जितने भी सदस्य हैं, उनके कष्टों को दूर करने वाले आप ही है। नियम 56 में हम नहीं देंगे क्योंकि यह कार्य–मंत्रणा समिति का निर्णय है, नियम 311 में बिना आपकी सहमति के उठ नहीं सकता क्योंकि आपने सहमति नहीं दी है तो अगर कोई पीड़ित माननीय सदस्य है, अध्यक्ष जी, तो किसके पास, कहां, कौन सा स्थान है, जहां पर वह अपनी पीड़ा को कह सके ? यह सदन ही उचित फोरम है कि आपके सामने हम अपने दुख को रो सकें और आप हम पर कृपापूर्वक, दया करके उसका निराकरण करा सकें, यह सदन ही असली फोरम है, इसमें पक्ष और विपक्ष में नहीं जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ शायद उस समय आप सदन में थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और एक बड़े डाक्टर जो निजी प्रैक्टिस करते थे, बनारस के बड़े डाक्टर थे, कैलास नाथ टण्डन या सम्भवतः कुछ नाम था। उस जिले के एस0पी0 ने उनकी बड़ी बेइज्जती की, कांग्रेस की सत्ता थी, उन्होंने खड़े होकर अपनी बात कही और पूरा सदन पक्ष और विपक्ष उस सदस्य के साथ खड़ा हो गया और उनकी समस्या का निराकरण हुआ, उस एस0पी0 के खिलाफ कार्यवाई हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। तो जहां सदस्य की बेइज्जती हो, हम गुण–अवगुण पर नहीं जा रहे हैं, यहां बैठने वाले तमाम माननीय सदस्य, इस माननीय सदन के सम्मानित सदस्य हैं और इस सदन का अपने आप में एक विशेषाधिकार है और माननीय सदस्यों का भी विशेषाधिकार है। मान्यवर, इस सदन का विशेषाधिकार और माननीय सदस्यों का भी विशेषाधिकार, इसके संरक्षक आप हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि विनय तिवारी जी जो इस सदन के एक सम्मानित सदस्य हैं, उनकी बात एक मिनट में सुन लीजिए। आप कृपापूर्वक उनकी बात सुन लीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में आज सरकार के पास कोई सूचना नहीं है, क्योंकि आपकी पीठ से कोई निर्देश नहीं हुआ था, मान्यवर कल सुन लें, हम कल सूचना मंगवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, हम सहमत है। मेरा ख्याल है कि मा0 नेता प्रतिपक्ष भी सहमत होंगे, चूंकि नोटिस सरकार के पास नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, कल मंगवा लेंगे, कल आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, तय हो गया, इस विषय को कल सुना जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय कल किस नियम में आयेगा ? यह तो आप कृपा पूर्वक बता दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष की पीठ से निर्णय हो गया कि कल सुन लेंगे, उसके बाद अब नियम कहां से आ गया, मा0 अध्यक्ष जी को सर्वाधिकार है। पहले हम नियमों से चलते हैं बाद में परम्पराओं से, यह परम्परा रही है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

आप नियम 300 में कल इस विषय को लिखकर दे देंगे, मैं सबेरे ही सरकार के पास उस कागज को भेज दूंगा, सरकार को जो कहना होगा उसकी तैयारी कर लेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

ठीक है मान्यवर।

(12:29) औचित्य के प्रश्न की सूचनाऐं

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में दिनांक 31–12–2016 तक किसानों द्वारा लिए गए एक लाख तक के फसली ऋण को माफ किये जाने एवं सरकार द्वारा दिनांक 4–4–2017 को लिए गए ऋण की अधिकतम सीमा से 1 लाख तक का ऋण माफ किए जाने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अनुमति हो तो मैं अपनी बात रख दूँ।

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट में कह दीजिए जो कहना चाहते हैं। आप किस नियम में बोल रहे है ?

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, नियम 300 में बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कोई नोटिस दिया है ?

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, सुबह नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 श्री नितिन अग्रवाल जी की नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दिनांक 15.05.17 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण में दिनांक 31.12.16 तक किसानों द्वारा लिये गये 01 लाख तक के फसली ऋण को माफ किये जाने एवं सरकार द्वारा दिनांक 04.04.2017 को लिये गये निर्णय जिसमें दिनांक 31.03.2016 तक लघु और सीमान्त किसानों द्वारा लिये गये ऋण की अधिकतम सीमा से एक लाख तक का ऋण माफ किये जाने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में है।

मा0 नितिन जी यह पूरा का पूरा विषय मा0 श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण से जुड़ा हुआ है, आप जब श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में अपने विचार रखेंगे तो इस विषय को विस्तार से रख लेंगे, इसलिए नियम 300 में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

'श्री नितिन अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, नियमाावली में है कि नियम 300 के मामले को हम उठा सकते है, उसको ग्राह्य/अग्राह्य करने का आपको अधिकार है, लेकिन कोई सदस्य अगर औचित्य का प्रश्न उठाना चाहे तो वह प्रश्न उठ सकता है मा0 अध्यक्ष जी, आप हमारी बात सुन लें, उसको ग्राह्य करना है या अग्राह्य करना है यह आपका फैसला है, आप फैसला दे दीजिएगा, लेकिन यह हमारा अधिकार है कि अगर नियम 300 में सूचना आई है, तो हम अपनी बात सदन के सम्मुख रख सकते हैं। इस औचित्य के प्रश्न को हम उठाना चाहते हैं, यह हमारा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष––

यह अग्राह्य है, श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के समय आप अपनी बात कह लीजिएगा। जहां तक अधिकार की बात है, तो आपका अधिकार कितना है, हमारा कितना है, यह हम नहीं जानते हैं, हम इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूँ, नियम 300 को मैं नए सिरे से पढ़े देता हूँ। नियम 300 इस आदरणीय सदन की कार्यवाली से सम्बन्धित अथवा संविधान के उन अनुच्छेदों से सम्बन्धित है जो इस आदरणीय सदन की कार्यवाही से जुड़े हुए हैं आप नियम 300 में उठा सकते है। आप नियम पढ़ लीजिए। इसका कार्यवाही के संचालन से क्या सम्बन्ध है अथवा संविधान के उन अनुच्छेदों से क्या सम्बन्ध है जो कार्यवाही को विनियमित करते हैं, मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

(12:35) नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं–

अध्यक्ष–

अब मैं नियम 301 की सूचनायें लेता हूँ। आज दिनांक 17–5–2017 को कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई जिसमें से 15 माननीय सदस्यों की सूचनाये स्वीकार की गयी। पहली सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ स्थित गोमती नदी में पेयजल संकट के निवारण हेतु अतिरिक्त पानी बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री महेश कुमार गोयल की जनपद आगरा में वन गायों से हो रहे किसानों की फसलों को सुरक्षा हेतु वन की भूमि का बाउन्ड्री वाल कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री

रविन्द्र जायसवाल की संतकबीर दास की जन्मस्थली लहरतारा वाराणसी में सर्विस रोड के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री ज्ञान तिवारी की जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता में शारदा व घाघरा नदी के कटान से बचाव हेतु तटबन्ध निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की जनपद मथुरा की विधान सभा बलदेव की प्रमुख सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र आजमगढ़ सदर में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवी सूचना श्री राजीव कुमार सिंह, बब्बू भईया की जनपद बदांयू के वि0स0 क्षेत्र के दातागंज राजकीय महाविद्यालय न होने से उच्च शिक्षा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवी सूचना श्री शाह आलम उर्फ गुडडू जमाली की जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र मुबारक पुर के ब्लाक सठियांव के अन्तर्गत नव निर्मित बस डिपो को संचालित करने के सम्बन्ध में है, नवी सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकर नगर के परगना व तहसील अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम गोहना की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, दसवी सूचना श्री उमेश मलिक की जनपद मुजफ्फनगर के वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत कृष्णा तथा हिण्डन नदी में हो रहे प्रदूषण के निराकरण हेतु सोलर पम्प तथा आर0ओ0 लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डे की जनपद रायबरेली वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड रोहनियॉ के अन्तर्गत दूषित जल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में

'वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, बारहवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सैंगर की जनपद उन्नाव के वि0स0 क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवी सूचना श्री राम फेरन पाण्डेय की जनपद श्रावस्ती में राप्ती भाकला पूल से कोलाभार बांध बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना डा0 संगीता बलवंत की जनपद गाजीपुर के कतिपय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मे हो रही कटान को रोके जाने हेतु समुचित प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में है, पंद्रहवी सूचना श्री ममतेश शाक्य की जनपद कासगंज के वि0स0 क्षेत्र पटियाली अंतर्गत थाना दरियावगंज में सौ बेड का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में है। सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी। सूचनायें संलग्न है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाये अस्वीकार की गयी, श्री नितिन अग्रवाल, श्री मनोज कुमार पारस, श्री महबूब अली, श्री नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री पंकज गुप्ता, श्री पवन कुमार, श्री प्रेम सागर पटेल, श्री उमाशंकर सिंह, श्री संजय गर्ग, श्री शैलेन्द्र यादव ललई तथा श्री रोशन लाल वर्मा।

जनपद लखनऊ स्थित गोमती नदी में पेयजल संकट निवारण हेतु अतिरिक्त पानी बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूॅ।

गोमती नदी लखनऊ की जीवन रेखा है। और इसे आज श्रद्धा से गंगा गोमती भी कहा जाता है। गोमती नदी के सौन्दर्यीकरण के नाम पर नदी को नाले के रूप में

परिवर्तित कर दिया गया है। पूर्ववर्ती सरकार ने रिवर फ्रंट डेवलपमेन्ट के तहत गोमती में गिरने वाले 29 नालों को बन्द करने का प्रस्ताव किया था कुड़िया घाट के पहले से लेकर लामार्टस तक गोमती के समानान्तर पाइप लााइन बिछाकर 29 नाले उससे जोड़े जाने वाले थे। इन नालों को लामार्टस के आगे वापस गोमती नदी से जोड़ा जाना था इसके लिए पिछली समाजवादी सरकार ने 300 करोड़ रुपये भी दिये थे। लेकिन अभी तक यह नाले बन्द नहीं हो सके। उधर गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ गोमती के किनारों को चमकाया गया। पानी को निर्मल करने का प्रयास नहीं किया गया, जबकि गोमती का पानी लखनऊ की तीन चौथाई जनता का पेयजल स्रोत है आज की स्थिाति में गोमती नदी में पानी का अभाव है जिसके कारण लखनऊ की जनता को अशुद्ध पानी की सप्लाई हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि गोमती में अविलम्ब शारदा कैनाल से कम से कम 100 क्यूसिक अतिरिक्त पानी डाला जाय। जिससे लखनऊ की जनता का जीवन सुरक्षित हो सके।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जारी 300 करोड़ रुपये से कराये गये कार्यों की जांच कराई जाये और जनहित में शारदा कैनाल से 100 क्यूसिक अतिरिक्त पानी डाले जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूॅ।]

जनपद आगरा में बन गायों (नील गायों) से हो रहे किसानों की फसलों की सुरक्षा हेतु वन की भूमि की बाउन्ड्रीवाल कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश कुमार गोयल–

महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूॅ। जनपद आगरा में मेरी विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ विकास खण्ड जगनेर में वन गायों (नील गायों) का

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बहुत बड़ा आतंक है जिससे लगभग 25 गांवों के किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं। जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। किसान भुखमरी के कगार पर आ गये हैं। करीब एक हजार एकड़ जमीन वन विभाग की है, उसी में वन गायें रहती हैं। वन गायों के आतंक से वहां के किसानों को अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि उक्त वन की भूमि की बाउन्ड्री वाल अथवा तार बन्दी करा दी जाये जिससे किसानों की फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सके।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नील गायों से किसानों की फसलों की सुरक्षा हेतु शीघ्र उपरोक्त वन की भूमि की बाउण्ड्री वाल अथवा कटीले तार से बैरीकेटिंग कराये जाने की मांग करता हूं।]

संत कबीर दास की जन्म स्थली लहर तारा वाराणसी में सर्विस रोड के निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र जायसवाल–

[महोदय, अवगत कराना है संत कबीर दास की जन्मस्थली लहरतारा वाराणसी क्षेत्र में प्रतिदिन भारी संख्या में पर्यटक आते हैं यह क्षेत्र वाराणसी, इलाहाबाद नेशनल हाईवे पर स्थित है। इस मार्ग पर फ्लाई ओवर दोनों ओर सर्विस रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं जिससे पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों के आवागमन में कठिनाई आती हैं और उनके पैरों में कंकड़–पत्थर चुभते रहते हैं।

अतः विलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करते हुये शीघ्र सर्विस रोड बनवाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता में शारदा व घाघरा नदी के कटान से बचाव हेतू तटबन्ध निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ज्ञान तिवारी–

[महोदय, में आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र सेवता जनपद सीतापुर में शारदा एवं घाघरा नदी कटान से प्रभावित हुए ग्रामवासियों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

सीतापुर के विकास खण्ड रेउसा व रामपुर, मथुरा के ग्राम काशीपुर, कल्लापुर, बढ़ईडीह, गोलोक, कोडर में बाबा निर्गल दास पुरवा, अगरौरा, मिश्रनपुरवा, कनरखी, परगोडा, अखरी आदि गांव जो कि शारदा एवं घाघरा नदी में समाहित हो गये है और इन गांवों के प्रभावित लोग सड़कों पर छप्पर व झोपड़ी बनााकर खुले आसमान में रहने को मजबूर है। बरसात के समय सम्भावित बाढ़ से ग्रामीण हलकान है। मेरी विधान सभा की 90 कि0मी0 परिधि बाढ़ की चपेट में है जिससे दर्जनों गांव नदी में समाहित हो गये है। आगामी सम्भावित बाढ़ को लेकर सड़कों पर रहे ग्रामीणों को विस्थापित करने को लेकर आवास व बाढ़ को लेकर सड़को पर रह रहे ग्रामीणों को विस्थापित करने को लेकर आवास व बाढ़ के स्थाई समाधान (तटबन्ध निर्माण) स्टड निर्माण को लेकर प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बाढ़ से विस्थापितों को आवास एवं तटबन्ध के निर्माण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने मांग करता हूँ।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र बल्देव की प्रमुख सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बल्देव जनपद मथुरा के अन्तर्गत प्रमुख सम्पर्क मार्गों का निर्माण न होने के कारण जनता को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सादाबाद राया मार्ग ग्राम तम्बका से नगला बीच तक, नगला राधे से नगला बेर तक, पडरारी से नगला पीता वाया बना तक मथुरा राया मार्ग से लोहवन तक, फरह मखदूम से साहपुर तक, भरऊ से ब्यौही बिजारी तक, नगला राधे से नगला भल्ला तक,

नगला खरगा से नौहा तक, एक्सप्रेस वे सर्विस रोड से मादौर तक, यमुना एक्सप्रेसवे से खप्परपुर तक, ओल से जाजम पट्टी तक, अचरू से ग्राम होल्ला तक उपरोक्त सभी कच्चे सम्पर्क मार्ग है जिससे बरसात में जलभराव के कारण आवागमन में काफी कठिनाई होती है। यह मार्ग लोक निर्माण विभाग के निर्माण शाखा–1 मथुरा व लोक निर्माण के प्रान्तीय खण्ड मथुरा में आते है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र आजमगढ़ सदर में लोक निर्माणविभाग द्वारा बनायी गयी कतिपय सड़को की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र आजमगढ़ सदर के ब्लाक पल्हनी अन्तर्गत निम्न सड़कें 1–आजमगढ़–दोहरीघाट मार्ग से ककरहटा, कोलपुर तक, 2–आजमगढ़ शहर बाईपास से आहो पट्टी होते हुए मनचोभा ममरखापुर मार्ग लम्बाई लगभग 4.00 किमी0, 3–आजमगढ़ दोहरीघाट मार्ग से जीयनपुर कोठरा होते हुए मनचोभा तक लम्बाई 3.00 किमी0, 4–आजमगढ़ भदुली निजामाबाद मार्ग से जाफरपुर नीबी होते हुए बेलइसा मण्डी परिषद तक लम्बाई 3.00 किमी0, 5–आजमगढ़ भदुली निजामाबाद मार्ग से खोजापुर होते हुए शेखूपुर पिच मार्ग तक लम्बाई 4.00 किमी0। यह सड़के लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी थी जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं और शहरी क्षेत्र को जोड़ने वाली हैं। यह मुख्य सड़कें है, इन पर आवागमन का काफी दबाव रहता है। जनहित में इन सड़को का निर्माण मिक्स प्लांट से कराया जाना अत्यंत आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त सड़कों का निर्माण मिक्स प्लांट से कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बदांयू के विधान सभा क्षेत्र के दातागंज राजकीय महाविद्यालय न होने से उच्च शिक्षा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार सिंह ''बब्बू भइया''––

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदांयू में छात्र–छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। जिससे गरीब छात्र एव छात्रायें उच्च शिक्षा से वंचित हो रही है। राजकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु क्षेत्रीय स्तर पर काफी प्रयास किया गया, परन्तु अधिकारियों की उदासीनता के कारण निराशा ही हाथ लगी। सरकार की मंशा सभी छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिलाने की है। इसलिए मेरी मांग है कि विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदांयू में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विधान सभा क्षेत्र दातागंज में एक राजकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ब्लाक सठियांव के अन्तर्गत नव निर्मित बस डिपो को संचालित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली–

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

जिला आजमगढ़ की विधान सभा मुबारपुर के ब्लाक सठियांव के अन्तर्गत नव निर्मित बस डिपो जो लगभग नौ महीने व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक संचालित नहीं हो सका है। जिसके कारण वहां पर आवागमन हेतु बस आदि के नहीं चलने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे द्वारा कई बार मा0 सदन के माध्यम से पूर्व की सरकार से उक्त नव निर्मित बस डिपों को संचालित किये जाने का अनुरोध किया गया था तथा क्षेत्रीय जनता द्वारा भी यथाशीघ्र उक्त नवनिर्मित बस डिपों को संचालित किये जाने का अनुरोध किया गया, परन्तु कई महीने व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी लोक महत्व का यह अति आवश्यक कार्य अभी तक लम्बित है।

अतएवं मा0 सदन के माध्यम से सरकार से उक्त नवनिर्मित बस डिपों को यथाशीघ्र संचालित कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकर नगर के परगना व तहसील अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम गोहन्ना की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर––

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

जिला अम्बेडकर नगर के परगना व तहसील अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम गोहन्ना की भूमि, एन0एच0 सं0 232 के निर्माण हेतु सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गयी है। उक्त अधिग्रहीत भूमि के भूमि स्वामियों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। उक्त गांव का भूखण्ड संख्या 264 (क) का अधिग्रहण किया गया है, किन्तु भूस्वामियों का मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है, इसी प्रकार अन्य अधिग्रहीत भूस्वामियों को प्रतिकर का भुगतान नहीं कया जा रहा है। सरकार की इस उदासीनता से जनमानस में रोष व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि के भूस्वामियों को मुआवजा दिलाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कृष्णा तथा हिण्डन नदी में हो रहे प्रदूषण के निराकरण हेतु सोलर पम्प तथा आर0ओ0 लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश मलिक–

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बुढाना विधानसभा में किसी समय जीवनदायनी कही जाने वाली कृष्णा तथा हिंडन नदी के वर्तमान में दूषित होने के कारण 30 से भी अधिक गांवों में भयंकर रूप से कैंसर, पीलिया, हेपेटाइटिस सी आदि रोग फैल रहे हैं।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इन नदियों के किनारे बसे लगभग 30 गांव पेयजल तथा सिंचाई के लिए पूर्णतः इन्ही नदियों पर निर्भर हैं परन्तु वर्तमान में प्रदूषण के कारण इनका जल इतना अधिक

दूषित हो गया है कि अब सिंचाई में भी यह जल प्रयोग नहीं किया जा सकता है। गांवों में इन नदियों के पेयजल के दुष्प्रभाव से हजारों की संख्या में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं।

यह मेरे क्षेत्र की अत्यंत विकट समस्या हैं प्रतिवर्ष होने वाली हजारों मौतों को रोकने के लिए जनहित तथा जीवनहित में इसका निवारण अत्यंत आवश्यक हैं। इस प्रकार की जनहानि को रोकने के लिए कम से कम इन गांवों के निवासियों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाना हमारा दायित्व है।

अतः नियम 301 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इन प्रदूषित नदियों के प्रवाह से प्रभावित गांवों में सोलर पम्प तथा आर0 ओ0 दिए जाने हेतु कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड रोहनिया के अन्तर्गत दूषित जल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

ख्महोदय, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार, जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनियां के क्रमशः ग्राम रोहनियां, धमोली, उसरैनरा, छतौना मरियानी, रायपुर, में पीने के पानी में अत्याधिक मात्रा में फलोराइट व आर्सेनिक हो जाने के कारण उक्त गांव के लोग विकलांग, टी0वी0, रोग, डायरिया व अन्य बड़े संक्रामक रोगों से ग्रस्त हो रहे है। ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के जांचोंपरान्त उक्त गांव में आरो (शुद्ध पेयजल) योजना में शामिल किये जाने का निर्णय किया था, परन्तु अभी तक कोई कार्य प्रारम्भ न होने के कारण लोग बुरी तरीके से संक्रामक रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं।

अतः कृपया जनमानस की बीहड़ समस्याओं को दृष्टिगत शीघ्र निराकरण कराये जाने का कष्ट करें।,

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

ख्महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र 162 बांगरमऊ जनपद उन्नाव में निम्न मार्गों का बनना अति आवश्यक है। यह क्षेत्र माँ गंगा, कल्याणी, सई नदी व कई नहरों से ग्रसित है। इसी वजह से आज तक मूलभूत सुविधायें नहीं उपलब्ध हो सकी है–

1–बांगरमऊ मेन रोड से माढ़ापुर, राजेपुर, बरूवाघाट, कुरौली होते हुए हफीजाबाद तक 06.00 मीटर चौड़ीकरण हेतु अति आवश्यक।

2–ग्राम खैरागाड़ा से फुलवइया, दुर्गापुरूवा होते हुए हरिदासपुर तक वि0 ख0 F84।

3–ग्राम बरूवाघाट के मजरा मनिकापुर से राजेपुर मेन रोड तक वि0ख0 F84।

4–ग्राम गम्भीरपुर से अकबरापुर होते हुए जहाँगीराबाद तक वि0ख0 गंजमुरादाबाद।

5–ग्राम खम्बौली से हसनपुर मजरा होते हुए मुर्तजापुर तक वि0ख0 बांगरमऊ व गंजमुरादाबाद।

6–ग्राम हादीबादपुर से जटपुर बेल्थरा तक वि0ख0 गंजमुरादाबाद।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

7–ग्राम रोशनाबाद से बछलनखेड़ा होते हुए नेवादा तक वि0 ख0 गंजमुरादाबाद।

8–ग्राम राजेपपुर से माखनखेड़ा तक वि0ख0 F84।

9–ग्राम कमलापुर से जामड़ तक वि0ख0 बांगरमऊ।

10–ग्राम माढ़ापुर रोड से कुम्हारनखेड़ा तक वि0ख0 बांगरमऊ।

11–ग्राम जाजामऊगढ़ी से पुरन पुरूवा तक वि0ख0 F84।

12–ग्राम जाजामऊ से समसापुरभूड़ तक वि0ख0 F84।

13–ग्राम साोली से ब्लाक F84 के मेन रोड तक वि0ख0 F84 तक।

14–ग्राम दौलतपुर से कुम्हारनखेड़ा होते हुए राजेपुर मेन रोड तक वि0ख0 F84।

15–ग्राम कटरी गदनपुर आहार के मेनरोड से नया पुरूवा तक वि0ख0 बांगरमऊ।,

जनपद श्रावस्ती में राप्ती भाकलापुल से कोलाभार बांध बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम फेरन पाण्डेय–

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में अति अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूँ।

मेरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र श्रावस्ती, जनपद श्रावस्ती प्रदेश का अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जनपद में हर वर्ष बाढ़ आ जाने के कारण किसानों की सारी फसल डूब जाती है, जिससे किसान भुखमरी के कगार पर पहुॅच जाते हैं। राप्ती भाकला पुल से कोला भार तक बॉध बन जाने से उक्त क्षेत्र की जनता बाढ़ की त्रासदी से बच सकती है। सिंचाई विभाग को बॉध बनाने के बारे में कई बार लिखा जा चुका है परन्तु कोई कार्य नहीं हो रहा है। यह कई लाख किसानों एवं ग्रामवासियों के जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला है।

मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए बॉध निर्माण की माांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के कतिपय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हो रही कटान को रोके जाने हेतु समुचित प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 संगीता बलवंत–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर गाजीपुर में ग्राम समूह पुरैना, वयेपुर कसेरा, सोगनी, बड़हरिया, रफीपुर, तुलसीपुर और महबलपुर में बाढ़ से प्रतिवर्ष सैकड़ों बीघे जमीन गंगा नदी में समाहित हो जाती है और बाढ़ के विकराल रूप से ग्राम समूह को एवं पुरैना पम्प कैनाल के अस्तित्व को खतरा है।

उक्त ग्रामों की बाढ़ से सुरक्षार्थ परियोजनाएं तैयार है जो तकनीकी सलाहकार समिति एवं स्थाई संचालन समिति की बैठक द्वारा अनुमोदित है। परन्तु अभी तक धन स्वीकृत न होने के कारण परियोजना का अनुपालन नहीं हो पा रहा है जिससे जनमानस में निराशा एवं हताशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त परियोजनाओं पर वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र पटियाली अन्तर्गत थाना दरियावगंज में सौ बेड का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य–

[महोदय, मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र पटियाली थाना दरियावगंज में सैकड़ों बीघा जमीन मेन हाइवे बदायूँ–मैनपुरी पर खाली पड़ी हैं। जिस पर 100 बेड के अस्पताल का निर्माण कराकर उपयोग में लाया जा सकता है। जिससे आस पास के क्षेत्रों के निवासी लाभान्वित हो सकें।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त कार्यों को कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आइए कराना चाहता हूँ।]

(12:40) औचित्य के प्रश्न की सूचनायें (क्रमागत)–

शराबबन्दी से सम्बन्धित महिलाओं द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के फलस्वरूप उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए लगभग पूरे प्रदेश में 433 महिलाओं के जेल में बन्द होने एवं उनके विरुद्ध 161 अभियोग पंजीकृत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, 300 की सूचना के सम्बन्ध में मैंने पहले भी संज्ञान में लाया था। मैंने उल्लेख भी किया कि इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए धरना प्रदर्शन का अधिकार है। यह हमारा एक मजबूत हथियार होता है इस लोकतंत्र में कुछ कहने को नहीं। अभी हाल में इस प्रदेश की महिलाओं ने ग्रामीण इलाकों में गांव में जा–जा कर शराब की दुकानों के बन्दी का आन्दोलन चलाया और यह आन्दोलन पूरे प्रदेश में चला और उन संवैधानिक अधिकारो के आधार पर चला और निहत्था महिलाओं ने यह आन्दोलन किया। और सभी महिलाएं, मैंने इस सन्दर्भ में एक प्रश्न लगाया जो दुर्भाग्य से अतारांकित हो गया जबकि यह प्रदेश से जुड़ा हुआ और नीतिगत विषय है। उसमें यह उत्तर आया कि आज भी उत्तर प्रदेश में 433 महिलाएं जेल में हैं और 161 मुकदमें इन लोगों के विरुद्ध पंजीकृत हुए हैं, अभियोग पंजीकृत हुए है।

मान्यवर, मैं इस सूचना के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि प्रदेश की महिलाओं ने तो एक उत्तम काम किया है। सड़कों से हटाकर जो शराब की दुकानें गरीब और मलिन बस्तियों में उनके यहां खोली जा रही थी उसके लिए महिलाओं ने बहुत बड़ा काम किया है, पुरुष तो आगे नहीं आ पाए। इन महिलाओं ने उन दुकानों को रोकने का प्रयास किया कि हम गरीब लोग बरबाद हो जाएंगे, हम लोग यहां ये दुकानें नहीं चाहते हैं। ये लोग समझौता करा सकते थे, बात कर सकते थे लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और आपको अभी मैं कई जिलों की रिपोर्ट बताऊ कि 70 साल, 80 साल की महिलाएं जेल में हैं। कुछ ऐसी महिलाएं जेल में है जिनके पास दो साल, ढाई

साल के बच्चे हैं। वे बच्चे भी अपनी माताओं के साथ जेल में पड़े हुए हैं। मान्यवर, मानवीय दृष्टि से इस व्यवस्था को मैंने इसलिए उठाया है, मैं मानवीय आधार पर बहस कर रहा हूँ। केवल मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी यह बोल दें कि यह नियम 300 में ग्राह्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, वह ये नहीं बोलेंगे, अभी पहले हम बोलेंगे।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सुखदेव राजभर–

मान लें, उनसे कुछ बुलवाएंगे। मैं आप पर ही भरोसा रखकर बोल भी रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

उन पर भी रखिए, वे करेंगे।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, उनके ऊपर तो पूरा भरोसा है और ज्यादा है। आज से नहीं बहुत पहले से भरोसा रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन मा0 खन्ना जी आप पर बहुत भरोसा करते है।

श्री सुखदेव राजभर–

हमारा भी उनके ऊपर बहुत भरोसा रहता है लेकिन मान्यवर, मैंने यह बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है और सदन में सभी सदस्य बैठे हैं। आज पूरे प्रदेश में 433 महिलाएं अपने बच्चों के साथ जिसमें 80 साल की माताएं जेलों में पड़ी हैं और उत्तर क्या मिला कि विवेचना हो रही है। विवेचना तो हर मुकदमें में होती है। बड़े–बड़े आन्दोलनों में लोग बन्द हुए हैं, हम लोग भी बन्द हुए है लेकिन सरकार ने निर्णय ले लिया कि सबको छोड़ दिया जाए, सभी आन्दोलनकारियों को छोड़ दिया जाए और आपकी पुलिस 433 महिलाओं की विवेचना कर रही है, आरोप पत्र तैयार कर रही है, चार्ज शीट तैयार कर रही है बल्कि ऐसे आन्दोलनकारियों को तो आपको प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो काम ये कर रही हैं, जो महिलाएं शराब की दुकानों को मलिन बस्तियों में खुलने से रोकने के लिए सड़क पर आगे आई हैं, उसमें सरकार साथ देगी, सब साथ देंगे, समाज साथ दे रहा है इसलिए इस औचित्य के विषय पर मानवीय आधार पर मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। ग्राह्यता पर आप चाहे जो निर्णय लें, आपका वह अधिकार सुरक्षित है। आज पूरे प्रदेश में जो 433 महिलाए जेल में हैं, उनमें 70–80 साल की माएं हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी पूरी बात आ गयी है।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, बात तो पूरी आ गई है लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सरकार को इस पर कुछ निर्देश दें कि ऐसी महिलाओं के मुकदमे वापस किए जाएं। आप ये सब मुकदमें

वापस करा लें, माताओं और बहनों को जेल से रिहा कर दो। आन्दोलनों में चार सौ, आठ–आठ सौ, दो–दो हजार आन्दोलनकारियों को रिहा किया गया है। मैं सरकार से कह रहा हूँ, संसदीय कार्य मंत्री जी से कह रहा हूँ कि आप इन 433 महिलाओं को जेलों से रिहा करने के लिए बड़ा दिन बनाऐ। यह आज आपके दिल का भी फैसला होने वाला है। आपके मन में महिलाओं के प्रति कितनी पीड़ा है यह तो मुझे नहीं पता है लेकिन मेरा कहना है कि आप आज इस पर मानवीय आधार पर निर्णय लें ताकि वे बहनें, वे माताएं जेल से बाहर आ जाएं। आप यह चार्जशीट और विवेचना का लफड़ा छोड़ें। इसमें औचित्य का विषय भी बनता हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत अग्राह्य करता हूँ लेकिन इस पर मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। चूंकि अभी उनके पास सूचना नहीं होगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, कल एक सवाल विधान सभा में आया था और उसी सवाल के ऊपर आज यह नियम 300 में प्रस्तुत किया गया।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिए हमने इसे अग्राह्य किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह तो आपका अधिकार है और आपके विनिश्चय पर हम किसी भी प्रकार से प्रश्न चिह्न नहीं लगाना चाहते। हम केवल एक बात कहना चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब जो आया था तो उसमें यह नहीं है कि आज जेल में हैं। आपने उसी सवाल का आधार ले लिया। मान्यवर, यह हो सकता है कि 151 में भी श्योरिटी के अभाव में, लोग श्योरिटी नहीं दे पाते हैं। मान्यवर, जैसे 151 में निरुद्ध हुए और श्योरिटी नहीं दे पाए, जेल भेज दिए गए तो दूसरे दिन छूट गए। मान्यवर, यह कहना सही नहीं है कि 433 महिलाएं आज जेल में हैं। यह कहना सही नहीं है, हम इसका प्रतिवाद करते हैं। मान्यवर, आप भी यह नहीं कह सकते हैं, आपको यह कहना नहीं चाहिए, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य भी है और जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। किसी मामले में आज की यह सूचना सही है ये आप भी नहीं कह सकते।

श्री अध्यक्ष–

अब आप पूरी सूचना मंगवा कर जो जरूरी है वह करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

हम पूरी सूचना मंगवा कर देंगे लेकिन यह सही नहीं है मान्यवर और हम इसको दिखवा लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खॉ–

माननीय अध्यक्ष जी, सही उत्तर है, यह बात बिल्कुल सही है कि आपका उत्तर सही है लेकिन जो मांग की गयी है वह भी सही है। आपके उत्तर में यह है कि हो सकता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, नियम 300 में दूसरे सदस्य को बोलने की कहॉ नौबत है, यह जरा हमें दिखवा दें। मान्यवर हम इसका संज्ञान लेकर इसका समाधान करवाएंगे और कल इसके बारे में जवाब दे देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खॉ–

मान्यवर, क्योंकि आपने इजाजत दी है।

श्री अध्यक्ष–

हमने पहले ही इसको निरस्त कर दिया था।

श्री मोहम्मद आजम खॉ–

मेरा मात्र यह कहना है कि आपने इससे इत्तेफाक किया है कि हो सकता है जमानत यूँ न हुई हो कि जामीन न हो उसके अभाव में तो आप इतनी घोषणा कर दीजिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबको रिहा कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

वह जॉच कराने जा रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खॉ–

मान्यवर, क्योंकि सरकार ने खुद माना है। सरकार ने यह माना है।

श्री अध्यक्ष

इस पर उनकी तरफ से पूरी बात आ गयी है। इस पर हमारी व्यवस्था आ गयी है। हमारी व्यवस्था इस पर आ गई है।

श्री मोहम्मद आजम खॉ–

मान्यवर, आप प्रोसीडिंग देख लें। आप प्रोसीडिंग देख लें सरकार ने यह माना है।

श्री अध्यक्ष–

इस पर हमारी व्यवस्था आ गयी है। इस नियम 300 पर हमारी व्यवस्था आ गयी है, अब आप कृपया बैठे।

श्री मोहम्मद आजम खॉ–

मान्यवर, मैं व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहा हूँ। आपकी व्यवस्था का चुनौती दी ही नहीं जा सकती।

श्री अध्यक्ष–

जब इस पर व्यवस्था आ गयी है और सरकार को निर्देशित कर दिया गया है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने के प्रयास से व्यवधान की स्थिति)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठिए। माननीय आजम खॉ जी बैठिए।

गन्ना विकास एवं चीनी मिले तथा औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)–

नियम 300 की सूचना में अन्य सदस्य कैसे बोल रहे हैं ?

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ टोका–टोकी करने की स्थिति में)

नेता विरोधी दल (श्री रामगोविन्द चौधरी)–

मान्यवर, यह क्या हो रहा है ? श्रीमन् ये हो क्या रहा है ?

श्री मोहम्मद आजम खॉ–

मान्यवर, वरिष्ठ सदस्यों के साथ ये होगा तो कैसे सदन चलाएंगे आप ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया सभी मा0 सदस्य आसन ग्रहण करें।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, अब यह हद से भी अधिक होता जा रहा है। बिल्कुल, अब हद हो गयी है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता प्रतिपक्ष आप अपने सदस्यों को बैठाएं। माननीय सदस्य आप बैठें, माननीय नितिन जी कृपया आप बैठें। एक विषय आया उस विषय पर नियम 300 की सूचना हमने अग्राह्य की और सरकार को निर्देशित कर दिया। सरकार ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और पूरे कागज–पत्र मंगा लेंगे इसलिए ये बात यही पर समाप्त हो गयी। अब हम अगली मद लेते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खॉ–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूॅगा।

श्री अध्यक्ष–

आप कैसे निवेदन करेंगे, वह विषय तो खत्म हो गया है। अब आप नहीं, जो विषय समाप्त हो गया है उस पर कैसे बोलेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खॉ–

माननीय अध्यक्ष जी आप सुन तो लें, मान्यवर, ये कहना नहीं है। वह तो आपका जो निर्णय है वह सबसे ऊपर है, वह सर्वमान्य है।

श्री अध्यक्ष–

वह विषय समाप्त हो गया। हमने सदस्य को सुना, हमने सरकार को कहा, वह विषय समाप्त हो गया अब और कोई विषय हो तो उसको आप कहें।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये इतने वरिष्ठ सदस्य हैं आखिर किस नियम में बोल रहे हैं। अगर नियम 300 में किसी ने विषय रखा और संसदीय कार्यमंत्री जी ने व्यवस्था दे दी है तो ये कौन–से नियम में बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप नियमों का पालन करें।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा बीच में टोका–टोकी करने पर)

श्री मोहम्मद आजम खॉ–

मान्यवर, मैं आपके सम्मान में तो बैठ जाऊॅगा लेकिन बात गलत है।

श्री अध्यक्ष–

हम दोनों एक–दूसरे का सम्मान करते हैं लेकिन आप किस नियम में बोलना चाहते हैं।

श्री सुरेश राणा–

माननीय रामगोविन्द जी, आप तो इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। आप जैसे लोग हमें ऐसा सिखाएंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में दिनांक 31–12–2016 तक किसानों द्वारा लिए गए एक लाख तक के फसली ऋण को माफ किये जाने एवं सरकार द्वारा दिनांक 4–4–2017 को लिए गए ऋण की अधिकतम सीमा से 1 लाख तक का ऋण माफ किए जाने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, कल आपने 300 की सूचना ली आज भी माननीय सदस्य की सूचना ली और मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आपने कल लिया आज भी लिया और आपने मुझे मना कर दिया, आप कम से कम मेरी बात आ जाने दीजिए। आप कम से कम सरकार का ध्यान आकर्षित करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात तो हो गयी।

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन में कहां बात आई, मैं सदन में अपनी बात रखना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आपने नियम 300 में जो बात कही है वह नियम 300 में नहीं आती है।

श्री नितिन अग्रवाल–

नियम 300 में जो नहीं आती आपने अग्राह्य कर दिया कल भी 300 की जो सूचना आयी थी वह आपने अग्राह्य कर दी थी तो हमारी भी आ जाने दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 की सारी सूचनाएं अग्राह्य होती है।

[12:51] उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मई, 2017 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 16 मई, 2017 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 मई, 2017 को वापस प्राप्त हो गया।

पश्चिम उत्तर प्रदेश स्थित जनपद सहारनपुर में ठमोली नदी पर तटबन्ध एवं पिचिंग कार्य कराये जाने विषयक श्री शिवकुमार राणा आदि निवासीगण सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अध्यक्ष–

इसमें कुछ नहीं है। अब मद संख्या–5

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पश्चिम उत्तर प्रदेश स्थित जनपद सहारनपुर में ठमोला नदी पर तटबन्ध एवं पिचिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवकुमार राणा व श्री कुबेरदत्त त्यागी निवासीगण जनपद सहारपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद सहारनपुर के सहारनपुर नगर की प्राकृतिक नदी, पावधोई नदी पर कतिपय पुलों का नव निर्माण/चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री कृष्ण कुमार गुप्ता आदि निवासीगण सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद सहारनपुर के सहारनपुर नगर की प्राकृतिक नदी, पांवधोई नदी पर कतिपय पुलों का नवनिर्माण/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार गुप्ता व श्री दानिश काजमी निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

सहारनपुर नगर के अन्तर्गत अमरद्वीप कालोनी एवं जेल चुंगी, मौज्जमपुरा, एस0एस0पी0 निवास के पीछे जनता रोड के ऊपर से गुजरने वाली 66 के0वी0ए0 की हाई टेंशन लाइन को हटाये जाने विषयक श्री सुशील सोनकर आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सहारनपुर नगर के अन्तर्गत अमरदीप कालोनी एवं जेल चुंगी, मौज्जमपुरा, एस0एस0पी0 निवास के पीछे जनता रोड के ऊपर से गुजरने वाली 66 के0वी0ए0 की हाई टेंशन लाईन को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील सोनकर व डा0 योगेन्द्र दूधहरे निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[12.54] कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–6 इसमें कुछ नहीं है। अब मद संख्या–07।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 मई, 2017 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 17 मई, 2017 से दिनांक 22 मई, 2017 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की है––

1–दिनांक 17 मई, 2017 को निर्धारित सरकारी संकल्प अब दिनांक 18 मई, 2017 को लिए जायं।

2–दिनांक 17, 18, 19 एवं 22 मई, 2017 को नियम 56 की सूचनायें न ली जायं एवं नियम 300, 301 तथा 51 की सूचनायें ली जायं।

दिनांक 17 मई, 2017 से दिनांक 22 मई, 2017 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :––

मई, 2017

17 बुधवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
18 गुरूवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
19 शुक्रवार	(1) असरकारी दिवस (आधा दिन)।
	(2) विधायी कार्य (आध दिन)।
20 शनिवार 21 रविवार	बैठक नहीं होगी।
22 सोमवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना (संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[12:56] उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2017–2018 की ''लोक लेखा समिति'' ''प्राक्कलन समिति'' अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'' सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'' ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मन्त्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2017–2018 की ''लोक लेखा समिति'' ''प्राक्कलन समिति'' ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'' सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'' ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मन्त्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है––

1–नाम निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	गुरूवार, 18 मई, 2017 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2–नाम निर्देशन–पत्रों की संवीक्षा की तिथि	सोमवार, 22 मई, 2017 को अपराह्न 3.00 बजे (प्रमुख सचिव, विधान सभा के

तथा समय	कार्यालय–कक्ष में)
3–नामों की वापसी की तिथि तथा समय	बुधवार, 24 मई, 2017 को समय अपराह्न 4.00 बजे तक
4–निर्वाचन,, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान–	सोमवार, 29 मई, 2017
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति तथा पंचायती राज समिति के लिए	
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए	

विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या 44–ख में पूर्वाह्न 10.30 बजे से 4.00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम–निर्देशन–पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2017–2018 की ''लोक लेखा समिति'' ''प्राक्कलन समिति'' ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'' ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'' ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मन्त्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिए विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि ''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2017–2018 की ''लोक लेखा समिति'' ''प्राक्कलन समिति'' ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'' सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'' ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और ''मन्त्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों'' में सदस्यता के लिए सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष

2017–2018 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम–निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम–निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम–निर्देशित करने के लिए भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम–निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2017–2018 की ''लोक लेखा समिति'' ''प्राक्कलन समिति'' ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'' सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'' ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और ''मन्त्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों'' में सदस्यता के लिए सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2017–2018 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम–निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम–निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम–निर्देशित करने के लिए भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम–निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[01:00] श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का मौका दिया। कल मैंने आपसे आग्रह किया था कि यह जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है यह असंवैधानिक है और नियमों के भी विरुद्ध है। ऐसा दो वजह से है। यह विधान सभा संविधान और कार्य संचालन नियमावली के अनुसार संचालित होती है। जहां तक महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का सवाल है उसमें आप संविधान की धारा 176 का अवलोकन करें। नियम 176 में स्पष्ट निर्देश हैं कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण–राज्यपाल विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधान–मंडल को उसके आह्वान के कारण बतायेगा। इसके आलावा आपकी विधान सभा कार्य संचालन नियमावली से संचालित होती है तो नियमावली के नियम–19 को आप देखें श्रीमन्। आपकी कृपा नहीं हो रही है इसलिये हम लोग यहां बोल रहे हैं नहीं तो इसको नियमों में ही ले आते। नियमावाली के नियम–19 में स्पष्ट है अध्याय–5 राज्यपाल का सभा को अभिभाषण तथा सन्देश। विधान मण्डल के

दोनों सदनों को राज्यपाल का अभिभाषण और सभा में उस पर चर्चा सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रतिवर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्यपाल विधान मण्डल के एक साथ समवेत हुये दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे तथा विधान मण्डल को आह्वान के कारण बतायेंगे। श्रीमन् 101 पेज की यह पुस्तिका है और यह अभिभाषण जो अनर्गल प्रलाप की एक पोथी है। अनर्गल प्रलाप में कह रहा हूं क्योंकि इसमें एक शब्द, एक लाइन भी कहीं नहीं है कि हम सदन का आह्वान क्यों कर रहे हैं इसलिये यह अभिभाषण असंवैधानिक भी है और नियमावली के विपरीत भी है। फिर भी जबसे हम लोग इस सदन में बैठे हैं तब से संविधान के प्राविधानों और नियमावली के विरुद्ध भी कई बार यह आचरण हुये हैं। जैसे एक माननीय सदस्य नितिन अग्रवाल जी एक ऐसे ही संवैधानिक संकट जो उत्पन्न हुआ है उसके संबंध में उठाना चाहते थे, लेकिन कृपापूर्वक आपने अनुमति नहीं दी। कैबिनेट ने पास किया है यह कर्जमाफी वाला। कितने संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं इसको आप देख लीजिये। कैबिनेट संवैधानिक अनुच्छेदों का अंग है और संविधान के अनुरूप, अनुच्छेदों के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधान सभा के सदस्यगण शपथ लेते हैं। कैबिनेट ने पास किया कि 31–03–2016 तक हम किसानों का फसली ऋण माफ करेंगे और महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है इसमें कहा गया है मेरी सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र–2017 के माध्यम से जनता से किये गए वायदे के अनुरूप दिनांक 31–12–20016 तक किसानों द्वारा लिये गये एक लाख रुपये तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया है। एक तरफ कैबिनेट दूसरी बात कहती है और महामहिम राज्यपाल जी जो अभिभाषण पढ़ने आये, वह दूसरी बात कहते हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी आप विद्वान भी हैं, संविधान के ज्ञाता भी हैं और नियमों के भी प्रकान्ड पंडित हैं। क्या यह असंवैधानिक और नियम विरुद्ध परिस्थितियां हैं कि नहीं। तो मेरा आपके माध्यम से कृपापूर्वक निवेदन है कि इस सदन के चलने और करने की जो परम्परायें हैं महामहिम राज्यपाल ने उसका अनुपालन नहीं किया है इसलिए यह अभिभाषण इस कार्यवाही का अंग नहीं होना चाहिए इसका मैंने आपसे अनुरोध किया है। अब आपकी क्या आज्ञा है मैं क्या बोलूं, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो महामहिम राज्यपाल के अनर्गल प्रलाप की पोथी है दस्तावेज है इसमें जनता के लिए जनहित के किसी कार्य की घोषणा नहीं है, यह बिल्कुल गप है। केवल एक बात आ गयी कर्ज माफी की, भाषण तो ये हुए मा0 प्रधानमंत्री जी से ले करके वरिष्ठ उच्च नेताओं के अलग–अलग भाषण हुए कि हम किसानों का सम्पूर्ण कर्ज माफ करेंगे, आ गया फसली ऋण, उसमें कुछ और बताया जरा सा गुणा–भाग करके देख लीजिए कि किसानों का कितना पैसा माफ हुआ। मान्यवर, यह छल–प्रपंच के बल पर, प्रदेश की जनता को झूठे लांछनाों में फंसाकर, झूठे आश्वासन दे करके ये जो प्रचंड बहुमत की सरकार आई है इससे प्रदेश की जनता का भला होने वाला नहीं है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा बीच में बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्ययगण, अभी आपकी बोलने की बारी आयेगी तो उसी समय आप उत्तर दीजिएगा, इस समय नहीं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

पांच पन्ने, छः पन्ने, साढ़े छः पन्ने तक इसमें सरकार का अपना अभिमत है बाकी तो सब विभागों का है, यह तो परमानेंट है, सरकार तो परमानेन्ट रहती है, पार्टियां आती जाती रहती हैं लेकिन सरकार तो परमानेन्ट है। इसमें भी वही उल्लेख है जिसमें पिछली सरकार ने काम किया, उसकी पिछली ने किया, उसकी पिछली ने किया, उसकी पिछली ने किया, यह तो एक परम्परा है वह आता रहता है सुशासन, महामहिम राज्यपाल ने कहा है कि मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश में अमन–चैन व कानून का राज स्थापित करने की है। माताएं, बहनें जो रात में घर से निकलने से डरती थी, एंटी रोमियों स्क्वायड के गठन तथा मनचलों और अपराधी प्रवृत्ति के शोहदों पर प्रभावी कार्रवाई के उपरान्त वह अब रात में अकेले निर्भय हो करके निकलती हैं। और कल ही अखबार में था कि एक लड़की को इसी लखनऊ में मनचलों ने कार में रात भर उसके साथ..... अब चूंकि यहां बहनें भी बैठी हुई हैं तो हर बात कहना भी ठीक नहीं लगता है, अखबार में आया था सब लोगों ने देखा है। जब से ये सरकार आई है, अपराध की, डकैती की बलात्कार की, छिनैती की, चोरी की बाढ़ सी प्रदेश में आ गयी है। मान्यवर, आपकी अनुमति हो तो मेरे पास ये पूरे रिकार्ड लिखित हैं, एक पन्ना, दो पन्ना, तीन पन्ना, चार पन्ना, पांच पन्ना, छः पन्ना, सात पन्ना, आठ, नौ, दस और उसके बाद मन इतना घृणित हो गया, मन इतना थोड़ा हो गया कि उसके बाद लिखना हमने बन्द कर दिया।

01–04–2017 लखनऊ डी0आई0जी0 ऑफिस के सामने काली बाइक सवार लुटेरों ने शिक्षिका से लूटा पर्स, बर्लिंग्टन स्थित प्रकाश अपार्टमेंण्ट के पास गुरूवार को पुलिसकर्मी बनकर बदमाशों ने महिला डॉक्टर बीना प्रकाश के गहने लूटे। (सत्तापक्ष के किसी मा0 सदस्य द्वारा कुछ कहने पर) अब कौन है, उसको गिरफ्तार कर लीजिए। या हिम्मत हो तो यहां बैठे हुए हम लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए।

(सत्ता की तरफ से आवाज आयी कि हल्की बात न कीजिए।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल आपका रूख हमारी तरफ रहे तो अच्छा रहेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

01–04–2017 जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दबंगों ने किशोरी के साथ किया गैंगरेप तथा पुलिस के सामने दबंगों ने घर को फूंका। 01–04–2017 देवबन्द कोतवाली क्षेत्र में गांव बन्हेडा में बदमाशों ने दिन–दहाड़े एक पेट्रोल पम्प पर धावा बोलकर 30 हजार रुपये की नगदी लूटी। 03–04–2017 को पी0जी0आई0 थानाक्षेत्र के वृन्दावन योजना, लखनऊ में दो हफ्ते में तीन छात्रों के लापता होने से सनसनी, आजतक नहीं मिले। विजयंत खण्ड से गुम हुई किशोरी का शव गोमती नगर में एक प्लाट में बने कमरे में संदिग्ध हालत में मिला, परिवारीजनों ने गैंगरेप का आरोप लगाया लेकिन एफ0आई0आर0 नही लिखी गयी। 06–04–2017 को आलमबाग के चन्दरनगर में दिन–दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने रिटायर रेलकर्मी मोहर्रम अली से एक लाख रुपये लूटे। 07–04–2017 मोहनलालगंज में भू–माफिया द्वारा गांव मीरानपुर में खलिहान व आंगनबाड़ी की जमीनों पर अवैध कब्जा, गोसाईगंज में बस्तियागांव के पास बसरहिया गांव सभा में साधू मनोहरदास की चाकू से गोदकर हत्या, साधू की हत्या? थाना अलीगंज के सेक्टर–के निवासी दवा व्यापारी अमित कुमार गोयल के मकान से चोरों ने जेबर और 3 लाख रुपये नगद लूटे। मड़ियांव और गुडम्बा थाना क्षेत्र में दो महिलाओं से चेन

लूटकर बदमाश फरार, जहरखुरान गिरोह की महिला सदस्य ने लखनऊवासी तीन युवकों से शनिवार को 12 हजार रुपये और एक मोबाइल फोन लूट लिये। पुरूष तो पुरूष इस राज्य में महिला भी चेन और पर्स लूटने लगी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 गोरखपुर, जहां से नेता सदन, माननीय मुख्यमंत्री जी चुनकर आते हैं तेनुआ टोल प्लाजा के पास रविवार की रात अज्ञात लोगों ने सोना व्यापारी नितिन अग्रवाल को कार में बांधकर जिन्दा जला दिया गया। ऐसी घटना कभी नहीं हुई। एक व्यापारी को कुछ लोग अपहरण करके ले आते हैं उसके उसी गाड़ी में हाथ–पैर बांध देते हैं और जहां उनका नियत स्थान है वहां उनकी गाड़ी खड़ी है, धीरे से उतर कर अपनी गाड़ी से फरार हो जाते हैं, मेन सड़क पर वह व्यापारी धूं–धूं करके गाड़ी में ही जलकरके मर जाता है। मेरे क्षेत्र बांसडीह विधान सभा क्षेत्र में एक व्यापारी को 07 बजे शाम को दबंगों ने गोली मारी, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यह सुशासन की सरकार है? मड़ियांव और आलमबाग में तीन महिलाओं से चेन लूट 10–04–2017, मोहनलालगंज में क्लासिक मैनेजमेंट प्राइवेट कम्पनी ने चिट कर निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पे, पी0जी0आई0 थानाक्षेत्र से 500 मीटर की दूरी पर स्कार्पियो सवार बदमाशों ने रविवार को फायर कर ड्राइवर अजय पटेल से छीनी कार, मेन रोड, वी0आई0पी0 इलाका। मोहनलालगंज में 11–04–2017, दबंगों ने घर में घुसकर असलहे के बल पर महिला से किया दुराचार, असलहे के बल पर? कितना भारी गुण्डागर्दी? सोशल ट्रेडिंग साइट पर लाइक्स के नाम पर 1000 करोड़ रूपये की ठगी। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि यहां बहनें भी हैं इसलिए बहुत खोलकर नहीं कह रहे हैं लेकिन मजबूरी है।

(सत्तापक्ष से एक महिला सदस्य ने कहा कि हाई–वे पर जो मां–बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, उसे भूल गये।)

वह भी बता दे रहे हैं कि इलाहाबाद में दो बहिनों के साथ सामूहिक गैंगरेप और पूरे परिवार का कत्ल, यह भी बता रहे हैं। केवल दो–तीन बच्चा और बच्ची जो परीक्षा देने गये थे वह बच गये। इन बच्चा और बच्ची को छोड़कर चार–पांच लोग जो परिवार में थे दोनों बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद माता–पिता, बेटा–बेटी पूरे परिवार की हत्या कर दी गई यह सुशासन है श्रीमन् (शेम–शेम की आवाजें) 14–04–2017 को गोसांईगंज में राधाकृष्ण मंदिर से दिनदहाड़े लूटी अष्टधातु की मूर्तियां। भगवान की मूर्ति लूट ले गये। एक तरफ हम भगवान का मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ इसी राज्य में भगवान की मूर्ति लूटी जा रही है। 14–04–2017 गोण्डा मनकापुर मे मछली गांव स्थिति करोहानाथ मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश दुबे को बदमाशों ने मारी गोली। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर इंजीनियर शान्तनु गुप्ता व कार चालक की हत्या कर इनोवा व कीमती सामान लूटे। 14–04–2017 रिटायर इंजीनियर राम आसरे वर्मा के घर पर लाखों की चोरी। लखनऊ में पारा क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने आलमबाग निवासी राजकिशोर की पत्नी सूरत वर्मा से चेन लूटी। 14–04–2017 वृन्दावन कालोनी सेक्टर–12 में मधु उर्फ नीलम की गला घोटकर हत्या। 15–04–2017 गोमतीनगर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला करके जो होता है। अब शर्म लग रही है यह सब बात कहने में। दुष्कर्म (सत्ता पक्ष की ओर से शोर) यह तो मैं डेट बतला रहा हूं। 15–04–2017 आलमबाग के कनौरा प्लाईवुड फैक्ट्री में एक मजदूर जगदीश की हत्या। 15–04–2017 लंका क्षेत्र के सीरगोवर्धन स्थित डाफी वाई पास के किनारे एक युवक को जिन्दा आग के हवाले करके मार डाला।

15–04–2017 गाजियाबाद में प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका संगीता को दहेज के लिये जिन्दा जलाया। 15–04–2017 को लखनऊ से ट्रैक्टर ले करके झांसी जा रहे कम्पनी के कर्मचारियों को पनकी हाई वे पर बदमाशों ने पीट कर टैक्टर लूटा। 15–04–2017 घुघते थाना क्षेत्र दीनपनाह निवासी 16 वर्षीय शौच गई किशोरी से दुष्कर्म।

श्री अध्यक्ष–

यह बीस पन्ना है, अभी कितने हुए?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अब सुनिये। मैंने जब कहा कि जब से यह सरकार आई है यह सुशासन की क्योंकि यह तो देव लोक से आये हैं। यह जब वोट मांगने गये तो लोगों को समझाये कि हमारे शासन करने वाले देव लोक से आयेंगे। अब गांव में लोग एक दूसरे से पूछ रहे है कि भैया जी लोग देव लोक से आये धरती पर रहने वाले लोगों को किसी देव लोक में भेजने का काम किया। अगल–बगल वालों से पूछ रहे हैं। (सत्ता पक्ष की ओर से शोर) और इन्होंने देव लोक से आ करके इस धरती पर जो हम लोग रहने वाले हैं मां धरती पर, इसको इन्होंने लूट, डकैती, बलात्कार, छिनैती, चोरी से इस धरती को शर्मशार कर दिया सब देव लोक से आने वाले लोगों ने (विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) इसलिये श्रीमन फिर मैं आगे बढ़ता हूं। (सत्ता पक्ष की ओर से शोर) 16–04–2017 वाराणसी में सथवा गांव में शनिवार को एक युवती की हत्या, रेप की आशंका। 16–04–2017 गांव धनेशरापुर में दिव्यांग की पीट–पीटकर हत्या। 17–04–2017 सआदतगंज क्षेत्र के यासीनगंज निवासी अमजद अली सिद्दकी के घर पर मकान का ताला तोड़कर लाखों रूपये के जेवर चुराये। 17–04–2017 राणा प्रताप मार्ग से रविवार को युवती प्रिया से मोबाइल फोन लूटकर भागे बदमाश 18–04–2017 को मैनपुरी में आगरा गेट की पुलिस चौकी में एक महिला अनीसा की पिटाई, जान बचाकर भागी तो उस दौरान कुन्नू ने रिवाल्वर से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, एक महिला थाने पर अपना दुख बताने गई और थानेदार को अपना दुख सुना रही थी।

एक मा0 सदस्य–

मान्यवर, हम यहां अपराधों की सूचना प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं सदन का समय जाया न किया जाए हम लोग यहां कुछ सीखने आए हैं।

(शोर)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यह अखबार नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष अपना भाषण जारी रखें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

महिला अपना दुख सुनाने गई दरोगा से और उसी थाने में उसको गोली मार दी गई यह सुशासन राज्य है मान्यवर, राजधानी में एक महिला का अश्लील वीडियो बनाकर

वसूले बीस लाख रुपये। 18–04–2017 को माल क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्ष की किशोरी को पेड़ से बांधकर किया दुष्कर्म, 19–04–2017 को हजरतगंज के दो एटीएम से क्लोनिंग बनाकर 80 ग्राहकों के खाते से रकम उड़ाई।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें अपने स्थान पर, नेता प्रतिपक्ष को बोलने दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

19–04–2017 आगरा गेट क्षेत्र में रहने वाली अनीसा बेगम की पुलिस चौकी के सामने गोली मारकर हत्या। 20–07–2017 गुरूबक्शगंज थाना क्षेत्र में ग्राम मुनीरगंज मजरे कोरिहर से गायब चार वर्षीय बालिका से दुराचार के बाद गला दबाकर हत्या, 20–04–2017 शाहजहांपुर थाना तिलहर क्षेत्र के गांव कल्याणपुर नवदिया में रुबी सिंह के घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, 21–04–2017 हुसैनगंज में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को अगवा कर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर युवक से सात हजार लूटे, 21–04–2017 हाथरस गांव रहना में 40 वर्षीय किसान देवकीनन्दन की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया, 22–04–2017 इन्दिरानगर के मानस विहार स्थित सेठ ज्वैलर्स में ग्राहक बनकर बदमाशों ने उड़ाए पांच लाख 80 हजार के जेवर, जहां वकील साहब कह रहे माननीय सदस्य बनारसी, उत्तर प्रदेश के इतिहास में मान्यवर, दस करोड़ से ऊपर की डकैती कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई जो बनारस में हुई। यह किसी पर आरोप नहीं है गुण्डे बदमाश चोर डकैत किसी के होते नहीं हैं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष का विचार भाषण शालीनता के साथ सुनिए। जब आपका अपना अवसर आएगा तो उस समय प्रतिवाद कर लेना।

(शोर)

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अघ्यक्ष–

आप लोगों को अवसर मिलेगा। उस समय सारी बातों का उत्तर दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अभी–अभी लखनऊ का जो वी0आई0पी0 इलाका है वहां पर मीराबाई गेस्ट हाउस के सामने एक आई0ए0एस0 अफसर की लाश मिली है। जो 2007 बैच का आईए0एस0 अफसर था। श्रीमन् हमारे कहने का मतलब यह है कि हमने कहा था कि सरकार इकबालों से चलती है अगर इतना भारी बहुमत लेकर अगर इकबाल न हो तो यह प्रदेश चलाने में बिल्कुल विफल हैं। नेता सदन ने कहा था कि जो लोग यह सब करते हैं उनको हम सब लोग जानते हैं तो नेता सदन को बताना चाहिए कि कौन डकैती कर रहा है कौन बलात्कार कर रहा है कौन छिनैती कर रहा है कौन चोरी कर रहा है जब यह सब जानते हैं तो उन लोगों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई। माननीय नेता सदन ने कहा कि कौन नहीं जानता कि अपराधी घटनाएं कौन रहा है हम नहीं जानते हैं उनको जानकारी होगी वह सन्त हैं हो सकता है कि उनको आभास हो गया हो ज्ञानी हैं यह एक चिट्ठी है बिना दस्तखत की है उसमें हमारे एक विधायक को जान से

मारने की धमकी दी गई है। अगर आपकी अनुमति हो तो मै। वह चिट्ठी पढ़ दूं नहीं तो मेज पर प्रस्तुत कर दूंगा। इसमें वह आदमी गिरफ्तार भी हुआ है इसमें लिखा है जय मोदी, जय योगी, भाजपा जिन्दाबाद, आ0एस0एस0 जिन्दाबाद, हिन्दू वाहिनी जिन्दाबाद। इसमें लिखा है कि कृपया इस पत्र को पढ़कर जला देना नहीं तो तुम्हारे लड़के को भी मारेंगे। यह मैं आपके पास भिजवाए देता हूं आप इसकी जांच करवा लें। हम लोगों ने राजनीति में जय प्रकाश नारायण जी के साथ काम किया है, चन्द्रशेखर जी के साथ काम किया है हम लोग महान समाजवादी आन्दोलन से निकलकर आए हैं आप लोग राजनीति में सुशासन देने के नाम पर आए लेकिन आज जनता कराह रही है रोज डकैती हो रही है, लूट हो रही है छिनैती हो रही है आज कोई अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है व्यापारी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है शादी ब्याह के दिन हैं लेकिन डकैती लूटमारी के कारण सुनार अपनी दुकानें खोलने से कतरा रहे हैं शादी ब्याह बन्द होने के कगार पर आ गए हैं।

मान्यवर, 21–04–2017 को हाथरस के गांव रहना में 40 वर्षीय किसान देवकीनंदन की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया। 22–04–2017 को लखनऊ के इंदिरा नगर के मानस बिहार स्थित सेठ ज्वैलर्स में ग्राहक बनकर बदमाशों ने 5.80 लाख के जेवर लूटे। 23–04–2017 को नोयडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची की अपहरण के बाद हत्या। 24–04–2017 को इलाहाबाद के मुट्ठीगंज मे मसाला व्यापारी बबलू जायसवाल के घर पर रविवार की रात चोरों द्वारा स्प्रे मारकर लाखों की ज्वेलरी लूट कर फरार। 25–04–2017 को लखनऊ के गुडम्बा में मिश्रपुर डिपो के पास सोमवार सुबह नगरीय बस में सवार चार छात्रों ने चालक और परिचालक के साथ मारपीट कर नकदी लूटकर फरार। 25–04–2017 को लखनऊ के केशवनगर पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर लाखों लीटर पानी की खुलेआम कालाबाजारी। जनपद चंदौली मुगलसराय में विधायक साधना सिंह से 10 लाख फिरौती मांगी गयी। हमारे विधायक से सपा के विधायक से फिरौती मांगी गयी, पैसा दो नहीं तो जान से तुमको मार देंगे और तुम्हारे परिवार को मार देंगे। यह सुशासन है। समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी भी गुण्डे बदमाश की हिम्मत नहीं थी।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

दिनांक 23–04–2017 सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची की अपहरण के बाद हत्या, 25–04–2017 गुडम्बा में मिश्रपुर डिपो के पास सोमवार सुबह नगरीय बस में सवार चार छात्रों ने चालक और परिचालक के साथ मारपीट कर नकदी लूटकर फरार।

(सत्ता पक्ष की एक महिला सदस्य के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, 25–04–2017 को लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में दिनांक 02–09–11, 17 व 21 को चोरी व टप्पेबाजी की कई घटनाएं हुईं जिस पर स्थानीय पुलिस किसी भी घटना का खुलासा करने में नाकाम। 25–04–2017 को इलाहाबाद में

शहर से करीब 25 किमी0 दूर नवाबगंज के सहावपुर में रविवार बदमाशों ने रात घर के भीतर घुसकर परचून के दुकानदार मक्खनलाल गुप्ता की दोनों बेटियों के साथ बलात्कार कर व्यापारी की पत्नी और दोनों बेटियों समेत हत्या कर फरार। पूरे परिवार की हत्या कर दी गयी।

(इस समय 1 बजकर 32 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 राधामोहन दास अग्रवाल पीठासीन हुए।)

25–04–2017 को नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने स्टेलर पार्क आपार्टमेंट के गेट के पास दो लोगों से आईफोन लूट कर फरार। 26–04–2017 को लखनऊ के चिनहट स्थित बाधामऊ गांव में हथियारों से लैस बदमाशों ने एक ग्रामीण के घर धावा बोलकर गहने व नकदी उड़ा दी। 26–04–2017 को चित्रकूट के राजापुर थानाक्षेत्र के अमवां व सिकरी गांव में मंगलवार दोपहर बोरों में मिले चार बच्चों के शव, पुलिस के अनुसार चारों की गला रेत कर की गयी हत्या। मा0 अध्यक्ष महोदय, इस तरह के जघन्य अपराध के छोटे–छोटे 04 बच्चों का अपहरण करके जब फिरौती की रकम नहीं मिली तो उन चारों बच्चों को गला रेत करके बोरे में भरकर फेंक दिया गया। 26–04–2017 केजीएमयू, लखनऊ के गेट पर चाय विक्रेता इंद्रपाल की हत्या। 27–04–2017 को लखनऊ के तेलीबाग में कारपोरेशन बैंक के सामने बुधवार सरकारी ठेकेदार कैलाश नाथ यादव की इनोवा गाड़ी से साढ़े चार लाख रूपये की लूट। 27–04–2017 को लखनऊ के तेलीबाग निवासी जसीम अहमद पीजीआई में टेक्नीशियन के खाते से फोन कर बैंक अधिकारी बताकर 24000 रूपये की लूट की गयी। दिनांक 27–04–2017 लखनऊ, राजाजीपुरम्, बाइक सवार बदमाशों ने बुधवार को दिनदहाड़े प्रधानाध्यापिका यासमीन का पर्स छीनकर फरार, 28–04–2017, बागपत, बड़ौत–छपरौली मार्ग पर गुरूवार सुबह हथियारबंद बदमाशों ने छत्राओं से भरी बस को किया हाईजैक, 29–04–2017 चिनहट क्षेत्र में गुरूवार रात एक युवती को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म, 29–04–2017 को जानकीपुरम्, कृष्णानगर, सआदतगंज व गुडम्बा में पांच मकानों में लाखों की चोरी, 30–04–2017 को लखनऊ के निगोहां में जालसाजों ने ए0टी0एम0 कार्ड का क्लोन बनाकर उड़ाये 57000 रूपये।

श्री मो0 आजम खां–

मान्यवर, शायद यह पहली बार है, आपको याद हो, आप काफी अर्से से हैं यहां और सबसे उच्च स्थान पर बैठे हैं। शायद पहली बार ऐसा हुआ हो कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हों, और माननीय अध्यक्ष सदन में न हों। यह अच्छी परम्परा नहीं है। ताकत सबको मिलती है, लेकिन यह ताकत का गलत इस्तेमाल है। माननीय अध्यक्ष को यहां होना चाहिये। नेता सदन को भी होना चाहिये था और माननीय अध्यक्ष को भी होना चाहिये था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेता सदन न हों और नेता प्रतिपक्ष बोलें। अब अगर ऐसी परम्परा डाली जाये कि जब नेता सदन बोलें तो नेता प्रतिपक्ष न हों तो यह भी अच्छा नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप हमारी बात सुन लें। माननीय नेता प्रतिपक्ष जब अपनी बातें शुरू कर रहे थे तो यह आपत्ति उनको उस समय करनी चाहिये थी। अगर उस समय यह कह रहे होते कि नेता सदन यहां नहीं हैं और मैं अपनी बातें नहीं शुरू करूंगा तो इसका एक

तर्क समझ में आता था। एक बार जब आपने नेता सदन की अनुपस्थिति में अपनी बातें शुरू कर दीं तो।

श्री मो0 आजम खां–

इसी तरह से सदन का स्तर गिरेगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आप हमारी पूरी बात आ जाने दें, बात सुन लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं तो अपना भाषण इसलिये करूंगा कि हम लोग सत्तापक्ष के गरूर को समझ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मै आपकी बातें पूरी तरह से समझ रहा हूं। आपकी बातें यहां तक पहुंच चुकी हैं। आप इसका समाधान भी पाने वाले हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि जब आपने भाषण शुरू किया तो यह आपत्ति आपको उस समय देनी चाहिये थी, जिससे सही स्थान पर वह पहुंचती। फिलहाल आपने दिया है, जहां पर उसे पहुंचना है, वहां पहुंच चुकी है।

(श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य द्वारा खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर बैठ जायें। यह आपका अधिकार नहीं है, आप बैठिये। यह कोई तरीका नहीं है। यह सदन नियमों से चलेगा जब तक मैं यहां हूं। माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष के भाषण पर हर समय आपको खड़े होकर बोलने का अधिकार नहीं है। आप बैठिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय नेता सदन में अभी आ रहे हैं। एक जरूरी मीटिंग में चले गये थे। सोचा यह था कि शायद डेढ़ बजे से भाषण शुरू होगा। इस वजह से ऐसा हो गया। माननीय नेता सदन अभी आ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदस्यों से आग्रह करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष को अपनी बातें कहने का अधिकार है, जब तक कि वह संसदीय मर्यादाओं के विपरीत न हो। आप उन्हें सुनें और जब आपका मौका आये तब आप उसका विरोध करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, दिनांक 30–04–2017 मुजफ्फनगर, मंसूरपुर में शुक्रवार बदमाशों ने घर में लूटपाट के बाद हत्या, 01–05–2017 लखनऊ, मड़ियाऊ थाने से महज दौ सौ मीटर की दूरी पर सैय्यद मोहम्मद मंजर, प्रापर्टी डीलर की कार पर बम से हमला, 01–05–2017 लखनऊ के गोमती नगर निवासी बुजुर्ग गिरीश चन्द्र त्रिपाठी को धमकाकर गाड़ी छोड़ने के लिए ट्रैफिक के सिपाही ने वसूले पन्द्रह हजार रुपये, 08–05–2017 कृष्णानगर स्थित स्काई हिल्टन होटल में शनिवार रात पेशेवर शूटर हत्यारे द्वारा एक महिला मोनिका की गोली मारकर हत्या, 08–05–2017 सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में शोभायात्रा में ठाकुरों और दलितों में हुए संघर्ष के विवाद के चलते शब्बीरपुर गांव

के करीब 40 दलित परिवारों के घरों में लगाई आग। 09–05–2017 गोमती नगर में प्रापर्टी डीलर चमन लाल दिवाकर के घर बदमाशों ने धावा बोलकर 17 लाख रुपये लूटे। 09–05–2017 बेखौफ बदमाशों ने वजीरगंज में शहीद स्मारक के पास शिक्षक को घायल करके नकदी लूटी। आशियाना में बीआर सिंह की पत्नी से चेन छीनी। इन्दिरानगर में जेठानी रीता से बाइक सवार बदमाशों ने पर्स छीना गोमती नगर के विविध खण्ड–2 के निवासी वकील मनीष की मां से बाइक सवार बदमाशों ने छीनी चेन। गोमती नगर के विवेक खण्ड में रियल एस्टेट कारोबारी चमन लाल दिवाकर के घर में डाका डालकर 15 लाख के जेवर व 2.5 लाख रूपए की लूट। 10–05–2017 गोसाईगंज सरांय करोरा मोहल्ले में बदमाशों ने दिलीप कनौजिया के मकान का ताला तोड़कर 3 लाख की चोरी की। 11–05–2017 सहारनपुर हिंदुस्तान, सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में शोभायात्रा में ठाकुरों और दलितों में हुए संघर्ष से तनाव बरकरार 22 गिरफ्तार। 11–05–2017 को गोण्डा तोरबगंज थाना क्षेत्र के बेलसर कस्बे में बुधवार दोपहर दो समुदाय के लोग आमने–सामने आ गये। उपद्रवियों ने जमकर बरसाये पत्थर तनाव बरकरार। ये तो मैंने केवल एक झलक दिखलाया श्रीमन् सदन के मा0 सदस्यों के सामने। ये सुशासन के सवाल हैं। दूसरा श्रीमन् ये सरकार संज्ञान शून्य है कोई इनका ऐम नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है कि आखिर में करना क्या चाहते है। हड़बड़ी में है क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा हैं। हर चीज की जांच। जनता ने भेजा था इनको अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये हो गये सरकारी इंस्पेक्टर। यहां जांच। वहां जांच। जनता ने भेजा है गरीबी दूर करने के लिए। भूख दूर करने के लिए। कपड़ा और मकान के लिए। सिंचाई के लिए। खाद्य के लिए बीज के लिए। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए। ये आये तो उठा लिए झाडू। दफ्तर की चैकिंग। गांव के गरीब के पेट की चैकिंग नही उसका लड़का दवा के अभाव में घुट–घुट कर मर रहा है इसकी चिंता नहीं है। टी0वी0 में झाडू लगाने का शौक। दफ्तर की चैकिंग करने का शौक। माननीय अधिष्ठाता महोदय और दबाव इतना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अगर इसी तरह से दबाव बनता रहा तो चाहे सत्तापक्ष हो या विपक्ष हो किसी विधायक की प्रतिष्ठा बचने वाली नहीं है पूरे प्रदेश में महिलाएं गांव के भीतर जो शराब की दुकानें खोली जा रही हैं उससे उद्वेलित हैं क्योंकि परेशान तो उन्हीं को होना होता है। हमारे क्षेत्र में भी इसी तरह की घटना में महिलाओं को पुलिस लाठी मारकर भगा रहीं है और आपके सामने सज्जन संसदीय कार्य मंत्री जी कि बोरापुर में एक गांव में महिलाएं शराब की दुकान खोलने के लिए प्रदर्शन कर रहीं थीं। उस क्षेत्र के विधायक को फोन किया गया वह दूसरी मीटिंग में थे। मीटिंग के बाद गये अभी उन महिलाओं से वार्ता ही कर रहे हैं तब तक एक एस0एस0पी0 ने विधायक के सम्मान के खिलाफ बर्ताव किया और ऐसा विधायक जो इस सदन का वरिष्ठ और संसदीय परंपराओं का प्रकाण्ड विद्वान सदस्य उनका नाम था राधा मोहन अग्रवाल।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 नेता प्रतिपक्ष। मैं यहां बैठा हूं। यह विषय इसलिए नहीं उठाना चाहिए क्योंकि मैं फिलहाल अपना पक्ष वहां जाकर नहीं रख सकता। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आगे बढ़ें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आपको इसका कोई संज्ञान भी नहीं लेना चाहिए। यह जो घटनायें घटी हैं जो मान–अपमान हो रहा है। एक विधायक का अपमान और गोरखपुर में ही दोनों विधायक का अपमान। और संसदीय कार्य मंत्री जी आप विधान सभा के बहुत पुराने सदस्य हैं।

(सत्ता पक्ष के एक सदस्य द्वारा यह कहे जाने पर कि जब उपेन्द्र जी के साथ यह हुआ था तब आप उनके साथ नहीं थ`?)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आप पूछ लीजिएगा कि उस समय मैं उपेन्द्र जी के साथ था। उस समय हम लोग उपेन्द्र जी का साथ दिये थे। एक बात बता रहा हूं। हम लोग विपक्ष में थे। सत्ता पक्ष में कांग्रेस पार्टी थी। एक डा0 कैलाश टण्डन जी जीतकर आये थे। बनारस के प्रतिष्ठित आदमी थे। उनको भी पुलिस ने बेइज्जत किया था और उनके मामले पर भी पूरा सदन एक हो गया था। सदन की गरिमा है मा0 सदस्यों की गरिमा है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। सदस्य, सदस्य है उसका विशेषाधिकार है। और जिस दिन मा0 सदस्यों की प्रतिष्ठा पर विशेषाधिकार पर हमला होगा तो सदन में हमारे आपके बैठने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। श्रीमन, इस सरकार ने आज तक क्या किया है। सरकार एक काम बता दें कि जिस दिन से सरकार बनी है हमने जनता के हित में यह निर्णय लिया है। एक निर्णय लिया कर्जमाफी का वह भी विरोधाभास की भेंट चढ़ा हुआ है। बिजली के क्षेत्र में एक भी काम इस सरकार ने नहीं किया है। मा0 श्रम मंत्री जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी यहां गवाह हैं। मैं दावे के साथ इस सदन में कहता हूं कि बिजली के मामले में पिछली सरकार में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने पांच साल में जितना बिजली के लिए काम किया है उतना आप दूसरी बार भी आयेंगे तो उतना काम नहीं कर पायेंगे और मार्च 2016 में ही यह हो गया था कि शहर को 20 घण्टे गांवों को 18 घण्टे हम बिजली देंगे और श्री अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा था कि अगर हमारी 2017 में पुनः सरकार बन जाएगी तो दो महीने के अंदर 24 घण्टे शहर और गांव दोनों को बिजली देने का काम करेंगे। आप हमारे काम को गिना रहे हैं। मान्यवर, कोई ऐसी धार्मिक नगरी नहीं जिसमें हमारी सरकार ने 24 घण्टा बिजली देने का काम न किया हो। वकील साहब जिस क्षेत्र से आप आये हैं उस क्षेत्र के वर्तमान विधायक को उस क्षेत्र का टिकट क्यों नहीं मिला। बिजली ही समस्या है। बिजली के लिए धरना पर बैठ गये। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया उसको पूरा किया और बिजली की समस्या का समाधान कराया। उसी क्षेत्र से आप आये हैं। आप मा0 मंत्री हैं उसी क्षेत्र से आप विधायक हैं। बिजली के क्षेत्र में हमने काम किया आपने तो कुछ किया ही नहीं। क्या किया, जे0पी0 ट्रस्ट की जांच। लोक नायक जय प्रकाश नारायण आजादी की लड़ाई के 1942 के हीरो थे और वही लोक नायक जय प्रकाश नारायण जब देश में लोकतंत्र पर खतरा आया, देश में तानाशाही की बू आने लगी। छात्रों ने अपनी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर जब देश में आन्दोलन शुरू किया और लोक नायक जय प्रकाश नारायण से आग्रह किया कि हम छात्र, नौजवानों की अगुवाई करें। जय प्रकाश जी ने अगुवाई की और उस बार देश के छात्र, नौजवानों ने इतना जबर्दस्त आन्दोलन किया कि लोकतंत्र पर जो काले बादल मंडरा रहे थे, संविधान को पंगु करने का प्रयास किया गया था, उस लोकतंत्र के महान नायक लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी की स्मृति में जो माननीय अखिलेश यादव ने जो बनाया है, उसकी हम जांच करेंगे। गंगा

सफाई के नाम से 10 साल से आज तक कुछ हुआ नहीं और गोमती की सफाई के लिए मा0 अखिलेश यादव ने अभियान चला दिया, इसका प्रमाण है तो हम जांच करेंगे। देश और दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेस–वे आगरा से लखनऊ तक बना दिया अखिलेश यादव ने, जांच करायेंगे। आप जांच करें, लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, राम गोविन्द चौधरी और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी घबराने वाली पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी संघर्षो की कोख से पैदा हुई है। अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, अच्छी बात, अच्छे विचार का केवल नारा देकर सत्ता में नहीं आये। समाजवादी हमेशा अपने संघर्ष से अपनी राजनीति में आता है और हमेशा दबे, कुचले, गरीब, असहाय, निसक्त लोगों की सेवा और भलाई करने के लिए सरकार में आता है। आपने क्या किया ? मैं चुनौती देता हूं कि जो माननीय अखिलेश यादव ने आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस–वे बनाया है, पांच साल टर्न है, समाजवादी एक्सप्रेस योजना पर लखनऊ सुल्तानुपर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया होते हुए जो जा रही है, 40 प्रतिशत जमीन खरीद ली गयी है। टेण्डर उसका हो गया, आज तक किसी कैबिनेट में उस पर चर्चा तक नहीं हुई, सरकार काम कर रही है, सड़कों को गड्ढा मुक्त कर रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, गांव के गरीबों, जिनके पास आवास नहीं, उन्हें बनाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, लोहिया समग्र विकास योजना के तहत हमारी सरकार ने गांवों के सम्पूर्ण विकास का निर्णय लिया था जिसमें एक–एक गांव में सारी समस्याओं के समाधान की योजना थी, उस पर भी कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई। हर गांव को 40 लाख रुपये से सी0सी0 रोड बना करके गांव को विकसित करने की जनेश्वर योजना, उसकी कोई चर्चा नहीं है। क्या करेंगे आप ? इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, अधिष्ठाता महोदय कि सरकार संवेदन–शून्य है, हो क्यों नही ? अन्दाजा भी नहीं था और आपके छल, प्रपंच और बहकावे में इतना भारी बहुमत मिल गया। हम क्या करें, कहां जायें, माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर कानून–व्यवस्था की स्थिति यही रही, विकास की रफ्तार यही रही, जनता की समस्याओं के समाधान में कोई दिलचस्पी नहीं हुई तो यह तो मौर्या जी बैठे हैं, नेता विपक्ष थे, ये हमेशा इस बात को कहते थे कि अरे घबराइये मत, हम उधर आयेंगे, आप उधर आयेंगे। हो गया, लेकिन आपकी पार्टी नहीं, आप खुद उछल कर चले गये। आप गिरह मार कर गये, आपकी पार्टी नहीं सरकार में थी, लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके सामने कहता हूं कि अगर योगी जी का आशीर्वाद रहा और यही सरकार का काम रहा तो 325 तो क्या 350 सीटें समाजवादी पार्टी लाकर के अपनी सरकार यहां पर बनायेगी।

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

(सत्ता पक्ष से आवाज आई कि आप सपना देख रहे हैं।)

समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनायेगी, आप फेल हो गये। देश ने साइनिंग इण्डिया को देखा है, गरीबी मिटाने के नाम पर कोई काम नहीं, गरीबों के मकान बनाने पर कोई काम नहीं, नई टेक्नालोजी में छात्र और नौजवान बेकार होते जा रहे हैं और यह नारा लगता है हमेशा देश में कि बेरोजगारों को काम दो या बेरोजगारी भत्ता दो। हमारी सरकार जब यहां थी, हमने बेरोजगारी भत्ता भी दिया।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्य एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे
जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गयी।)

आप लोग यह समझ लीजिए कि नेता सदन को भी बोलना है, हम लोग अनुशासित हैं, हम लोग यह काम नहीं करेंगे जो आप लोग कर रहे हैं, अगर आप लोग नहीं मानेंगे, अगर नेता विरोधी दल का भाषण नहीं सुनेंगे, तो फिर मा0 नेता सदन का भाषण कौन सुनेगा। आप अकेले सुन भी लोगे तो क्या करोगे। यह धमकी नहीं है, यह सलाह है, यह परम्परा है इस विधान सभा की कि जब नेता सदन और नेता विरोधी दल बोलें तो टोका–टोकी नहीं होनी चाहिए। यह अभिभाषण पर चर्चा है, जिन मा0 सदस्यों को हमारी बात पर ऐतराज हो, वह अपने समय पर अपनी बात कह सकते हैं। अगर नेता सदन की बातों पर टोका–टोकी हो जायेगी तो मजा ही किरकिरा हो जायेगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसी को डरा करके पांच साल का टाइम है, बहुत बड़ा टाइम नहीं है, इसी तरह से हम लोगों को भी लगता था कि हम लोग सत्ता से जाने वाले नहीं हैं और आपके सामने नतीजा है और यह परम्परा है कि आप भी इधर आओगे, हम उधर जायेंगे और फांद कर नहीं मौर्या जी के जैसा, पूरे दल के साथ जायेंगे। गरीबी पर कोई बात नहीं, जब से देश आजाद हुआ है श्रीमन् जो भी पार्टियां सत्ता में आई हैं, देश से गरीबी को दूर करने की बात कही हैं, लेकिन गरीब अभी गरीब है, बेसहारा अभी बेसहारा है, आज भी कम से कम 45 परसेण्ट ऐसे लोग हैं जिनके पास छत सिर ढकने के लिए नहीं है, टूटी मड़इया में रहते हैं, इस सरकार से मेरी मांग ह ैकि एक ऐसी योजना बनाये कि अब जो भी बिना घर के लोग बचे हैं, उनको घर मुहैया करा दिया जाए। बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था हो, मैं कह रहा था, एक रुपया, दो रुपया, दस रुपया, जो भी दिया, कम से कम उस प्रक्रिया को तो लाये मा0 मुलायम सिंह यादव जी और मा0 अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता तो दिया और इस सदन के इतिहास में जितनी नौकरी मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार ने दिया है, 15–20 वर्षों के अन्दर किसी सरकार ने उतनी नौकरी नौजवानों को देने का काम नही किया है। मैं बेसिक शिक्षा मंत्री रहा था, हर विभाग में, बेसिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में, अल्पसंख्यक विभाग के जो मदरसे हैं उनमें, हर जगह नौकरी मिली, हर विभाग में नौकरी मिली, पुलिस में मिली, नगर विकास में मिली, ग्राम्य विकास में मिली, नौकरी का हम लोगों ने पूरा चयन आयोग बना दिया था, सबको नौकरी मिल रही थी। ये रिकार्ड है कि कितने लोग नौकरी पाये हैं। जांच करा लीजिए कि 2012 से 2017 के बीच में हर विभागों में कितने लोग नौकरी में आये हैं। बल्कि आप क्या कर रहे हैं, नगर विकास में वान्ट निकला, लोग चयनित होकर आ गये, जब ज्वाइन करने की प्रक्रिया चली और चुनाव आ गये और नगर विकास मंत्री जी, वे लड़के अब घूम रहे हैं उनको कम से कम ज्वाइन तो करा दीजिये। कोई ज्वाइन कराने को तैयार नहीं है। कृषि के मामले में कोई बीज नहीं है पहले भाषण मे सम्पूर्ण कर्जा माफ हुआ, गरीबी दूर। अरे, गांव में जाकर इनके लोग गरीबों से कहते थे, एक बार हो जाता है, 15 लाख रुपये नहीं मिला तो अब कि जिताओ गरीबों को ढ़ाई लाख रुपया जरूर आयेगा इसलिए नोटबन्दी की गयी थी। 15 लाख देखते–देखते आंख पथरा गई लोगों की, अब ढ़ाई लाख को भी हम देखते हैं। असली ऋण आपने माफ किया और जिस दिन माफ होगा उस दिन पता भी प्रदेश के किसानों को चलेगा। हमने भी माफ किया था, महान समाजवादी नेता समाजवादी चिन्तक श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था जब 1989 में उनकी सरकार बनी तो किसानों का 10 हजार रुपये कर्जा माफ करने का सबसे पहले इस उत्तर प्रदेश में कोई लाया तो महान समाजवाादी चिन्तक समाजवादी नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने लाया और उसके बाद जब उनके सपूत श्री अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में

जारी किया था कि जो उत्तर प्रदेश की बैंक से जो हमारी बैंक है, विकास बैंक, कोआपरेटिव बैंक से जो किसान कर्जा लिया होगा हम 50 हजार रुपया कर्जा माफ करेंगे। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान के अन्दर रिकार्ड है चाहे किसी भी स्टेट की सरकार यहां तक की केन्द्र की सरकार ने कभी इस तरह का निर्णय नहीं लिया कि उत्तर प्रदेश का किसान अगर अपने खेत में सरकारी नहरों से सिंचाई और सरकारी ट्यूबबेल से जो खेत की सिंचाई करेगा उसका एक पैसा, लगान नहीं लगेगा। हमने कर्ज भी माफ किया, सिंचाई भी फ्री कर दिया और आप इतने से कर्ज माफ में कह रहे हैं कि हमने कर्ज माफ कर दिया। हमने किसानों को खाद, बीज के लिए कभी लाइन में खड़ा होने के लिए मजबूर नहीं होने दिया। 1912 से 2017 के बीच खाद और बीज के लिए कहीं लाठी चली हो तो बताइये। माननीय अध्यक्ष महोदय यह जनता हमें यहां चुनकर भेजती है। समस्याओं का समाधान करने के लिए और मा0 सदस्यगण यह जो हम बात कह रहे हैं, यह पक्ष और विपक्ष के लिए नहीं कह रहे हैं, हम जनता के लिए कह रहे हैं और इतना जो आप हो–हल्ला कर रहे हो तो जब जनता जाएगी। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे गांव में एक आदमी व्यक्ति थे, आप जानते हैं कि अन्धे व्यक्ति को ज्ञान बहुत होता है। उनके घर एक सयाना लड़का था, वही उनको नित्यकर्म कराता था। गांव में भागवत हो रही थी वह सुनने चला गया था। उनको बड़ी तेज लघु शंका लगी हुई थी, वह बड़े परेशान कि कहां गया, कहां गया ? जब लड़का वापस आया तो उन्होंने पूछा कि कहां थे भाई हमको लघु शंका लगी है। लड़का बोला कि बाबा भागवत सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कथा कहां हो रही ह ै? लड़का बोला शिव जी के मन्दिर पर पीपल के पेड़ के पास। उन्होंने कहा कि नहीं, कथा हो कहां रही है ? लड़का बोला, आप तो अन्धे हैं, आपको कौन समझाए साहब, वहीं शिव जी के मन्दिर पर पीपल के पेड़ के पास तो उन्होंने कि बचवा मैं ई बात नहीं कह रहा हूं, बताओ कथा का प्रसंग क्या चल रहा ह ै? लड़का बोला, नही ई तो हम नहीं जानते है। जब आप कथा का प्रसंग नहीं जानेंगे और इतना छाती जो आप यहां पीट रहे हैं तो जब क्षेत्र में जाएंगे तो वहां लोग छाती पर धक्का भी देते हैं। इसलिए सत्ता के बल पर जनता के हितों की बात को झुठलाने का प्रयास सदन में कभी नहीं होना चाहिए। श्रीमन् हमने जो काम शुरू किया था, हमारी सरकार ने शुरू किया था उसी काम को इसमें इन्होंने समाहित करके ढिंढोरा पीटने का काम किया है और इनका पांव उन्नीस तक चलेगा। गाय, गंगा, गौकशी, गाय सफाई,

(सत्ता पक्ष के एक सदस्य द्वारा गायत्री बोले जाने पर)

हां, गायत्री भी, वह तो गए, वह भी चलेगा। आज एक गाय चली है। अगर आज कोई गाय खरीद कर भी एक गांव से दूसरे गांव ले जा रहा है तो आज जो नए गौ–सेवक उग आए हैं, गौ–सेवक एकदम देवलोक से उग आए हैं वे उसे एकदम जान से मारकर खत्म कर दे रहे है। अगर जान से खत्म नहीं हो रहे हैं तो अंग–भंग हो जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, हर गांव में ऐसे 10 परसेण्ट आदमी होते हैं चाहे किसी जात, बिरादरी का हो जो गाय, भैंस, बैल खरीदता है, एक गांव से दूसरे गांव ले जाता है, एक मेले से दूसरे मेले ले जाता है। इससे 10 परसेण्ट लोगों की रोजी चलती है। कहते है हम गौ–सेवक है, कैसे है कि हाथ पर चारा लगाकर खिलाते हैं। गाय को हाथ की हथेली पर खिला रहे हैं। अध्यक्ष जी, हम लोग गौ–पालक हैं, अहीर हैं, अहीर हैं। गऊ ही नहीं पालते हैं हम जानवर को पालते हैं और हम वे लोग हैं कि हम उनकी भाषा को भी समझते हैं। गाय को क्या बीमारी हुई, बैल को क्या बीमारी हुई, भैंस को क्या बीमारी हुई, उसके ऐक्शन से, उसकी चाल से हम पहचान जाते हैं उसकी दवाई कराते हैं।

हास्पिटल तो अब आए हैं, मैंने कभी हथेली पर गाय–भैंस को नहीं खिलाया है। एक दिन योगी जी भी खिला रहे थे। गाय को खिलाया जाता है नान्द में और जब गाय किसी कारण से नहीं खा पाती है तो जैसे हम रोटी दाल खाते–खाते ऊब जाते हैं तो थोड़ा अचार ढूंढते हैं, वैसे ही गाय खाते–खाते जब उसको ठीक नहीं लगता है तो घर से हम लोग खली, चूनी–भूसी लाकर नान्द में उसको लगाकर खिलाते हैं। हाथ पर गाय को खिलाकर गौ–रक्षक बनने वाले लोग इस देश को कहा ले जाने का काम कर रहे हैं। गाय से कोई मतलब नहीं है और जो गौशाला खोले हैं। आप लोग सुनो गाय, भैंस और बैल की बात हमसे मत करो। हमने गाय, भैंस चराई भी है और उनको खिलाया भी है। हमने चारा काटा भी है और नान्द में मिलाया भी है। हम ऐसे हाथ में लेकर नहीं खिलाए हैं। एक जगह गौशाला में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी गए, अपने ही प्रदेश में तो वह पूरा डंठल इकट्ठा करके खिला रहे थे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

देखिए, एक बात है माननीय नेता विरोधी दल अगर यहां कहीं अभिताभ बच्चन बैठे होते तो आज रिटायमेंट ले लेते वह भी। इतनी बढ़िया एक्टिंग है कि आज ही वह यहीं से रिटायरमेंट ले लेते।

(सदन में हंसी)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी जिस गुजरात मॉडल का ये लोग प्रॅपोगण्डा और प्रचार करते हैं, उन सबका एक मात्र प्रचार करने वाला इनका अभिताभ बच्चन ही तो इनको संभाला हुआ है। नहीं तो ये कहां चले जाते। इनके गदहों का प्रचार, इनके गाय का प्रचार वही तो कर रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ये गुजरात मॉडल की ही देन है कि 325 बैठे हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

वही अमिताभ बच्चन तो आपके नायक हैं तो आपने हमको नायक माना है इसलिए आपका धन्यवाद और मैं 325 नहीं 350 लाने की बात कह चुका हूं।

(दो सौ पचास, दो सौ पचास शब्द सुनाई दिये)

कितनी हत्यायें हुईं माननीय अध्यक्ष जी, गौरक्षा के नाम पर, वह जिसने भी की हो मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूं। हुईं हैं कि नहीं हुईं हैं, हुईं हैं। स्लाटर हाउस बंद करेंगे। गरीब आदमी सारे धर्मभीरू होते है चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो लेकिन धर्म के मामले में वह सबसे जागरूक होता है। गंगाजी का नहान हो उसमें कोई नहाने नहीं जाएगा बेइज्जती हो जाएगी और गरीब आदमी चाहे वह किसी भी जाति का हो वह यदि अपनी धार्मिकता छोड़ दे तो आप घंटी बजाते रह जाएंगे कोई आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। ऐसे धार्मिक मामले आपने उबारे हैं। धर्म के नाम पर कुकर्म किए हैं। स्लाटर हाउस बंद करेंगे तो बंद करिए। संवैधानिक व्यवस्था में कभी असत्य की जगह नहीं है, सयोग से उस पर किसी ने कहा नहीं जब माननीय अखिलेश

यादव जी की पहली कैबिनेट हुई थी। मैं सत्य वचन कहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस बात को कहता हूं कि माननीय आजम खां ने इस प्रस्ताव को रखा था कि यदि गाय का कटना बंद नहीं हुआ, जानवरों को कटना बंद नहीं हुआ तो इस प्रदेश के बच्चों को दूध, दही और घी मिलना मुश्किल हो जाएगा।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल जी ने बहुत अच्छा दृष्टांत रखा कि आजम खां जी ने भी इस बात का विरोध किया था कि अगर गाय इसी तरह कटती रहेगी तो बच्चों को दूध नहीं मिलेगा। उनकी पीड़ा हुई क्योंकि उनकी 5–5 भैंसें चोरी चली गई थीं और वह संसदीय कार्य मंत्री थे। संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए भी अपनी भैंसों की रक्षा नहीं कर पाये थे और इसी सदन में उन्होंने भैंसों के लिए गुहार की थी। ये इनकी सरकार थी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री उस समय आजम खां जी थे आज भी वह बेचारे की हालत में हैं और उस समय भी बेचारे की हालत में थे और उनकी भैंसों का पता नहीं चला।

श्री अध्यक्ष–

पुलिस ने उसे ढूंढ लिया था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या–

अंत में सरकार ने उनकी भैंस की व्यवस्था की।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मौर्या जी को धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मांग करता हूं और समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है, तत्कालीन नगर विकास मंत्री जी के बारे में अखिलेश यादव जी कह गए थे कि देश और दुनिया में कुंभ मेले को लेकर के आजम खां जी की जितनी प्रशंसा हुई है उतनी उत्तर प्रदेश में आज तक किसी की प्रशंसा नहीं हुई साधु–संतो ने प्रशंसा की और उसी प्रशंसा में शंकराचार्य ने इनको गाय भेंट की लेकिन जब गौ रक्षक लोगों का अत्याचार शुरू हुआ। माननीय सदन नेता जी, माननीय मुख्य मंत्री जी यह सच बात है कि शुरू–शुरू में सरकार आई, गरीब मुसलमान जो भैंस, गाय अपने दरवाजे पर रखे थे, बकरी रखे थे कुछ लोग उसको खोलने गए कि तुमको इसको पालने का हक नहीं है। मुसलमान को गाय पालने का हक नहीं, मुसलमान को भैंस पालने का हक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि छल–प्रपंच छोड़िए, अगर गाय के हिमायती हैं, पशु के हिमायती हैं तो मांस का निर्यात बंद करा दीजिए। केन्द्र में गोवध पर कानून नया ले आइए। मुख्यमंत्री जी, आपके स्लॉटर हाउस के कुछ लोग मिल थे। हमने फोटो देखी, दाढ़ी वाले मौलाना लोग थे लेकिन जो हिंदु स्लॉटर हाउस चलाते हैं उनकी कोई फोटो क्यों नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, स्लॉटर हाउस बंद करेंगे कहा था वह बंद कहां हुआ ? जो गरीब हिन्दू भी बकरी, मुर्गा, मछली बेचता है, मुसलमान भी बेचता है, वह गरीब है। अपने परिवार की रोजी–रोटी चलाता है उसकी दुकानों को बंद कर दिया गया। जो असली स्लॉटर हाउस है वह एक भी बंद नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, बकरी कौन पालता है, बकरी गरीब मुसलमान पालता है, गरीब हिन्दू पालता है हम जानते हैं कि हर गरीब पालता है इसलिए क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बकरी को पाल लेगा, उसके बच्चे होंगे तो बेचेगा कि हमारे परिवार के लड़के की दवा के काम आयेगा, घर बनायेंगे, भोजन करेंगे। गरीब हिन्दू लोग

भी बकरी पालते हैं, मुसलमान भी रोजी–रोटी चलाने के लिए बकरी पालता है और उसके आपने ताले लगवा दिए। गोश्त अब मैं नहीं खाता हूं, और आप भी त्रिपुण्ट लगा करके, रेशमी दुपट्टा ले कर आते हैं और अंधेरे में जा करके क्या करते हैं वह सब हम लोग जानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि 40–45 प्रतिशत हिन्दू भी मुर्गा और बकरे का मीट खाता है।

श्री अध्यक्ष–

यह जो आंकड़ा है यह किस पर आधारित है हम उसको पढ़ना चाहते थे। क्या यह अनुमान का आंकड़ा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह हिंदु धर्म बहुत व्यापक हिन्दू धर्म है और अध्यक्ष जी, क्या यह बात सही नहीं है कि थोड़े दिन पहले काली मां की पूजा में बकरा काटा जाता था, पीर बाबा की पूजा में बकरा काटा जाता था, मुसलमान पीर बाबा को पूजता है हिन्दू काली माई को पूजता है।

क्या यह सही नहीं है कि अधिकांश हिन्दुओं के घर में मनुस्मृति, मनु देवता कहलाते हैं उनके नाम की पूजा होती है बकरा काटा जाता है प्रसाद के रूप में 'हम लोग बांटते हैं। मीट, मछली मुर्गा से क्यों आपने मुसलमान को जोड़ दिया। आपने कहा है इस अभिभाषण में कि हम बिना किसी भेदभाव के समान तरीके से इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों का सम्मानपूर्वक आदर करेंगे उनके विकास करने का दावा किया, सबका साथ सबका विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सम्प्रदाय के खिलाफ लगातार विरोध जारी है क्या वह सबमें नहीं आते, क्या वह देश की पसन्द नहीं है। हिन्दोस्तान के मुसलमान कौन हैं इसकी खोज होनी चाहिए कौन हैं ? उत्तर प्रदेश में, हिन्दोस्तान में बाहर से मुसलमान आया है? हिन्दू धर्म की जटिल समस्याओं के कारण आज भी दलित को मन्दिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। पिछड़ों के घर, अति पिछड़ों के घर माननीय अध्यक्ष जी, इस धरती का दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिन्दू धर्म, दुनिया में सबसे पुराना हिन्दू धर्म, भेदभाव और समरसता के अभाव में हिन्दोस्तान में ही पूरा नहीं हुआ दुनिया की बात छोड़िये और 14–1500 साल पुराना मुस्लिम धर्म की जो शुरुआत हुई, दुनिया के अधिकांश देशों में फैला हुआ है। आप कहां हो, हिन्दोस्तान छोड़ करके कहां हो, नेपाल को छोड़ दो, क्यों। माननीय अध्यक्ष जी जिस समय देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में वहां महात्मा गांधी के नेतृत्व के पहले भी हिन्दू के साथ कितना मुसलमान लोगों ने कुर्बानी दी, जरा इतिहास देखो, इतिहास पढ़ो।

श्री अध्यक्ष–

एक नहीं दोनों ने दी है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

दोनों ने दी है यही मैं कह रहा हूं। हिन्दू और मुसलमान दोनों ने कुर्बानी दी है आजादी की लड़ाई में और भारत माता की जय बोलने वाले लोगों, थोड़ा कटु लगेगा, ऐतिहासिक तथ्य है माननीय अध्यक्ष जी, आजादी की लड़ाई हिन्दु मुसलमान मिलकर लड़ा और भारत माता से हमदर्दी जताने वाले लोग, जब भारतमाता विदेशियों के जन्जीर में जकड़ी हुई थीं, जब हम गुलाम थे उस लड़ाई में आर0एस0एस0 के स्वयंसेवकों को भाग लेने से मना कर दिया गया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जिस अन्दाज में भारत माता को कोट किया जा रहा है वह अन्दाज भी आपत्तिजनक है। मान्यवर, उसी नारे को देकर हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी उसी नारे के आधार पर हम लोग यहां पर बैठे हैं। उसको सम्मानजनक तरीके से कहा जाना चाहिए, जिस तरीके से यह इंगित कर रहे हैं वह आपत्तिजनक है और वह कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़ी और देश आजाद हुआ, लेकिन आप आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिये थे। भारत माता के हम हैं और भारत माता हमारी हैं और आप उसको झपट मार लिये। वैसे अध्यक्ष जी, राम मंदिर के मुद्दे की जहां तक बात है तो मूर्ति रखवाई कांग्रेस ने अयोध्या में। ताला खुलवाया कांग्रेस ने अयोध्या मे मंदिर का शिलान्यास किया कांग्रेस के राजीव गांधी जी ने अयोध्या में और झपट मारा इन्होंने मंदिर मुद्दे को।

श्री अध्यक्ष–

आपकी क्या राय है मंदिर के बारे में। माननीय राम गोविन्द जी, आप समर्थन करते हैं न आप मंदिर के समर्थक हैं न ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं हिन्दू हूं और हर हिन्दू चाहेगा कि राम का मंदिर बने। लेकिन जो इन लोगों ने झगड़ा पैदा कर दिया राम जी के नाम पर, अगर यह लोग नहीं कूदे होते तो मंदिर बन गया होता। राजीव गांधी ने शिलान्यास कर दिया था, जिस समय वीर बहादुर सिंह जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। लेकिन मुद्दे को झपट लिया इन्होंने। माननीय अध्यक्ष जी आपने पूछा कि आपकी क्या राय है तो मैं हिन्दू हूं और राम मंदिर बनना चाहिये, लेकिन जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया है तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही बनना चाहिये। यह नहीं, तो दोनों की आपसी सहमति से बनना चाहिये और इस पर हम लोग काम कर चुके हैं। हमारे नेता आदरणीय चन्द्रशेखर जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, वह बिल्कुल गंभीरता से इस पर विचार किये थे और इस देश के महान साधु संतो और मुस्लिम वर्ग के भी महान नेताओं को बुलाया था भोडसी आश्रम में, और उन्होंने कहा कि संत महात्मा जी लोग और मौलवी जी लोग आप लोग बैठो और जब तक आप लोग तय नहीं कर दोगे तब तक हम आपको यहां से जाने नहीं देंगे। तुम लोग आपस में तय करो और देश का दुर्भाग्य है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ऐसा मसला आया और चन्द्रशेखर जी ने इस्तीफा दे दिया और वह मामला आज तक हल नहीं हो पाया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने बाबरी मस्जिद गिराई नहीं होती तो अब तक मंदिर बन गया होता।

श्री अध्यक्ष–

अभी आप कितना समय और लेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं नेता विधान मंडल दल बसपा को भी बोलना है, नेता कांग्रेस को भी बोलना है, माननीय सदस्यों को भी बोलना है, अगर आप हमको निर्देश दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

हम निर्देश नहीं दे रहे है, हमने पूछा कि आप कितनासमय और लेंगे। हम तो आपका आदर करते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यही कहा जाता है पीठ से तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यह सदन बड़ी कुर्बानियों के बाद अस्तित्व में आया चाहे लोकसभा हो या चाहे विधान सभा हो।

यह हंसोली–ठिठली का क्षेत्र नहीं है, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा का केन्द्र है। हम इस सदन में बैठते थे, आपको याद होगा मैंने मंत्री रहते हुए तत्कालीन मा0 अध्यक्ष से कहा था कि ये जो काय–र्सूची कार्य–मंत्रणा से बनी है क्या इसी के लिए विधान सभा है आखिर कभी गरीबी, बेरोजगारी, बेबसी, लाचारी किसानों की समस्याओं पर कभी दिन भर इस सदन में बहस होगी कि नहीं होगी।

(सत्तापक्ष की ओर से बोलने पर)

हम देखेंगे, इन्ही शब्दों के साथमैं समाप्त करता हूं और जब नेता सदन बोल लेंगे तब कुछ और बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप टोकेंगे क्या।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, क्या।

श्री अध्यक्ष–

आप टोकेंगे नहीं मैं जानता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आपने कह दिया मैं रूक गया, आपकी मंशा मैं समझा गया हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको नहीं रोका है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

तो हमारा यही कहने का उद्देश्य है कि यह सदन हिन्दू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित के लिए नहीं है बल्कि यह सदन उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्म लेने वाले सभी मानव, पशु, पक्षी, जानवर, पेड़, जंगल, पौधे, लता–पताका सबके कल्याण के लिए इस सदन में बहस होनी चाहिए। मा0 मुख्य मंत्री जी आप केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है आप प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, आप संत भी हैं, आपके दिमाग में तो कतई यह बात आनी ही नहीं चाहिए कि कौन हिन्दु है, कौन मुसलमान है, कौन हरिजन है, कौन दलित है, कौन पिछड़ा है।

(सत्तापक्ष की ओर से सदस्यों के टोका–टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य आप लोग शान्त रहें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आप के दिमाग में सब बराबर हैं। इसलिए मैं मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे भी प्रार्थना करूंगा, मैं बोलूंगा जब आप बोल लेंगे उसके बाद, कि देश–प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले चलने के लिए सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों को एक साथ ले करके जैसे ''सबका साथ सबका विकास'' आपने नारा दिया है अगर सही हृदय से दिया है, हृदय की भावना से दिया है तो चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी उत्तर प्रदेश में लोग बसते हों, सबको सौभाग्य वातावरण में ले जाने के लिए विद्वेष की भावना खत्म करके आइये हम और आप मिल करके इस प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले चलने के लिए काम करें इन्ही शब्दों के साथ मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बात समाप्त करता हूं फिर जब नेता सदन बोलेंगे तो उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा।

(बहुजन समाज पार्टी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैंने कल ही आपसे अनुरोध किया था कि मैं कल बोलूंगा इसलिए अनुरोध है कि बाकी सदस्यों को बुलवा लें।

श्री अध्यक्ष–

आप सबसे पूछ रहा हूं कि मा0 सदस्यों के लिए 5 मिनट या 7 मिनट देना उचित रहेगा।

विपक्ष की ओर से–

मान्यवर, 10 मिनट पर समय रख लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

कांग्रेस के नेता अपनी बात रखें। आज हमारा अनुरोध है कि थोड़ा देर तक हम लोग बैठें तो अनेक मा0 सदस्य जो नये आये हैं उनको भी बोलने का मौका मिल जाएगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने हमें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय का यह जो 101 पेज का अभिभाषण है इस पर मा0 नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी, जी ने अपना विचार रखा है मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से संशोधन पर बल देता हूं। मान्यवर, चूंकि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में वर्णित योजनाओं और कार्यों और उनकी जमीनी हकीकत में काफी अन्तर देख रहा हूं। महोदय, यह जो 101 पेज का महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण है, यह झूठ का पुलिन्दा कहा जाए तब भी कम है। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रचंड बहुमत ले करके आयी। इन लोगों ने जनता से वायदा किया कि जब हमारी सरकार आयेगी तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली की व्यवस्था ठीक करेंगे, कानून–व्यवस्था ठीक रहेगी, कोई भी महिला रात को 12.00 बजे भी घर से निकलकर

जाती है तो अपने–आप को वह सुरक्षित महसूस करेगी, हम ऐसा स्वस्थ और स्वच्छ प्रशासन देने का काम करेंगे। सड़कें बनेंगी, शुद्ध पानी देंगे, रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, इन तमाम वायदों को इन लोगों ने सभाओं के माध्यम से कहा है। आज उत्तर प्रदेश में कानून–व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है, बिगड़ती चली जा रही है। लगभग दो महीने की सरकार ने अपने पूरे पांच साल का लेखाजोखा मात्र चंद दिनों में ही प्रस्तुत करने का काम कर दिया है। लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, छिनैती चरम पर है। अगर आप देखें तो वह चाहे लखनऊ जेसे शहर का मामला हो, चाहे राम बिहार कालोनी में रिटायर्ड फौजी लाल बहादुर जी की दो बेटियों जिनको नकाबपोशों ने घर में घुसकर बंधक बना लिया था तथा उनकी हत्या कर दी। 24 अप्रैल को वहीं प्रतापगढ़ के जसमेर रोड पर अधिवक्ता धन्नंजय मिश्रा जी की हत्या कर दी जाती है। साम्प्रदायिक तनाव इस पूरे प्रदेश में दिनों–दिन बढ़ता चला जा रहा है। सहारनपुर की घटना में इस पूरे प्रदेश को झकझोर करके रख दिया। आई0पी0एस0 अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं। सहारनपुर में बिना इजाजत के शोभा यात्रा निकाली जाती है और कानून बनाने वाले, और जिसकी सत्ता और सरकार होती है उन्हीं के सांसद के नेतृत्व में, जबरन यात्रा निकालकर वहां अराजकता का माहौल पैदा किया जाता है। इतना ही नहीं जब पुलिस रोकने का प्रयास करती है तो गिरेबान पकड़कर उसे ढकेलकर उन्हें वहीं मारा जाता है। इतना ही नहीं मान्यवर, सांसद जी के नेतृत्व में आई0पी0एस0 अधिकारी के घर घुसकर वहां तोड़–फोड़ किया जाता है, उनका नेम–प्लेट पटक दिया जाता है, लातों से रौंदा जाता है, उनकी पत्नी और बच्चे भागकर भैंस के तबेले में अपनी जान भी बचाती हैं। (सत्तापक्ष की तरफ से कई मा0 सदस्यों ने खड़े होकर कहा कि यह गलत बोल रहे हैं, शोर।) आपके चिल्लाने से दबाव में नहीं आने वाला हूं। वहां फोर्स इक्टठा होती है। हाथ जोड़ते हैं, प्रदेश के सारे अधिकारी लेकिन उसके बाद भी इनकी अराजकता चरम सीमा पर रहती है। मान्यवर, आज प्रदेश किन हालात में है, किन स्थितियों में है आप जानते हैं महोदय उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक व्यापारी जिसका हाथ बांधकर उसको जला दिया जाता है और उसे आत्महत्या करार कर दिया जाता है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी जब गोरखपुर जाते हैं, एक दिन पहले एक आदमी की हत्या जरूर हो जाती है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं आज उत्तर प्रदेश में डर का, भय का माहौल है। प्रदेश में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। फूलपुर में क्या हुआ? फूलपुर में दो लड़कियों के साथ गैगरेप करके उनकी हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं जनपद कुशीनगर में आज डकैती की बाढ़ सी आ गई है। रात में घरों में चोर (सत्ता पक्ष की ओर से शोर।) आप रिकार्ड मंगवा कर देख लीजिये। मैं ऐसे कोई बात नहीं कहता मान्यवर। आप रिकार्ड मंगवा लीजिये। घर में घुसकर डकैतों के द्वारा एक–एक दिन में 15–15 लोगों के घरों को लूटते हैं, डकैती करते हैं। लाखों रुपये के जेवर, लाखों रूपये नकद उनके लूट लिये जाते हैं। पुलिस किसी भी मामले में मुकदमा तक दर्ज करने का साहस नहीं करती है। मान्यवर, साइबर क्राइम कितनी तेजी से बढ़ा है। आज बैंक से पैसा निकालने जाने वाला व्यक्ति भयभीत है। यह मेरे ही क्षेत्र में नहीं, सारे क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो सदन में बैठे हैं, जानते हैं। साइबर क्राइम इतनी तेजी से बढ़ा है। बैकों में जब कोई व्यक्ति पैसा निकालने के लिये जाता है ए0टी0एम0 के पास खड़ा है, ए0टी0एम0 से जैसे पैसा निकालने के लिये कार्ड लगाता है तब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसका ए0टी0एम0 बदल देता है और उससे लाखों रूपये की चोरी होती है। मेरे पास तथ्य है, मैं आपको बता दूंगा। कहिये अभी बता दूं। कई बुजुर्ग हैं जिनके साथ ऐसा

हुआ है। एक व्यक्ति जो रिटायर होकर आये थे 8 लाख रुपया उनका उनके ए0टी0एम को बदल करके निकाल लिया गया। इतना ही नहीं टेलीफान से बैंक मैनेजर बनकर रोज लोगों को चकमा दिया जाता है।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

(सत्ता पक्ष के एक सदस्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

हां बताये माननीय सदस्य आप क्या कह रहे थे।

एक सदस्य–

अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था, निवेदन कर रहा था आपसे कि यह इस तरह से सदन को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। ए0टी0एम0 से कभी आठ लाख रूपये नहीं निकलता। हम सब लोग ए0टी0एम0 का प्रयोग करते हैं और आठ लाख रूपये इस तरह से और इसको साइबर क्राइम जो आप बता रहे हैं। यह आठ लाख रूपये कोई ए0टी0एम0 उखाड़कर ले गया होगा वह बात अलग है ए0टी0एम से कोई आठ लाख रूपये निकाल नहीं सकता।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने जिस बात को आपके समक्ष रखा। महोदय आप पता करा लीजिये। कुन्डीह बुजुर्ग के तरह थाने के अन्तर्गत उनका ए0टी0एम बदल दिया गया। उनको जानकारी प्राप्त नहीं हुई और उनके ए0टी0एम0 से पूरा पैसा आठ लाख रूपये निकाल लिये गये।

एक सदस्य–

यह जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह ए0टी0एम0 न हो करके वह क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग का केस होगा और वह क्रेडिट कार्ड ले जाकर उसके बाद में निकाला होगा। ए0टी0एम0 से नहीं निकलता है इतना पैसा।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, कैसे क्या निकलता है आप लोग बाद में बात कर लीजियेगा। विषय पर आइये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

महोदय, ए0टी0एम0 में ही क्रेडिट कार्ड होता है।

श्री अध्यक्ष–

चलिये ए0टी0एम0 से थोड़ा आगे बढ़िये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

महोदय को मैं थोड़ा सा बताऊं। मान्यवर, मैं आपको बताऊँ, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि आये दिन फोन करके बैंक मैंनेजर अपने आप को बम्बई, दिल्ली का बताकर, रोज किसी न किसी को ठगी का शिकार, ऐसे गिरोह के लोग बना रहे हैं, जिसके नाते रोज बैकों से पैसा निकालकर, खाताधारकों की हेराफेरी की जा रही है। महोदय इस सरकार ने किसानों से कर्जा माफी की बात कही आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने किसान कर्जा माफी का फार्म भरवाया पूरे प्रदेश में

घूम–घूमकर और नारा दिया, आदरणीय राहुल गाँधी जी ने कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली का बिल ऑफ करेंगे, यह ऐसे लोग हैं, जब राहुल गाँधी जी किसान कर्ज माफी का फार्म लेकर आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के पास जाते हैं यह लोग किसान कर्जा माफी के नाम पर अपना मुँह मोड़ लेते हैं लेकिन चलिये लेट सही, आपको बुद्धि तो भगवान ने दी, आदरणीय राहुल गांधी जी के दबाव में किसानों को एक लाख रुपया कर्जा माफी की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी के नाते आपने एक लाख रुपये की कर्जा माफी की घोषण की, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय सरकार जिस विश्वास के साथ, जिस प्रचंड बहुमत के साथ, यह सरकार आई है, दृढ़तापूर्वक फैसला लेने की जरूरत थी कि हम किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करेंगे और आदरणीय आपके प्रधानमंत्री जी ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आपके तमाम नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने जगह–जगह सभाओं में यह घोषणा किया था कि हमारी सरकार आयेगी तो सम्पूर्ण कर्जा माफ करेंगे लेकिन मात्र फसली ऋण माफ उसके अलावा कृषि यंत्र, ट्रैक्टर या कृषि से सम्बन्धित तमाम चीजों पर खाद, बीज तमाम चीजों पर लिये गये ऋण को माफ करने का साहस नहीं कर पाये, हम आपके माध्यम से माँग करना चाहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने 2007 में किसानों का सम्पूर्ण कर्जा एक मुश्त माफ करने का काम किया था उसी तरह आप भी माफ करके उत्तर प्रदेश की जनता को एक नया सन्देश देने का काम करेंगे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया, पिछली बार, आदरणीय संसदीय कार्यमंत्री जी वहाँ थे आजम खाँ साहब, हमने एक सवाल उठाया था कि 2014 में आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी चुनावी सभा के दौरान पडरौना में गये वहाँ उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरी सरकार आयेगी 100 दिन के अन्दर पडरौना चीनी मिल चलवाऊँगा, कटकुइयां चीनी मिल चलवाऊँगा, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है तीन साल पूरे हो गये और इनके माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी चीनी मिल चलवाने का निर्णय लिया तो केवल अपने क्षेत्र का लिया बाकी उत्तर प्रदेश के पश्चिम, पूर्वांचल की बन्द चीनी मिल को चलवाने का निर्णय नहीं लिया यह बहुत अफसोस की बात है, माननीय अध्यक्ष जी यह इसी से साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में इतनी प्रचंड बहुमत वाली यह सरकार किसानों के प्रति और रोजगार के प्रति कितनी गम्भीर है यह गम्भीरता ही तो है कि सारे मंत्री सदन से गायब हैं। यह गम्भीरता ही है कि मंत्री लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं उनकी सीटों पर दूसरे लोग बैठे हैं। रीता बहुगुणा जी नमस्ते, महाना जी नमस्कार यह नाम बदलकर लोग उनकी सीटों पर बैठै हैं। इससे ही पता लगता है कि यह कितने गम्भीर हैं। किसानों के परिप्रेक्ष्य में यह कहते हैं कि यह किसानों की सरकार आई है जो किसानों की बात करती है लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में 400 रुपये कुन्तल गन्ने का रेट यह सरकार रखे जितने बकाये का भुगतान है गन्ना मंत्री जी संयोग से गायब हैं जब वह यहाँ पर बैठते थे चिल्लाते थे कि अर्धसरकारी, सरकारी या जो निजी चीनी मिले हैं उन मिलों का भुगतान कब मिलेगा। अब आप संयोग से गन्ना मंत्री के पद को शोभा बढ़ा रहे हैं अब तो पूरा भुगतान निजी मिलों का बकाये मूल्य का गन्ना का भुगतान कराने का काम करें अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है। महोदय बिजली कब आयेगी कब जायेगी कोई ठिकाना नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 24 घण्टे बिजली की बात करने वाले लोग झूठ की पुलिन्दा पर बनने वाली सरकार है। आप पता करवा लें हमारे क्षेत्र तमकुही राज का

सत्ता पक्ष के लोग यहाँ बैठे हैं यह बोल नहीं सकते हैं इनकी जुबान बन्द है मैं पहले दिन से देख रहा हूँ बहुत जोश खरोश के साथ बोलते हैं शायद अपने आका को सन्देश देना चाहते हैं कि अपनी पार्टी के लिए लड़ मिटने के लिये तैयार हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी गांव में क्षेत्र में कहीं भी 8 घण्टे 6 घण्टे से अधिक बिजली नहीं आती है। अध्यक्ष महोदय मेरे क्षेत्र के बारे में पता करा लें अध्यक्ष महोदय आप वहाँ की लाल शीट निकलवा लें तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र की डुंडही सब स्टेशन की करिया सब स्टेशन की आप निकलवा लें अगर 8 से 9 घण्टे से अधिक बिजली होगी तो मैं जो कहिये मानने के लिए तैयार हूँ इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय जब रात का साढ़े दस बजता है इस भीषण गर्मी में लाइन महराज गायब दो बजे रात को बिजली आयेगी, आयेगी कि नहीं आयेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। महोदय सारे ग्रामीण क्षेत्रों के फीडरों पर लाइन मैन नहीं है। लाइनमैंनों की कमी से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। अगर कहीं लाइन में फाल्ट हो जाती है तो कोई सरकारी आदमी नहीं जाता है निजी आदमी से लाइन का फाल्ट जनता ठीक करा रही है जनता से पैसा लेकर प्राइवेट आदमी लाइन ठीक करने का काम करते हैं। इससे पूरा प्रदेश जूझ रहा है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। महोदय शराब एक बड़ी समस्या है। आप किसी गांव में चले जायें और पूछे कि यहाँ कहीं दूध की दुकान है तो कोई नहीं बता पायेगा लेकिन अगर आप पूछ लें कि यहाँ शराब की दुकान कहाँ है तो आसानी से बता देंगे। पहले हम लोग सामान लेने आस–पास के बाजारों में जब जाते थे तो वहाँ भी शराब की दुकानें दूर–दूर तक नहीं दिखाई देती थीं। अब एक बाजार में दो–दो जगह पर शराब की दुकानें, आइये देशी शराब की दुकान। मैं तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को धन्यवाद दूँगा जिन लोगों ने शराब बन्दी के खिलाफ संघर्ष कर दिया है और कांग्रेस पार्टी उनके आन्दोलन में उनके साथ खड़ी रहेगी और इस बात के साथ कि शराब बन्दी का निर्णय सरकार को लेने की जरूरत है। बिहार ने बन्द कर दिया, पंजाब ने बन्द कर दिया, अन्य प्रदेशों ने बन्द कर दिया, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। आपको जनता ने प्रचण्ड बहुमत दिया है। आप शराब बन्द करके एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम करें। महोदय, वर्ष 2000 में लोक सेवा आयोग द्वारा जे0ई0 सिविल पद पर कुछ मैदानी और पर्वतीय संवर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। महोदय, यह प्रकरण थोड़ा पुराना है, लेकिन आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूँगा और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इसको बड़ा ध्यान से सुनें। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल एक हुआ करता था और लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ जे0ई0 चयनित हुये थे। जो लोग मैदानी इलाके के लिये भरे थे, उनका चयन तो हो गया और वह नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पर्वतीय क्षेत्र के लिये नामित हुये थे वह लोग आज भी अपनी नौकरी के लिये भटक रहे हैं। कारण क्या है? यह लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल बंटने के नाते वह सारे लोग उत्तरांचल कैडर के लिये चले गये। जब वह उत्तरांचल गये तो उत्तरांचल सरकार ने उन्हें कहा कि यह लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का मामला है, इसलिये आप उत्तर प्रदेश में जाइये, हम उत्तरांचल में नहीं लेंगे। मामला हाईकोर्ट में गया। मा0 न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये चाहे तो ले लें चाहे तो न लें, लेकिन किन्हीं सरकारों ने इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये उन अभ्यर्थियों का जो मुश्किल से 200 से 250 होंगे, उन अभ्यर्थियों को एक नया जीवन प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम

करेंगे। इसी तरह लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के कुछ अन्य आयोगों में भर्तियां बाधित हैं, युवा आन्दोलित हैं, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है और अब तक उन लोगों का कहीं कोई समायोजन नहीं हो पाया है। प्रदेश के लगभग 15 लाख राज्य कर्मचारी और शिक्षकों के सम्बन्ध में वर्ष 2005 में आप एक विधेयक लाये जिसके अन्तर्गत उनकी पेंशन को आपने सदैव के लिये बन्द कर दिया। महोदय, आप जानते हैं कि जो लोग सरकरी नौकरी में होते हैं या विदेशों में कमाते हैं, जब तब उनके पास पैसा होता है उनको पूजने और पूछने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जिस दिन उनको पैसा मिलना बन्द हो जाता है चाहे नौकरी से चाहे कहीं से आने वाला पैसा हो, उस दिन से उनके घरों में उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। इस पर एक बार पुनः विचार होना चाहिये। बंगाल में, त्रिपुरा में व अन्य प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाली की व्यवस्था है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उन तमाम राज्य कर्मचारियों को, शिक्षकों को पेंशन बहाल करके एक नया जीवन और एक नयी आशा देने का काम करें। महोदय, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी जा रहे हैं। शायद सरकार को विपक्ष के बहुत ज्यादा सुझाव और विपक्ष की बहुत ज्यादा बात सुनने की आदत नहीं है। यह आदत डालनी होगी।

श्री अध्यक्ष–

हमारे वरिष्ठ वक्ता और सरकार में वरिष्ठ मंत्री मा0 शाही जी बैठे हैं, वह आपको ध्यान से सुन रहे हैं। मंत्रीमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, लेकिन जवाब तो नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री को ही देना होता है। जो सदन मा0 मंत्री जी लोगों से पूरा खाली है वह कितना संज्ञान लेगा यह तो दिख रहा है। यह सरकार की गम्भीरता को दिखाता है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा बीच में टोकाटांकी करने पर)

सुनिये पिछली बार यही सीट थी आपकी और आप उधर गये और अगली बार हम उधर जायेंगे और आप इधर आयेंगे।

कृषि मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

दिन में सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, तो दिन में सपने देखिये आप।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अजय कुमार जी, आपका समाप्त हुआ, अब आप समाप्त करें। एक दो प्रमुख बिन्दु जो रह गये हों, उसको बोलकर समाप्त कर दें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, बस दो–तीन बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। महोदय, 2010 में स्टेट हाइवे के नाम पर एक बी0एम0सी0टी0 मार्ग स्वीकृत हुआ और वह मार्ग स्टेट हाई–वे के नाम पर पड़रौना से गोड़रिया तक बना और गोड़रिया से तमकुहीराज तक वह सड़क बनने वाली थी, पता नहीं किन कारणों से लगातार पत्राचार, लगातार सदन में बोलने उठाने के बाद भी आज तक उस सड़क को पूरा करने के लिए बची हुई धनराशि स्वीकृत नहीं हो पाई ताकि वह सड़क बन सके। माननीय मंत्री श्री

शाही जी तमकुहीराज जाते रहते हैं, संयोग से इस समय संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर बैठे हैं। गोड़रिया से तमकुही रोड सड़क का क्या हाल है, आप स्वतः उसको संज्ञान लीजिये और उसको अविलम्ब बनवाने का काम करिये। महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सदन के सारे सदस्यों से जुड़ी हुई है वह मैं कहना चाहता हूँ। आज माइन्स की कमी के नाते, जो यह सरकार दावा कर रही है कि 15 जून के पहले हम सारी सड़कों को गड्ढामुक्त बना देंगे। खनन नहीं हो रहा है, कहीं से गिट्टी–पत्थर नहीं निकल रहे हैं और गिट्टी–पत्थर न निकलने से जितनी पुरानी सड़कों का टेण्डर और अनुबन्ध बने हैं, वह सारी सड़कें वैसे की वैसी ही रुकी पड़ी हुई हैं। महोदय, आज परिस्थिति यह है कि ओवर लोडिंग के नाम पर कोई भी ट्रक वाला संसाधन लाने की स्थिति में नहीं है। अगर ट्रक वाला ओवर लोडिंग नहीं लायेगा तो उसका एक पैसा भी नहीं बचेगा। ओवर लोडिंग बन्द हो लेकिन जो लोग काम करने वाले हैं जो पुराने रेट पर काम लिये हैं, उन्होंने इस समय अपने हाथ खड़े कर दिये हैं और शायद उनके हाथ खड़े करने से सारी सड़कें जो वैसे की वैसी पड़ी हैं जिनका पैसा भी जा चुका है और ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे हैं। वह काम नहीं हो पायेगा। जो सरकार का संकल्प है, वह सरकार का संकल्प 15 जून तक पूरा नहीं होना है। महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी जी के संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए पुनः जब नेता सदन बोले तो दो–चार–पांच मिनट का समय हम लोगों को भी देने की अनुमति देने का कष्ट करेंगे।

श्री प्रवीण पटेल–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता कांग्रेस ने अभी अभिभाषण के बीच में हमारी विधान सभा का भी जिक्र किया कि फूलपुर विधान सभा में दो महिलाओं की हत्या हुई और उनके साथ बलात्कार हुआ। अगर आपके पास गलत आंकड़े हैं तो सदन में आपको गलत आंकड़े नहीं रखने चाहिये। आप जिम्मेदार नेता के रूप में यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमारी विधान सभा में इस तरीके से कोई घटना नहीं हुई है। इस तरीके से कोई घटना नहीं हुई और घटना न होने के बावजूद बढ़ा–चढ़ाकर अपनी बातों को पेश करना यह सदन में आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया मुझे अपनी बात कह लेने दीजिये। मुझ पर आरोप लगाया गया है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये। आप पर कोई आरोप नहीं लगा, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इस तरह की घटना नहीं हुई है। उन्होनें जानकारी दी कि हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ, यह आप पर आरोप नहीं है। अब आप बैठिये, अब श्री कपिलदेव अग्रवाल जी बोलेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

ठीक है, मान्यवर, आपका आदेश शिरोधार्य।

श्री अध्यक्ष–

मा0 कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर हैं।

श्री कपिल देव अग्रवाल–

मा0अध्यक्ष जी आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। मैं आपका सादर अभिनन्दन करता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी का स्वप्न था कि जब तक सरकार की योजनाएं समाज के अन्तिम व्यक्ति तक नहीं पहुँचेंगी तब तक सरकार द्वारा विकास का स्वप्न अधूरा रहेगा। इसी संकल्प के साथ सत्ता में आयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसका नेतृत्व कुशल योजक, संगठनकर्ता , अनुभवी, परिश्रमी, संवेदनशील, जन–जन के हृदय में वास करने वाले योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। मान्यवर, वर्तमान जो सरकार का गठन हुआ है हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने जिस प्रकार की योजनाएं अल्पकाल में लागू की हैं जिसमें उन्होंने यह चाहा है कि उनकी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक वह सारी योजनाएं पहुँचे। उनके सपने साकार हों। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आये। बहुत सारी योजनाएं जो उन्होंने लागू की है उसमें जो पहला वचन दिया है जिसमें सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ प्रत्येक व्यक्ति तक ये योजनायें पहुँचे। जिस प्रकार से मैं उदाहरण दे करके अपनी बात कहना चाहूँगा कि अभी नवरात्रों के व्रत थे, नवरात्रों के व्रत में जैसा हम सुनते हैं कि जिस समय राक्षसों ने सारे ब्रहमाण्ड पर कब्जा कर लिया और सारे देवता दुखी हो करके शिव जी के ब्रहमा जी के पास गये और जाने के बाद उन्होंने कहा कि त्राही–त्राही मची हुई है। इसी प्रकार की त्राही–त्राही कहीं न कहीं प्रदेश में भी मची हुई थी और जनता ने यानी जिस प्रकार से माँ दुर्गा का प्राकृट्य सारे देवताओं ने अपनी शक्तियाँ दे करके किया और दुर्गा का प्रादुर्यभाव हुआ इसी प्रकार की शक्ति के रूप में मा0 योगी आदित्यनाथ जी को आज पूरे प्रदेश की जनता ने खासतौर से माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने पूरा विश्वास व्यक्त करके मा0 योगी आदित्यनाथ जी को एक योगी पुरूष के रूप में, एक दिव्य शक्ति के रूप में उनका उदय हुआ है मैं उनको बधाई देता हूँ। और पूरे प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पर मा0 योगी आदित्यनाथ जी पर उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया। मान्यवर, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने के लिए ई–टेंडरिंग की व्यवस्था की है पहले यह व्यवस्था नहीं थी। करोड़ों इस प्रकार के उदाहरण हैं आज भी उनकी जांच चल रही है कि लगातार लाखों–करोड़ों रुपये के ठेके अपने–अपने लोगों को दिये जा रहे थे जिससे भ्रष्टाचार का महौल पूरे प्रदेश के अन्दर था। ई–टेंडरिंग के माध्यम से छोटे–छोटे काम से प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का मौका मिलेगा और निश्चित रूप से इस प्रदेश के अन्दर जो भ्रष्टाचार का माहौल था उसको रोकने के साथ–साथ एक पारदर्शी और नियमसंगत कार्यक्रम इसके अन्तर्गत होगा। इसी के साथ–साथ ठेकेदार और दलाल थानों के अन्दर प्रशासनिक कार्यों में जिलापूर्ति विभाग के अन्दर, विकासभवन के अन्दर उन सब पर लगाम लगने का काम इस सरकार में इस योजना के अन्तर्गत होगा। मुख्य मंत्री के शपथ लेने के साथ ही जिस प्रकार से बूचड़खानों को हटाने के काम हुआ, एंटी रोमियों का गठन हुआ, उससे लगातार समाज में महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ उनके पास बहुत सारे गुंडे मण्डारने का काम करते थे वे सब लोग धीरे–धीरे बिना कुछ करे ही स्वतः ही समाप्त हो गये या तो वे अपने घर बैठ गये या प्रदेश को छोड़कर बाहर हो गये निश्चित रूप से यह सरकार उसके लिए बधाई की पात्र है।

श्री अध्यक्ष–

आप 2–3 बिन्दु जो मुख्य हैं वह बता दें।

श्री कपिल देव अग्रवाल–

जी मान्यवर। मान्यवर, जो कब्जा करने वाले लोग हैं उनके चेहरे भी बेनकाब हुये हैं। शीघ्र ही यह सब जगह कब्जामुक्त होंगी। ऐसा हमको विश्वास है। मान्यवर, मेरा आपेस निवेदन है कि हमारे मुजफ्फनगर में पिछली सरकार में उद्योग को लेकर काफी चिन्ता का विषय रहा। 40–50 प्रतिशत तक बिजली की दरें बढ़ने से जो हमारे यहाँ उद्योग थे, मुजफ्फनगर हमारे यहाँ स्टील इण्डस्ट्री के नाम से जाना जाता है। सौ में से सत्तर प्रतिशत के करीब वहाँ स्टील फैक्ट्रियाँ बन्द हुयीं। एक लाख से अधिक लोग बेरोजगार हुये। काम बन्द हो गये, फैक्ट्रियाँ बन्द हो गयीं। लोग घरों के अन्दर बैठ गये। यद्यपि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उद्योग नीति बनाकर उन सबको पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया है। फिर भी मेरा आपसे निवेदन है कि इन सब चीजों को गम्भीरता से आगे बढ़ाते हुए इण्डस्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसी योजनायें बनें जिससे यह उद्योग जल्दी चालू हो सके। मान्यवर, सरकार ने संकल्प लिया है कि प्रदेश के अन्दर 25 मेडिकल कालेज बनेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि मुजफ्फनगर जनपद में किसी भी स्थान पर एक मेडिकल कालेज की स्वीकृति अगर आपके माध्यम से होगी तो हम आपके बहुत आभारी होंगें। मान्यवर, सरकार ने 75 जनपदों में वृद्धावस्था आश्रम का भी संकल्प लिया है। सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है 750 ग्राम पंचायतों का पूरे प्रदेश के अन्दर निर्माण का संकल्प लिया गया है उसके लिए भी सरकार का धन्यवाद करते हैं। 20 कृषि केन्द्र खुलवाये जाने की भी योजना है। मुजफ्फनगर कृषि प्रधान जनपद है और गन्ना वहाँ की विशेष फसल भी है। अगर एक गन्ना केन्द्र मुजफ्फरनगर के अन्दर भी खुलेगा तो हम उसके लिए भी आपके आभारी होंगे। और मान्यवर, शुक्रताल हमारा बहुत बड़ा तीर्थस्थल है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुक्रताल ही एक ऐसा स्थान है जो एक पवित्र तीर्थ माना जाता है। शुक्रतीर्थ श्रीमद भागवत जी की उद्गम स्थली से तीर्थस्थली है। तो शुक्रताल को भी तीर्थस्थल के रूप में सरकार स्वीकार करे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ।

'श्री हर्षबर्धन बाजपेयी–

मा0 अध्यक्ष जी, आज हमारे विपक्ष के एक साथी कह रहे थे कि ए0टी0एम0 में क्रेडिट कार्ड लगता है। अगर अर्थशास्त्र का थोड़ा बेसिक ज्ञान होता तो शायद इतना प्रचण्ड बहुमत न होता। ए0टी0एम0 में क्रेडिट कार्ड नहीं डेबिट कार्ड लगता है। खैर, आज हम लोग महामहिम राज्यपाल के उद्बोधन के बारे में चर्चा करने के लिये यहाँ आये हैं। और इसके पहले कि मैं उस पर बोलूं, नेता विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया था कल जी0एस0टी0 के डिस्कशन में कि आज प्रदेश में भी आपकी सरकार है और केन्द्र में भी आपकी सरकार है और कल अगर केन्द्र और प्रदेश में एक पार्टी की सरकार न रही तो क्या परिस्थितियाँ पैदा होगी।

श्री अध्यक्ष–

आप राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़े हुये हैं।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी–

जी उसी पर बोल रहा हूँ। उसी के बारे में थोड़ा बैकग्राउण्ड बना रहा हूँ। बोल रहा हूँ उसी मुद्दे पर। तो मैं कह रहा थाा कि उनको आदत बना लेनी चाहिये कि यह

जो परिस्थितियां हैं कि केन्द्र में और प्रदेश में एक ही सरकार है यह कफी दिन तक रहनी है क्योंकि अब हम लोग एज आफ मोदी में रहते हैं। और आज और कल महामहिम गवर्नर साहब की स्पीच पर लोगों ने फाइन प्वाट्स जो हैं, जो डिटेल्स हैं उस पर काफी कुछ बोला।

मैं उस बीच के दो मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ, एक तो उसकी स्पिरिट एवं दूसरी उसकी तैयारी, बैकग्राउण्ड। पिछली कुछ सरकारों से उत्तर प्रदेश में जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, विशर्स सर्किल पैदा हो गया था, दुष्चक्र पैदा हो गया था कि सरकार में जो लोग थे, जो मंत्री थे, वह एक मुखौटा दिखाते थे कि हमने हजार रुपये दे दिया वृद्धा पेंशन में, 500 रुपये किसी में दे दिया, कोई मारा गया तो उसको इतना दे दिया और वह होलियर दैन दाउ एटीट्यूड बना देते थे, देखिये कि हम लोग तो बड़े दिलदार हैं और हम लोग बड़ा जनता की पीड़ा को समझते हैं और उस ढाल को इस्तेमाल करते हुए, फिर हर प्रकार का गलत–सलत काम होता था और माहौल इतना निगेटिव हो गया था, अधिकारी, नेता और ठेकेदार, माफिया का ऐसा रिश्ता बन गया था कि यहाँ के नौजवान के मन में यह बात आ गयी थी कि इस प्रदेश में एक सरकारी नौकरी के अलावा और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है और रोजगार के कोई साधन नहीं है। आपको इसके बारे में उदाहरण देना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों गवर्नर साहब को जो उनका मंत्रीमण्डल है, 325 विधायकों का सपोर्ट क्यों मिला कि

'**नोट** :–वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखिये, इतनी विडम्बना है कि गुजरात जहाँ मूँगफली के अलावा कुछ उगता नहीं, खारी जमीन है, वहाँ पर यह स्थिति है कि इम्प्लायमेंट हैंडरेड परसेन्ट पार कर चुका है और अगर बाहर से वहाँ लेबर न जायें तो उनके यहाँ काम नहीं हो सकता और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जहाँ गंगा और यमुना का दोआबा है और दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ का नौजवान अपने बेस्ट इयर्स में 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, बेस्ट इयर जो जीवन के होते है।, उनमें अलंग के शिपयार्ड जाता है, गुजरात में और वहाँ गैस कटिंग से जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, वहाँ पर बड़ी–बड़ी शिप काटता है और उस गैस कटिंग से इतने खतरनाक धुएं और फ्यूल्स निकलते हैं कि कम उम्र में उसको लंग कैंसर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। सोचिये, जहाँ पर दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ के आदमी को जाना पड़ रहा है, दूसरे प्रदेश और जहाँ पर मूँगफली के अलावा और कुछ नहीं उगता, वहाँ पर हैंडरेड परसेंट इम्प्लायमेंट, यह स्पिरिट है और इतनी स्थिति खराब हो गयी, अध्यक्ष जी, पिछली सरकारों में हम नेता लोग, अपनी आप बीती बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात 02 मिनट में समाप्त कर लीजिये।

श्री हर्ष वर्धन बाजपेयी–

जी, मान्यवर, मैं स्पिरिट पर बात कर रहा था कि स्थिति इतनी खराब हो गयी कि अगर हम लोग कहीं पब्लिक प्लेस पर जाते थे और हम लोग, नेता लोग खड़े हैं, सफेद कुर्ता पहन कर, कोई फैमिली का आदमी आता था तो कहता था कि चलो दूर चलकर बैठते हैं। क्योंकि इतना नाम नेताओं का जुड़ गया था, पिछली सरकारों में,

माफिया इत्यादि से। मान्यवर, अब मैं अपनी बात को खत्म करते हुए शार्ट में आना चाहता हूँ जो स्पीच में बातें बोली गयीं, उसकी तैयारी पर, सबसे पहले तो मैं एक प्वांइट पर बात करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो इस सरकार ने की है, इसकी जो तैयारी हम लोगों ने की है, सरकार की और उसकी नीतियों के लिए एक ऐतिहासिक परिवर्तन हम लोग लाये, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि जवाहर लाल नेहरू आजादी के बाद क्योंकि वह सोवियत यूनियन से बड़ा इन्सपायर थे। सोवियत यूनियन में एक संगठन होता था, गोसप्लेन तो गोस प्लान क्या करता था कि पूरे देश के बारे में एक साथ पंचवर्षीय तय कर देता था नीतियां और उसके बाद उसमें जो त्रुटियां होती थी उसका ढांचा इतना रिजिट था कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाता था, जिसका बाद में असर यह हुआ कि वहां के चेयरमैन गोर्वाचोक साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि हमारे देश की क्या विडम्बना है इस गौस प्लान की वजह से कि हमारे पास मिसाइलें ऐसी हैं कि हम लोग दूसरे प्लेनेट को टारगेट कर लेते हैं लेकिन हमारे देश में एक अच्छी वाशिंग मशीन नहीं बन पाती, यह इन्होंन अपनी किताब में लिखा है। यही स्थिति हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना की है।

श्री अध्यक्ष–

अभिभाषण पर आपका भाषण रहा जा रहा है।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जो हमने नीतियां बनाई हैं उसके लिए यह पंचवर्षीय योजना को खत्म कर के मा0 मोदी जी ने हम लोगों को नीति आयोग का ढांचा दिया जो साल भर का प्लान बनाता है, डेढ़ साल का प्लान बनाता है कि हम लोग नीतियों को लागू करें और उसके बाद उनमें परिवर्तन लायें। चार बिन्दुओं को नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए खासकर चिन्हित किया था जिन पर गवर्नर साहब के उद्बोधन में खास जोर था, उनमें से एक है गरीबी को कम करना, दूसरा हेल्थ केयर स्वास्थ्य व्यवस्था, तीसरा जो यहाँ पर तालीम और एजूकेशन की व्यवस्था है और चौथा इन्फ्रास्ट्रक्चर के एक खास प्वाइन्ट को उठाना चाहता हूँ उसके बाद मैं अपनी बात को विराम करूँगा, बात तो बोलने को बहुत कुछ थी, लेकिन शायद उतना वक्त न मिले। मैं बस एक प्वाइन्ट बोलूँगा, मा0 अध्यक्ष जी ने मुझे यह मौका दिया है, तो मैं मा0 अध्यक्ष जी की बात का पूरा सम्मान करूँगा। पावर के बारे में हमारे विपक्षी साथी बहुत बोल रहे थे, यह बात कल कही गयी, गवर्नर साहब ने अपने उद्बोधन में यह बात बोली कि हम लोग अक्टूबर, 2018 तक फुल पावर दे देंगे, इस पर कई कटाक्ष मारे गये, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि यह सरकार बनी है और उसके बाद हम लोगों ने इसको बोल दिया, इसके लिए पिछली तीन साल से बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है जिसमें से सबसे बड़ी जो समस्या मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रदेश में पिछली सरकारों ने छला है हम लोगों को, हमारे यहाँ पावर प्लान्ट की कमी नहीं है, सरकारों ने बार–बार यह बताया, मैंने मा0 पूर्व मुख्य मंत्री जी को कई बार सुना, पावर प्लान्ट लगा रहे हैं, पावर प्लान्ट लग जायेंगे तो पावर आ जायेगी, मैंने खुद अपने जिले में उनको उद्बोधन में सुना है यह कहते हुए कि पावर प्लान्ट लग जायेंगे तो हमारी पावर समस्या दूर हो जायेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में प्लान्ट लोड फैक्टर जिससे तय होता है कि पावर प्लान्ट कितने देर चल रहे हैं वह 45 परसेन्ट है, मतलब कि 45 परसेन्ट समय पावर प्लान्ट केवल चल रहे हैं और हमारी रिक्वायरमेन्ट गर्मी की जो जून

गर्मी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेन्ट होती है वह ढाई सौ गीगावाट है यानि दो लाख पचास हजार मेगावाट है।

श्री अध्यक्ष–

आप अभिभाषण का समर्थन कर रहे हैं न, धन्यवाद प्रस्ताव का।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी–

मान्यवर, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मा0 पीयूष गोयल जी ने हमारे यहाँ जो समस्या थी पावर की वह यह थी कि सरकारों के पास पैसा नहीं रहता था पावर खरीदने का, मा0 पीयूष गोयल जी ने पहली बार जो यहाँ पर पावर डिपार्टमेन्ट हैं उनकी जो डेब्ट थी उसको मानिटाईज किया बाण्ड बनाकर और उनको फिर से रिफाइनेन्स किया जिससे कि वह पर्याप्त मात्रा में एन0टी0पी0सी0 से पावर खरीद सकें। उसी पावर के बल पर पिछली सरकार ने कुछ महीने अच्छी पावर दी थी और हम लोगों ने जो ग्राउण्ड वर्क बना लिया है और साथ मे हम लोगों ने जो हैवी ट्रान्समीशन लाइन्स में इन्वेस्टमेन्ट किया है कि एक्सेस पावर के जो क्षेत्र हैं जैसे कि वेस्टर्न इण्डिया वहाँ की पावर को मैं यू0पी0 में ले आऊँ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी–

यह बहुत बड़ी योजना है जो केन्द्र सरकार ने हम लोगों को पिछले तीन साल में दी है, जिसके बल पर हम लोग अक्टूबर, 2018 तक फुल पावर दे देंगे, मान्यवर, बहुत–बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

'श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। लगभग 2 माह पूर्व उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत की भाजपा की सरकार को बने हुए हो गये हैं। कानून व्यवस्था पिछले चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा था और

'**नोट** :–वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन दो महीनों में कानून व्यवस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में असफल साबित हुई है। लूट, डकैती, धांधली, बलात्कार, हत्यायें और अन्य साइबर क्राइम बढ़ा है। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में कानून का राज्य हो यह हम सब की इच्छा है लेकिन विगत दो महीनों में आप अपने व वादों के अनुरूप सफल नहीं हो पाये हैं, अपराध बढ़ा है, इसको आपको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिये और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करना चाहिये। इसमें हम सब का जो सहयोग होगा वह निश्चित तौर पर हम करेंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब क्यों हुई? जहाँ तक मेरा मानना है कि इस सदन में अभी सब विधायकगण बैठें हैं और सब निर्वाचित होकर आये हैं। सबकी अपनी–अपनी क्षेत्र की समस्यायें हैं। जो मेरा मानना है कि इस प्रदेश में दो दलों की सरकार चल रही है, एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी हिन्दू युवा वाहिनी की सरकार। पूरे प्रदेश की हर विधानसभा और हर जनपद पर अलग–अलग पैरेलल संगठन खड़े हुए हैं और वे आपस में जोर आजमाइश कर रहे हैं

कि किसकी ज्यादा चलेगी। निश्चित तौर पर तय होना चाहिये कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है या हिन्दू युवा वाहिनी की। मान्यवर, लोकतन्त्र में सरकारें अपने इकबाल और धमक से चलती हैं। आज हमारे तमाम साथी विधायक हैं, कहने को तो कुछ कहें, विगत दो महीने से माननीय मुख्य मंत्री जी को और विभागीय मंत्रियों का तमाम पत्र दिये होंगे कि साहब हमारा कोतवाल नहीं सुन रहा है, हमारा एस0डी0एम0 नहीं सुन रहा है, हमारा बी0डी0ओ0 नहीं सुन रहा है, हमारा तहसीलदार नहीं सुन रहा है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि अधिकारीगण, माननीय मंत्रियों और विधायकों के दबाव में न आयें। कोई भी जनप्रतिनिधि कभी ब्यूरोक्रेट्स को दबाव में लेने का प्रयास भी नहीं करता है लेकिन अब आप निर्वाचित होकर आये हैं और जनता के लिए जो अधिकारी खरे नहीं उतरेंगे, निश्चित तौर पर कानून को उसमें अपना काम करना चाहिये। गेहूँ की खरीद चल रही है, हमारे तमाम माननीय मंत्रीगण क्षेत्रों में निकलें, आकस्मिक छापे मारें, मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि जो गेहूँ की खरीद पूरे प्रदेश में चल रही है, गेहूँ का भाव सरकारी 1635 रुपया है और ओपेन मार्केट, महमूदाबाद, बिसवां, सीतापुर में गेहूँ इस समय 1480–1470 रुपये कुन्तल बिक रहा है। माननीय अध्यक्ष जी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि जिन किसानों का गेहूँ क्रय किया गया है उनमें 10 प्रतिशत रैण्डम चेकिंग करवा ली जाये कि क्या उन किसानों से गेहूँ के तौल के बदले में पैसा या 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो गेहूँ का करदा नहीं काटा गया। आलू का इस बार भारी उत्पादन है, कोल्ड स्टोर फुल हो गये हैं। गवर्नमेन्ट ने घोषणा की कि 470 रुपये प्रति कुन्टल आलू खरीदेंगे, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि आज आलू का बाजार भाव 2 रुपये प्रति किलो है, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश का किसान परेशान है। कर्जा माफी की बात आपके चुनाव घोषणा पत्र में थी कि हम किसान के कर्ज लघु और सीमान्त किसानों का माफ करेंगे। मौखिक तमाम वक्ताओं ने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफी की बात आयी, आपने लघु सीमान्त किसान में एक लाख की कैटाग्री डाल दी। निश्चित तौर पर जो वादे और जो जुमले आप चुनाव में छोड़कर जनता के बीच में आये थे, उन वादों पर आप खरें नहीं उतरे, उन जुमलों के आधार पर आप सरकार बनाकर आ गये। एण्टी रोमियो स्क्वेड निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में हमारी बेटी, बहन की इज्जत 100 प्रतिशत होनी चाहिये, इसमें कोई समझौता हमको–आपको नहीं करना चाहिये लेकिन भाई–बहन, पति–पत्नी और एक बालिग दोस्त क्या चौराहों पर, सड़क पर, पार्क में नहीं जा सकते। भाई–बहन को रोका गया, पति–पत्नी को रोका गया, बालिग दोस्त को रोका गया और मा0 मुख्यमंत्री जी को भी कहना पड़ा कि यह पुलिसिया अत्याचार न हो। कहीं न कहीं से उन युवा भाई–बहन के मन में क्या गया, पति–पत्नी के मन में क्या गया या बालिग दोस्त के मन में क्या गया जिनका सार्वजनिक उत्पीड़न चौराहों पर, पार्कों में किया गया। निश्चित तौर पर मैं समझ रहा हूँ कि लोकतन्त्र में कहीं न कहीं ये गलत हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, अब संक्षेप करिये।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मान्यवर, अभी तो एक ही मिनट बोला है और कोई गलत बात भी नहीं बोली है।

श्री अध्यक्ष–

आप चूँकि बढ़िया बोल रहे हैं इसलिए लगा नहीं लेकिन आप बोल रहे हैं 4 मिनट से।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मान्यवर, 55 लाख महिलाओं को पूर्व मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव जी समाजवादी पेंशन दे रहे थे। वे महिलायें कोई समाजवादी पार्टी की वोटर नहीं थी और माफ करियेगा उन्हीं महिलाओं की बदौलत जिनको पेंशन मा0 अखिलेश जी ने दी थी और वोट बहला–फुसला करके आप ने हासिल कर लिया। आपने उनकी पेंशन जाँच के नाम पर रोक दिया।

(सत्ता पक्ष के एक सदस्य द्वारा अपात्रों की रोक दी कहने पर)

अपात्रों की नहीं, पूरे की रोक दी आपने, हकीकत है। सदन में जो कहूँगा, सच कहूँगा। पूछ लीजियेगा मा0 मुख्य मंत्री जी से। हम भी राज्य मंत्री समाज कल्याण रहे हैं और मा0 शास्त्री जी भी बैठे हैं। पूरे प्रदेश की 55 लाख महिलाओं की पेंशन जाँच के नाम पर रोक दी। उन महिलाओं ने क्या बिगाड़ा था? क्या वे राष्ट्र विरोधी थी, क्या वे राष्ट्रवादी नहीं थी? कहीं न कहीं से, कुछ न कुछ धोखा जरूर हुआ है। आज शराब बन्दी की बात पर पूरे प्रदेश में पिछले डेढ़–दो महीने से आन्दोलन हो रहे हैं। अब तो मा0 शाही जी यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा होता कि मा0 मुख्य मंत्री जी और हमारे खन्ना साहब होते। मुख्य मंत्री जी को तो हम नहीं कहेंगे वे सन्त हैं योगी हैं। खन्ना जी ने शादी नहीं की जो महिलायें जेल में बन्द हैं, उनकी पीड़ा खन्ना साहब क्या जानें। एक तो हम अपने भाजपा के मित्रों से कहेंगे, हम भी कहेंगे कि खन्ना जी शादी वगैरह कर लें।

श्री अध्यक्ष–

आप खन्ना जी से मिल लें अगर कोई योग्य रिश्ता हो। मैं मदद करूँगा अगर कोई योग्य रिश्ता हो तो आप उनसे मिल लीजिये। मैं तो बड़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ तो हम बारात चलेंगे।

श्री विक्रम सिंह–

अध्यक्ष जी, जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही है आपकी।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

हम आपका संरक्षण चाहेंगे उन महिलाओं के बारे में जो 433 महिलायें जेल में पड़ी हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि आप उनको केवल रिहा न करें बल्कि उनके ऊपर जो मुकदमें थोपे गये हैं, जो मुकदमें लादे गये हैं। जो महिलायें जेल में बन्द हैं या जिनकी जमानत हो गयी है। हम आपके माध्यम से सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहेंगे कि उन्होंने शराब बन्दी के खिलाफ आन्दोलन किया और निश्चित तौर पर इस सदन का कोई सदस्य नहीं कह सकता है कि उन्होंने गलत किया। अगर व्यक्तिगत पूछा जाय तो सब कहेंगे कि उन्होंने सही किया। दलीय होने के नाते हाँ कहेंगे कि गलत किया। निश्चित तौर पर हम सदस्यों की आपसे अपेक्षा है कि आप सरकार को निर्देश देंगे कि जो महिलाओं पर मुकदमें लिखे गये हैं, जो वृद्धों पर मुकदमें लिखे गये हैं और जो बच्चों पर मुकदमें शराब बन्दी को लेकर लिखे गये हैं तो

कृपा करके सरकार उन सम्पूर्ण मुकदमों को वापस ले और उन्हें बिना शर्त जेल से रिहा करे।

श्री अध्यक्ष–

अब तो आपका हो गया।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मान्यवर, बस दो मिनट लेंगे। पूरे प्रदेश में नलकूप खराब है। नहरों की टेल तक पानी नहीं जा रहा है और नहरों की टेल तक पानी न जाने का कारण जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारे हिमालय में लगातार बर्फ का स्तर, पानी का स्तर कम होता जा रहा है। हम चाहेंगे कि सरकार नहरों का पुनरोद्धार करा करके, नलकूप जो खराब हैं उनको ठीक करा करके पानी की समुचित व्यवस्था करे। मई, जून का महीना है और गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल का भीषण संकट खड़ा हो गया है। पिछले वर्षों में जब मा0 अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री थे तो हर विधायक को 100 नये नल और 100 रीबोर नल दिया करते थे। पहले वर्ष में भी दिया था, अभी शुरुआत है तो आप शुरुआत करिये लेकिन चूँकि ये सब जनप्रतिनिधि चुनकर आये हैं, यहाँ के बाद गांव में जाते हैं और गांव में कहते हैं कि प्रधान से हमारी पटरी नहीं खाती है और प्रधान जी हमारे द्वारा नल नहीं लगाते हैं। निश्चित तौर पर सरकार को मा0 विधायकों को रि–बोर के लिए और नये हैण्ड पम्प लगाने के लिए देने चाहिये जिससे हम भी कहीं सार्वजनिक स्थल पर या कहीं उस स्थान पर जहाँ पेयजल का भीषण संकट है उनको लगवा सकें। विद्युत व्यवस्था के बारे में हमारे मित्र साथी विधायक कह रहे थे कि निश्चित तौर पर पूर्ववर्ती सरकार ने बिजली विभाग में बहुत बड़े काम किये हैं। पॉवर हाउस बनाये हैं, विद्युत उपकेन्द्र खोले हैं और ट्रान्समीशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है लेकिन मई, जून में बिजली की खपत बढ़ती है। आज भी बढ़ी है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो स्थिति मार्च में थी, वह अप्रैल में नहीं है, जो अप्रैल में है वह मई में नहीं है और ये इसके आगे जनू में भी कम होगी तो निश्चित तौर पर हमको आपको चिन्ता करनी चाहिये कि हमारा विद्युत का उत्पादन कैसे बढ़े, लाइन लॉसेस कैसे कम हो और उपभोक्ता को बिजली कैसे मिले। राजीव गांधी विद्युत परियोजना फेज–2 में अभी जो काम चल रहा था उसमें जहाँ तक मेरा मानना है कि मौरंग, बजरी की सप्लाई के कारण पोल नहीं बन पा रहे हैं। अभी दीनदयाल विद्युत परियोजना का भी काम शुरू होना है। पोल न बनने के कारण गांव में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम बिल्कुल ठप्प हो गया है। निश्चित तौर पर खनन का विषय आपका अलग है, आप टेण्डर कराये वह टेण्डर हो उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हमारे तमाम वरिष्ठ मंत्रीगण बैठे हैं। हम आप सब लोग गांव से चुनकर आते हैं, उसका टेण्डर कैसे होगा जिसने अपना मकान बनाया है और पिलिन्थ लेविल तक उसको मिट्टी डालनी है। इसलिए जो अपनी दुकान बना रहा है उसमें उसे पिलिन्थ लेविल तक मिट्टी डालनी है, उसका टेण्डर कौन करेगा। अगर हमें 10 ट्राली की जरूरत है तो एस0डी0एम0 साहब से परमिट लेनी होगी। किसान अपना मकान बना रहा है दुकानदार अपनी दुकान बना रहा है या कोई कुछ और बना रहा है, मिट्टी उसको कहाँ से मिलेगी इस पर भी चर्चा होनी चाहिये। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं और आपका बिसवां सीतापुर से भी ताल्लुक रहा है। आपका एक स्टेटमेन्ट आया था जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे थे कि "खान–पान, पहनावा, वेशभूषा से राष्ट्रवाद नहीं होता है। राष्ट्रवाद होता है कि देश के प्रति हम कितने समर्पित हैं और देश

के लिये हम कितने जागरूक हैं।" एक स्टेटमेन्ट आया था आपका कि मुर्गा, मछली के कटान पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। हम मांसाहारी भी हैं और सदन में जितने लोग बैठे हैं, पूरे प्रदेश के चौधरी साहब कह रहे थे कि जो डाटा है उसके अनुसार पूरे देश में लगभग 70 प्रतिशत हिन्दू नॉनवेज खाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो बात अलग है कि कुछ लोग खुलकर खाते हैं और कुछ लोग चोरी से खाते हैं। वह अलग है कि कुछ लोग लहसुन–प्याज सहित खाते हैं और कुछ लोग बिना लहसुन–प्याज खाते हैं, लेकिन खाते हैं। खैर, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। मछली के किसान को पट्टा हमने, आपने, सरकार ने दिया अब दरोगा साहब उनकी मछलियाँ तालाब में उड़ेल रहे हैं कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। मुर्गी पालन के लिए भी ऋण हमने, आपने दिया और मुर्ग को दरोगा साहब खोल रहे हैं। 100 नम्बर डायल जारी है, खोल दो इसका उड़ जाये। बकरी पालने का ऋण हमने आपने दिया तो लाइसेंस क्यों नहीं देंगे? कौन–सी नीति है, क्या खान–पान पर राष्ट्रावाद तय होगा, क्या पहनावा और वेशभूषा पर राष्ट्रवाद तय होगा या तो यह कहा जाय कि पूरे प्रदेश में अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा प्रतिबंधित है, नहीं खाया जायेगा इसको बैन कर दीजिये लेकिन अगर बैन नहीं है चोरी से, चुपके से खा रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमारे बड़े मौर्या साहब खाते हैं कि नहीं खाते हैं लेकिन कम से कम आपने एक स्टेटमेंन्ट दिया था कि मुर्गा और मछली पर प्रतिबन्ध नहीं है। आप इलाहाबाद शहर से जीत करके आये हैं। शहर और गांव के कल्चर में बहुत बड़ा अन्तर है। लखनऊ में कोई पुलिस वाला पत्रकार की वजह से, अधिकारियों की वजह से सामान्य नागरिकों से इतनी बदतमीजी नहीं करता है जितनी गांव में करता है। यह हमारे साथी जो गांव के विधायक हैं इनसे पूछ लीजिये कि पुलिस वाले गांवों में, बाजारों में, मछली वालों को, मल्लाहों को, कश्यप को, निषाद को और कहार को ....

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)–

देखिये नाम मेरा लिया है इसलिये मैं कहना चाह रहा हूँ.....

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

आपका स्टेटमेन्ट था।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह–

मेरा स्टेटमेंट जो था, मैं उसको फिर से बोल देता हूँ। मेरा जो स्टेटमेंट था वह यह था कि "कोई भी अवैध बूचड़खाने जो चल रहे हैं, वह नहीं चलेंगे, वैध है तो उसको चलाया जायेगा। वैध जो काम कर रहा है उसमें तो हमें आपत्ति है नहीं" और न आज भी आपत्ति है। मेरा स्टेटमेन्ट यहाँ तक ही था कुछ लोगों ने शायद पूछा था कि मुर्गा और मछली के लिए उसमें मैंने कहा था कि अगर कहीं वैध तरीके से कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को किसी चीज में कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ तक ही मैं सीमित था तो उसको आप थोड़ा सा स्प्रेड कर दे रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मैं विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि क्या पूरे प्रदेश के किसी भी गांव में मछली काटने का कोई बूचड़खाना है। सरकार के पास डाटा होगा यदि हो तो सरकार बतायेगी। मुर्गा काटने का कोई बूचड़खाना है। बूचड़खाना भैंसा काटने का है, बूचड़खाना बकरा काटने का है। आप भी मित्र कहीं–न–कहीं किसी गांव से चुनकर आये होंगे आप मान तो लीजिये, मैं भी लम्बे समय से हाउस में हूँ। गांव में, बाजार में, इस पर

चर्चा होनी चाहिये। हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी के विपक्ष में खड़े हो जायें, यह शायद अच्छा नहीं होगा। हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, किस सभ्यता में रहना है, संस्कारों के अनुरूप और संविधान के अनुरूप हमें रहना है लेकिन किसी के कहने पर हम यह करेंगे ऐसा सम्भव नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में विकास के काम ठप हो गये हैं। मैं 15 दिन, 50 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ और न गिट्टी, मौरंग, बालू की बात कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश में पिछली सरकार के समय जो विकास के काम चल रहे थे 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत जो काम पूरे हो गये थे चाहे लोहिया गांव हों, चाहे जनेश्वर मिश्र गांव हों, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण–उच्चीकरण हो उन पर धन रोक दिया गया है। सरकार की मंशा क्या है? क्या उस पर श्री अखिलेश यादव जी या उनके लोग चलेंगे। बहुमत में तो आप आये, 325 आप आये, हम 47 आये, हमें अध्यक्ष जी, आपसे उम्मीद है कि सरकार को आप कहेंगे कि निश्चित तौर पर जो काम रोके गये हैं उन कामों को समयबद्ध चलायें। मुझे लगता है कि रोकने से आपका भला होने वाला नहीं है। 19–20 को हम लोग अपने–अपने क्षेत्र जायेंगे। निश्चित तौर पर कोई नयी सरकार आती है तो उस सरकार के बारे में, उस दल के बारे में, उस दल के मुखिया के बारे में हमारे पत्रकार साथी चाहे वह इलेक्ट्रनिक मीडिया हो, चाहे प्रिन्ट मीडिया हो, चाहे मंत्रिगण हो उनके बारे में दो महीने, तीन महीने, चार महीने, पांच महीने लगातार छापते रहते हैं कि इनका जन्म यहाँ हुआ, पढ़ाई यहाँ हुई, ऐसे खाते हैं, ऐसे पहनते हैं ऐसे गाय को खिलाते हैं, ऐसे विदेशी कुत्ते को पालते हैं, सहलाते हैं, स्वदेशी कुत्ते को नही विदेशी को। निश्चित तौर पर मीडिया वाले भी आपको चढ़ाये हैं। दो महीने बाद आपको क्षेत्र को जाना है और दो महीने बाद ईमानदारी से देख लीजियेगा कि दो महीने पूर्व जो वर्कर आपके साथ चुनाव में दौड़ रहे थे आज वह कहाँ हैं। उसमें से कितने प्रतिशत नाराज हो चुके हैं। निश्चित तौर पर जब हम सत्ता में थे और हमें भी लग रहा था कि हम वापस आ रहे हैं। आज आप सत्ता में 14 वर्ष बाद आये हैं और कहीं ज्यादा तेजी, इतनी आपके लिए घातक न हो जाये कि आगामी 5 वर्ष बाद आपको 14 वर्ष का वनवास फिर से न हो जाये।

श्री अध्यक्ष–

चलिये वर्मा जी, आपका सुझाव हम मानेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, तमाम मित्रों को जिनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाला।

श्री अध्यक्ष–

अभी कुछ बचे हैं क्या?

(हँसी)

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, एक हमारे साथी विधायक बैठे हैं इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे दलों से कूद कर गये हैं जैसे कि माननीय मौर्या जी कूद कर गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं वह कूद कर नहीं आये हैं धीरे–धीरे आये हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नरेन्द्र वर्मा जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं जब कभी हमारे साथ बैठते थे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बात कई बार आयी कि मौर्या जी कूद कर आये जबकि जब मैंने भ्रष्टाचार की देवी को लात मारा तो सबसे पहले आरती उतारने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग आये थे और जब मैंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार से निकलकर गुण्डाराज के मकड़जाल में फंसने वाला नहीं हूँ केवल विकास के रास्ते पर चलूँगा तो केवल मुझे मोदी जी का रास्ता दिखायी पड़ा और कोई रास्ता नहीं दिखायी पड़ा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदन के वरिष्ठ सदस्य ने लात मारने की बात कही है। एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता को इस सदन में लात मारने की बात कही गयी है, यह शोभनीय नहीं है। कृपया इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इसको देख लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नाम नहीं लिया यदि नेता विरोधी दल नाम पूछेंगे तो आरती उतारने वाले कौन लोग थे मैं उनका नाम भी बता दूँगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने तो संशोधन रखा है मैं उस पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मैं नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करता हूँ, कार्यवाही में जो चीज आपत्तिजनक होगी और पूरी कार्यवाही में जहाँ कहीं भी कोई अंससदीय बात होती है, उसको हम देख लेते हैं, देख लेंगे।

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी–

अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मैं बोलने से पहले एक बात जरूर कहूँगी जब आदरणीय राज्यपाल जी अपना अभिभाषण देने के लिये आये उस समय विपक्ष का जो मर्यादाविहीन व्यवहार था, ऐसा आचरण, चूँकि हम पुराने विधायक हैं और हमने कभी देखा नहीं। आप देखिये हमने कभी इस तरह का आचरण नहीं देखा हम भी विपक्ष में रहे हैं विपक्ष में रहने के बाद भी हमने भी विरोध किया है लेकिन इस तरीके का आचरण नहीं किया। सारी मर्यादायें लांघ दी गयी और इतना हुआ कि हमारे जो माननीय सदस्यगण हैं उन्हें आदरणीय राज्यपाल जी का ध्यान रहा नहीं रहा लेकिन उसके साथ ही साथ उन्हें अपनी बहने जो यहाँ पर बैठी हुई हैं उनकी मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा। जिस तरीके से एक एमएलसी सीटी बजा रहे थे आप देखें कि सीटी कहाँ बजाई जाती है, कौन लोग

बजाते हैं? यह हम जैसे जो 4 लाख जनता के ऊपर एक प्रतिनिधि चुना जाता है उसका ऐसा आचरण वह भी विधान सभा में, इसके लिए मुझे बहुत ही दुख पहुँचा है और मैं इसकी निन्दा करती हूँ। शायद यही आचरण आपका जनता के बीच में रहा होगा तभी तो यह रहा है कि जो 2014 का चुनाव हुआ उसमें जनता ने सारे जाति, धर्म, द्वैषभाव को भुलाकर केन्द्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद आप तो सत्ता में थे और 5 साल से सत्ता सम्भाले हुए थे आपको धता बताते हुए 73 सांसदों को उत्तर प्रदेश से केन्द्र में पहुँचाने का काम किया।

अभी हमारे माननीय साथी बोल रहे थे कि हमारी समाजवादी पार्टी महिलाओं को 500 रुपया देने का काम किया था। आखिर ऐसी क्या बात हो गयी आपकी समाजवादी पार्टी आप महिलाओं को नोट भी दे रहे थे लेकिन वोट देने का काम उन्होंने नहीं किया यह कहीं न कहीं आपका आचरण था जो जनता के सामने गया और जनता त्राहि–त्राहि कर चुकी थी जनता ने यह महसूस कर लिया था इस बार हम इनको नहीं सहेंगे इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी बनाने का काम किया और जनता की भावना को समझते हुए हमारे आदरणीय संगठन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जनता की भावनाओं को समझा और एक सक्षम और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का आपने काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से केन्द्र में एक ऐसे काम किये गये जिससे कि जनता को, नीचे जो गरीब जनता थी उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी काम हो सकते हैं। उज्जवला योजना, जो गरीबों के घर–घर तक गैस पहुँचा दी। उन्होंने जो कभी सोचा तक नहीं था कि हम कभी गैस भी जला सकते हैं, गैस ले सकते हैं, ऐसी योजना को गरीबों के घरों में पहुँचाने का काम किया। जन धन योजना के तहत एकाउन्ट्स खुलवाने का काम किया, कभी आदमी सोच भी नहीं सकता था कि हमारे एकाउन्ट्स भी खुलेंगे। इस तरह के काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किये और आज जो मैं अभिभाषण पर बोलने वाली हूँ, आज उसी का नतीजा है कि दो महीने मात्र हमारी सरकार को बने हुये हैं और आज 24 घन्टे जिलों में, 20 घन्टे तहसील में और 18 घन्टे गांव में बिजली पहुँचाने का काम इस सरकार ने किया है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि 24 घन्टे के अन्दर शहर में ट्रांसफार्मर बदलवाने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ 48 घन्टे में गांव में भी ट्रांसफार्मर आकर बिजली कर्मचरी ले जाते हैं और उसे बदलने का काम करते हैं यह है हमारी सरकार और अभी कुल दो महीने हुये हैं। अभी बूचड़खानों की बात हो रही थी, जरा जनता से जाकर आप पूछिये कि जनता कितनी खुश है। इवेन जो आप मुस्लिमों के बहुत ज्यादा हितैषी बनते हैं मैं आपसे कहना चाहती हूँ जरा जाइये उनके बीच में, जो इस काम को करते होंगे वह तो जरूर आपसे अपनी शिकायत करेंगे लेकिन जो आस–पास के लोग रहते हैं वह हमारे पास आकर इतनी प्रशंसा करते हैं कि हमें रहने का अधिकार यदि किसी ने दिया है तो आदरणीय योगी जी ने दिया है। आज प्रदेश में जितने लघु और सीमान्त किसान हैं उनका एक लाख तक का कर्ज माफ करने का काम इस सरकार ने किया है। अभी आलू के विषय में कहा जा रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने पहली बार आलू को खरीदने का काम किया है और 487 रुपये क्विंटल में इसे खरीदने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, उद्योग नीति के विषय में बार–बार कहा जा रहा है, मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। मैं कई बार पिछली सरकार में इस बात को उठा चुकी थी

हमारे यहाँ बहुत ही पुराना औद्योगिक क्षेत्र है और काफी पुराना है एन0डी0 तिवारी जी के समय से, लेकिन वह बिल्कुल बीमार हो गया, वहाँ पर जो इण्डस्ट्रीज थी, वह भी वापस चली गयी और जो आकर नई लगी थी वह भी वापस चली गयी, क्योंकि वहाँ किसी ने ध्यान देने की कोशिश नहीं की। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने दुबारा से एक नई उद्योग नीति लाने का काम किया है और मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन भी करना चाहती हूँ कि कम से कम यू0पी0एस0आई0डी0सी0 सिकन्दराबाद बहुत अच्छा पुराना औद्योगिक क्षेत्र है वह एक बार दुबारा से शुरू हो।

माननीय अध्यक्ष जी, स्वच्छता आन्दोलन केन्द्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया और कोशिश की कि हर गांव में हर घर में शौचालय बने और आज उसी का परिणाम है कि हम उत्तर प्रदेश में 2018 तक हर गांव में हर घर में शौचालय बनवाने का काम करेंगे, यह हमारी सरकार का वायदा है। आदरणीय महामहिम जी ने अभिभाषण में यह उल्लिखित किया है कि 2018 तक इस वायदे को हम पूरा करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जब पिछली विधान सभा में सदस्य थी तो उस समय वहाँ पर जो अन्तयेष्टि स्थल बनाये जा रहे थे वहाँ कब्रिस्तानों को पैसा दिया जा रहा था, शमशान घाटों के लिए पैसा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने मा0 मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने इस वर्ष अन्तेष्टि स्थलों को बनाने का कार्य किया है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह आपका और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि देश में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जैसे नेता और प्रदेश में योगी जैसे नेता हैं जो सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए चार–पाँच घन्टे रखते हैं और पूरी तरीके से राष्ट्र के लिए और प्रदेश के लिए समर्पित हैं। आज हमारे राष्ट्र का सम्मान बढ़ रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में इन पाँच सालों में हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेश होगा, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह नई ऊँचाइयों को छुयेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री विजय मिश्रा–

मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी आपको कोटि–कोटि प्रणाम, वन्दन अभिनन्दन आपने समय दिया साथ ही साथ मा0 श्री दिनेश शर्मा जी उपमुख्य मंत्री का, मा0 श्री केशव मौर्या जी उपमुख्यमंत्री का और आदरणीय मा0 खन्ना जी संसदीय कार्य मंत्री का और नेता प्रतिपक्ष सभी का कोटि–कोटि अभिनन्दन। महामहिम श्री राज्यपाल जी का जो कल अभिभाषण हुआ उस पर बल देता हूँ। मैं तो दल का अकेला विधायक हूँ शायद निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आमदल का नाम है हमें भी पूरा याद नहीं आपको कहाँ से याद होगा, निषाद पार्टी शार्ट में हैं। मान्यवर, कल की जो घटना देखी है उसकी जितनी भी निन्दा की जाय कम है, इतनी शर्मनाक घटना हमारे समय में नहीं हुई। सुना जरूर था इसी सदन में कभी लात, डंडे, हत्थे चले थे, जो हमारे नये मा0 सदस्य आये हैं पूर्व स्पीकर साहब की कृपा से वह हत्थे, डंडे निकाल दिये गये हैं। इसे आपने भी 1990–91 में सुना होगा और कई प्रदेशों में उसकी नकल हुई। कितनी निन्दा हुई प्रदेश की, यह था कभी 2002 में जब दो दल थे सपा/बसपा कि उसका विरोध करिये, 2007 में विरोध करिये तो कभी वो विरोध करते दूसरे सत्ता में आ जाते थे। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष उस समय हमको लगता है कि 5 वर्षों में जनता भूल जाया करती थी। आदरणीय मौर्या जी हैं, 27 साल तो यही कम कर देंगे। अभी कांग्रेस के हमारे मा0 अजय उर्फ लल्लू भाई कह रहे थे कि अगली बार हमारी सरकार आ जायेगी। 27 साल तो आपका गया, 27 साल और खत्म होगा और सपा के साथ और गठबन्धन किया तो

54 साल की आप दूरी समझिये, बाकी हम भी तो बैठे हैं हम भी तो उसी दल में रहे हैं। 2009 के उप चुनाव में अगर भदोही में श्री अध्यक्ष जी चुनाव न जिता देते तो स0पा0 की सरकार वर्ष 2012 में नहीं आती, उपचुनाव हारने के बाद वर्ष 2009 बसपा सरकार ने कितना जुल्म किया फर्जी मुकदमें दायर किये। सारे नौजवान नौकरी कर रहे हैं और उस घटना के बाद कितनी यातना दी गयी, कितने मुकदमें इन लोगों ने लिख दिया। मा0 मंत्री आदरणीय नन्द गोपाल नन्दी जी बैठे हैं हमारे मित्र हैं,हमे जानकारी नहीं है हमारी पत्नी पर गोली चलवा दिया, हमारे ऊपर गोली चलवा दिया, सरकारी गनर को 18 गोली लगी और मुकदमा लिख गया कि इनकी गलती से गनर को गोली लगी। बसपा आज कानून की बात करती है, पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष पर आपने गोली चलवा दी और उसके बाद आपके नेता ने कहा जब 5–10 लाख इनाम था कि रामलली को एम0एल0सी0 बना दो, हमने कहा मौत कबूल ब0स0पा0 एम0एल0सी0 नहीं चाहिये, जेल में रखा।

दो घन्टा पूजा करने की परमीशन नहीं दी।

श्री अध्यक्ष–

आप अभिभाषण पर बोल रहे हैं?

श्री विजय मिश्र–

मान्यवर, उस पर भी आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

पहले ही आ जाइये।

श्री विजय मिश्र–

वह भी परमीशन खत्म, और एक दिन माननीय अध्यक्ष जी, कोर्ट का आदेश हुआ ए0डी0जे0 का कि इनको नैनी जेल में रखा जाये। जेलर पता नहीं कहाँ लेकर चल दिया, मेरठ के हमारे साथी जानते होंगे? जब वकील लोग गये तो पता चला कि विजय मिश्र नैनी जेल में नहीं हैं, मेरी पत्नी ने कह दिया टी0वी0 में कि विजय मिश्र को कहाँ ले गये, नैनी जेल में नहीं है। फौरन टी0वी0 चैनल मैनेज किये गये। अखबारों में आया कि विजय मिश्र फरार हो गये। मेरठ में रात में हमें यह नहीं मालूम हुआ, कोई अमित वर्मा नाम का इंस्पेक्टर था जो पैसे लेकर इन्काउन्टर करता था। हमसे कहा गया कि आपकी जान को खतरा है, मैंने कहा कि क्यों, बोले टी0वी0 में चल रहा है आप फरार हैं और 10–12 पुलिस वालों के साथ इंस्पेक्टर मेरठ से रवाना हो गया है। हमें रात में फतेहपुर से आगे ले जाकर किस जंगल में रखा, हमें नहीं मालूम, हमें लाकर पुलिस कस्टडी में दूसरे दिन डाल दिया गया। (समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर) यह रिकार्डेड चीज है, कोर्ट का आदेश है। बैठिये, अभी एक–एक चीज मैं बोलूँगा। जिस लूट एण्ड कम्पनी के आप अध्यक्ष हैं, उसी का मैं हेडमास्टर रहा हूँ। (हंसी) मैं स0पा0, ब0स0पा0 व भा0ज0पा0 से नहीं जीतकर आया हूँ, सीधे–सीधे पूर्व मुख्यमंत्री को ललकार करके जीतकरके आया हूँ, आपके दल को चौथे नम्बर पर रखकर मण्डल में आपका सफाया करके आया हूँ। इसमें बी0जे0पी0 की कहीं बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

विजय मिश्र जी, आप श्रीराज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलिये।

श्री विजय मिश्र–

मान्यवर, कहा गया कि थाने में मुकदमें दर्ज नहीं होते, अब थाने में मुकदमा दर्ज कराने की ऑन–लाइन व्यवस्था है, है कि नहीं है? नेता विरोधी दल जी, आप क्या कह रहे थे, थाने में पुलिस की भर्ती कब होगी, कितनी होगी, आपने कैसे भर्ती कर दिया? अगर 22 करोड़ प्रदेश की आबादी है तो कम से कम 5–6 करोड़ बेरोजगार/नौजवान होंगे, उनकी पढ़ाई–लिखाई की हत्या करके साफ कर दिया और लिख दिया कि दौड़ लीजिये आप सिपाही हो गये। आदमी क्यों फिर स्कूल, कॉलेज खोलेगा क्यों इंजीनियरिंग कालेज खोलेगा, क्यों इण्टरकालेज, डिग्री कालेज खोलेगा? पी0सी0एस0 की नौकरी में परीक्षा हुई, रिकार्डेड बात कह रहा हूँ 40 से 60 लाख रुपया लेकर पी0सी0एस0 में भर्ती की गयी, आप कहेंगे कि सी0बी0आई0 इन्क्वायरी हो गयी। मुझसे नम्बर लीजिये हर दिन टेलीफोन किया गया जो अध्यक्ष था इनको पी0सी0एस0 बना दो 60 लाख रुपया ले लो। क्या गुजरी उन नौजवानों पर वह भी पद तीन–चार जिलों को दे दिया, बाकी सबको छोड़ दिया, हद हो गयी प्रदेश के नौजवानों में त्राहि–त्राहि अपराध कितना वर्षवार बढ़ा, आपको मालूम नहीं है। आप पढ़–लिखकर आते नहीं है। सन् 1947 में देश की आबादी 30 करोड़ थी अपराध आप देख लीजिये, आबादी के अनुपात में अपराध उससे दस–बीस गुना कम हुआ है। आबादी बढ़ रही है तो क्या अपराध नहीं बढेंगे। विश्व में अपराध कहाँ नहीं हो रहा है? आपको यह पढ़कर आना चाहिये कि अपराध हुआ कितने अपराधी गिरफ्तार हुए, कितने फरार हैं। गांव में किसी की बहू जल जाये, गांव में किसी को मार दें यह घटना पुलिस के रोकने की बात नहीं है। बहू जला दी जाये तो सास–बहू के बीच में पुलिस कहाँ खड़ी रहेगी? अपराध गम्भीर अपराध है उस पर सख्त कार्यवाही की जाय।

श्री यासर शाह–

मान्यवर, इस तरह का आचरण नहीं होना चाहिये, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करें।

श्री विजय मिश्र–

आप बैठ जायं, आपकी ही बात बता रहा हूँ, आप रहे हैं। (श्री यासर शाह द्वारा न बैठने पर) आप कौन होते हैं?

श्री अध्यक्ष–

अब आप संक्षेप करें।

श्री विजय मिश्र–

माननीय अध्यक्ष जी, क्षमा चाहता हूँ और आपका संरक्षण भी। अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि राज्यपाल का भाषण असंवैधानिक था। जब आप एक पूर्व में अपनी सरकार में एक लाइन शुरूआत का और एक लाइन अन्त का पढ़ लेते थे, 'अ' और 'ज्ञ' पढ़ लेते थे तब संवैधानिक था पिछली सरकार में। अभिभाषण में इतनी अच्छी बात लिखी गयी, सारी योजना के बारे में लिखी गयी, गरीब से लेकर अमीर तक के हक की बात लिखी गयी। सिंचाई , बिजली सबका जिक्र किया गया। अभी कह रहे थे कि हमने सिंचाई फ्री कर दी। मान्यवर, आप बता दें, सिंचाई फ्री कर दी। आप बता दें सिंचाई फ्री कर दी, अच्छी बात है, नाली टूटी थी लेकिन बजट में आपने 01 भी रुपया नहीं दिया, कहाँ पानी गया, आपके घर गया? एक फुट नाली टूटी थी लेकिन ट्यूबवेल नहीं चला, अभी भी 20 परसेन्ट ट्यूबवेल को स्टार्टर नहीं दिया आपने, हम जमीन के आदमी हैं। ट्युवेल के ट्रान्सफार्मर आपने नहीं दिया। अगर पूर्व मुख्य मंत्री जी जीत गये होते तो 24

घन्टे बिजली देते तो आपने पांच साल तक क्या किया? यह सब क्यों नहीं किया, जब पांच साल आपकी सरकार थी। अभी बहुत सी बातें हैं जो बात मैं बताऊँगा, मा0 अध्यक्ष आपको कोटिशः धन्यवाद। क्या बिजली खरीद में लेन–देन नहीं हुआ? क्या आपको वह रिकार्ड बता दूँ। ट्रांसफार्मर में 60 परसेन्ट कमीशन, अब क्या 100 परसेन्ट लेते।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

माननीय विजय जी, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री विजय मिश्रा–

माननीय अध्यक्ष जी, जरा एक मिनट और। जरा इन लोगों को कह दीजिये। इन्हीं लोगों के खिलाफ लड़कर मैं आया बी0जे0पी0 के खिलाफ लड़कर नहीं आया और ललकार भी पूरे देश प्रदेश में आया कि चुनाव पूर्व मुख्य मंत्री और ज्ञानपुर जनता के बीच हुआ। कुम्भ मेला क्या था? आजम खाँ ने कुम्भ मेला करा दिया पूरे विश्व में नाम हो गया। इनका कितना पैसा लगा? कितना पैसा आजम खाँ का लग गया? 18–20 वहीं स्टेशन पर मर गये कुम्भ मेले में। और तब बदनामी हुई प्रदेश की नहीं देश तक भर की। जब आजम खाँ अमेरिका गये जो वहां से बेइज्जती करवाकर लौट आये इनको नहीं मालूम वहां पर तलाशी होती है। तुनकमिजाजी वहां पर भी दिखा दी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विजय जी, आपने एक मिनट कहा था दो मिनट हो गया है।

श्री विजय मिश्र–

मान्यवर, बस एक मिनट और चाहता हूँ। अभी जौहर विश्वविद्यालय की जांच होना भी बाकी है।

श्री अध्यक्ष–

अब बस एक ही मिनट में आप कहिये।

श्री विजय मिश्र–

गरीबी रेखा के नीचे लोगों का पूर्व सरकार ने कानून से, किसान से, दवाई से, पढ़ाई से सब साफ कर दिया तो जनता ने भी साफ किया है तो 15, 25 साल के लिये साफ किया है एक दो साल के लिये नहीं किया है। थोड़ा यह जरूर है कि आपको छटपटाहट है कि 50 दिन आप बिना सत्ता के नहीं रह सकते तो कम से कम अब 50 वर्षों के लिये तो धैर्य रखिये।

(श्री अध्यक्ष द्वारा सदस्य श्री श्याम सुन्दर शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री विजय मिश्र–

बस आखिरी लाइन है। बस एक मिनट मान्यवर। अभी अजय उर्फ लल्लू भैय्या कह रहे थे कि किसानों का कर्जा एक लाख माफ हो गया पूरा कर्ज क्यों नहीं किया। अरे गरीब से पूछिये जिसको 100, 200, 400 रुपया सब्जी के नहीं हैं। 1 लाख रुपया कम होता है। कहाँ से आयेगा यह आप नहीं बता रहे। कहाँ से सरकार देगी?

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त कीजिये। हमने श्याम सुन्दर शर्मा जी को बुला लिया है।

श्री विजय मिश्र–

मान्यवर, जनवरी में एक–एक लाख रुपया शराब की दुकानों का सात हजार करोड़ रिन्युवल का ले लिया गया कि दुकान का रिनीवल करेंगे। बताइये लिया गया कि नहीं? छोटे–छोटे दुकानदार जिनकी बिक्री दो हजार रुपये है उनसे भी रुपया ले लिया

गया जनवरी में। शराब वाले कहते हैं कि अब हमारा क्या होगा अब तो दुकान हट गई सुप्रीम कोर्ट से हट गयी। हमने कहा कि दुकान बन्द करो। दूसरा कारोबार करो।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया आप बैठिये विजय मिश्रा जी।

श्री विजय मिश्र–

ठीक है कोटि–कोटि प्रणाम।

'श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

अध्यक्ष जी, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ, पर बड़ी देर कर दी बुलाते–बुलाते और उसमें मुर्गा की तीसरी टॉग आ गयी विजय मिश्रा जी।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, वह माननीय विधायक हैं आप उनको मुर्गा की टॉग नहीं कह सकते। यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

हम जान गये इनके मन की। मिश्रा जी, यह फुंल्कादार करेंगे। इनका भाषण से समर्थन से लग गया।

श्री अध्यक्ष–

समर्थन तो आप भी करने वाले हैं।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

कुछ संसोधनों के साथा। अध्यक्ष जी, मैं आपके सम्यक् विचारधारा का समर्थक हूँ और हमें उम्मीद भी है कि पूरे पांच वर्ष हमें आपका आर्शीवाद, जो कभी–कभी हमारे नेता विरोधी दल कह देते हैं उधर से ज्यादा ध्यान इधर। यह हमारा अग्रह है। यह राज्यपाल का अभिभाषण है अध्यक्ष जी, और यह हम सब जानते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, जो गोल है, जो सरकार की प्रतिबद्धता है, जो सरकार की वचनबद्धता है, वह सम्प्रभुता से लेकर, रचना से लेकर, निर्माण से लेकर, विकास से लेकर प्रदेश की सम्पन्नता की झलक उसमें दिखाई देती है। हम यह भी मानते है कि निश्चित रूप से नई सरकार का सोच भी इसमें कान्स्ट्रेक्टिव रचनात्मक होगा। लेकिन यहां चर्चा कुछ उससे अलग भी जा रही है। अब अलग कोई तो कह रहा है हम मोदी जी के विजन से काम करते है कोई कह रहा था देवी–देवता की सरकार आ गयी है। नेता विरोधी दल कह रहे थे कि वह देवलोक से उतर पड़े हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ हम जब अखबार में पढ़ते है और देखते है कि आज 6 हजार करोड़ रुपया गोरखपुर के लिए दे दिया गया, चीनी मिल वहां की शुरू हो गई, किसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन्ड्रस्टी के लिए दिया गया तो ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें बार–बार यह चर्चा आ रही है कि यह पचास साल के लिए चले जाएंगे, सौ साल के लिए चले जायेंगे, अब हम कुछ बोलें तो तुम बोलने नही दोगे, क्योंकि संख्या बल ज्यादा है तुम्हारा, लेकिन संख्या बल पर कभी घमंड मत करों, (किसी माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) मुझे कहने दीजिए, मैं आलोचना नहीं कर रहा मुझे कहने दीजिए क्यों परेशान हो रहे हो, समालोचना करने का हमें अधिकार है। समालोचना की दृष्टि से मैं इसलिए कह रहा हूं लेकिन अच्छी बात है जो व्यक्ति जहां से चुनकर आता है जन्मभूमि हो, कर्मभूमि हो, कहते है–जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हर आदमी की प्रतिबद्धता, वचनबद्धता

होती है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूं लेकिन अब यह सोच बना लेना कि इतने साल के लिए चले गए, जब दूसरे का अनुसरण कर रहे हो उदाहरण दे रहे हो कि तुमने यह किया था, उन्होंने किया, उन्होंने सजा पा ली, अब तुम करोगे तो तुम भी सजा पाओगे, इसलिए हम तो आग्रह कर रहे है तुमसे मत करना, लेकिन तुम यह कह रहे हो कि हेराफेरी कर रहे हो, तो तुम देवी देवता नहीं भगवान विष्णु से भी बड़े बन रहे हो, भगवान विष्णु ने कहा कि समुन्द्र का मंथन होगा और अमुत बंटेगा, बांटने की जिम्मेदारी भगवान विष्णु को मिली, भगवान विष्णु ने कहा अमृत तो बंटेगा लकिन मात्र देवताओं में बंटेगा और तुम जो बांट रहे हो तुम अपने–अपने क्षेत्रों में बांट रहे हो, वह कह रहे हैं पिछली सरकार ने इतने हैण्डपम्प दिए, इतनी सड़कें दी, उससे पिछली सरकार ने यह दिया, 15 जून तक पूरी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की तुमने कसम खाई या डिक्लरेशन किया या घोषणा की, इस प्रदेश की विधान सभा में इतने बैठे हुए साथी है एक भी कोई बता दे जिससे कोई सूची मांगी हो या यह तय किया होगा कि आपको देना होगा।

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा हाथ उठाकर मांगी गई की आवाजें)

श्री अध्यक्ष–

शर्मा जी, आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

अब मैं इसलिए तो कह रहा हूं आपसे, उधर से हाथ उठ गए और इधर से हाथ उठे नहीं तो बताओ तुम भगवान विष्णु से बड़े हुए या नहीं यह और बता दो, मैं इसलिए कह रहा हूं, (किसी मा0 सदस्य के कुछ कहने पर) हमें बहुत दिखाई देता है, हमें इतना दिखाई देता है जितना आपको दिखाई नहीं देता इसलिए बात मत करों। (शोर) इसलिए मैं आग्रह कर रहा था ऐसा काम मत करो कि–

अर्ध भोजन वृद्ध गाय, दाता दे नरक को जाय।

ऐसा काम क्यों करते है। आज बड़ी कानून व्यवस्था पर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक पोथनी बना ली, हिम्मत है तो पकड़कर दिखाओ (शोर) आप फ्री हैं एक्शन लेने के लिए, सरकार आपकी है आपकी जिम्मेदारी है कार्यवाही करने की, आपको कौन रोक रहा है। यह आंकड़े दो तीन जिलों के थे दो तीन जिलों के आंकड़े हम अगर दे दें तो राम गोबिन्द चौधरी से ज्यादा पोथन्ना पढ़ देंगे। हम ईमानदारी के साथ कह रहे हैं। दुर्भाग्य हमारा यह हो रहा है कि अगर यही कानून का राज है यह बात मान सकते है कि अभी आपको दो महीने हुआ है यह मान सकते हैं यही अगर कानून का राज है हम एक अधिकारी के पास गये थे उसका पी0ए0 था खरे अधिकारी ने उससे कहा कि आपको विधायक जी का काम करना है। खरे बोला विधायक जी पांच मिनट रुक जाओ एक घण्टा बिता दिया दूसरी बार उसने फिर कहा कि पांच मिनट लेकिन इस बार उसने तीन घण्टा बिता दिया हमसे पूछा तक नहीं वह अधिकारी आए हमसे बोला कि पंडित जी आपका काम हुआ हमने कहा काम तो इसने किया नहीं क्या यह लखनऊ का खरे है तो लखनऊ में जब खरे ऐसे हैं तो खोटे कैसे होंगे ताज्जुब इस बात को हो रहा है जब यह दो महीने का कानून का राज है अध्यक्ष जी हम सिर्फ आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि यह चिन्तन का मंथन का और कन्क्लूजन का प्वाइंट है। इसको आलोचना तो मत लो समालोचनात्मक रूप से लो। दो महीने में ग्राफ बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है। मैं लिखित

में दे सकता हूं कि मथुरा जिलो में यह दो महीने मे जितना ग्राफ बढ़ा है इतना 10 साल में कभी नहीं बढ़ा यह मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं।

(सत्ता पक्ष की ओर से कुछ सदस्यों द्वारा रामवृक्ष यादव का उल्लेख करने पर)

मैं रामवृक्ष वाला नही हूं यह बात रामवृक्ष वालों से कहिए। हम तो आन्दोलन भी किए थे आपके ऐसे बात करने से क्या फायदा। रामवृक्ष वाली बात हमसे मत कहिए हमने तो खिलाफ में आन्दोलन किया था।

श्री अध्यक्ष–

रामवृक्ष वाली बात का इससे क्या मतलब।

श्री श्यामसुन्दर शर्मा–

इस समय परीक्षण करने की आवश्यकता है आप बड़े रामराज की बात कर रहे हैं राम राज में परिभाषा परिभाषित कर रहे हैं कि कोई भूखा नही रहेगा कोई नंगा न रहेगा कोई प्यासा न रहेगा। मेरा केवल मसविरा है मानेंगे तो यह नहीं अगर मान लेंगे तो इन्हीं का कल्याण होगा। इससे बड़ी गर्मी कभी पड़ नहीं सकती है। गर्मी का टेम्परेचर जो इस समय हो रहा है 45 से 46 परसेंट टेम्परेचर क्या इस समय नहीं चल रहा है। इसमें भी सत्ता पक्ष के लोग कमेंट करेंगे। अध्यक्ष जी मैं आपसे इतना आग्रह कर रहा हूं हमारी बात यह माने न माने लेकिन आपकी कीर्तन मण्डली है इसी की बात मानें इसी के कहने से लगवा दें। हैण्ड पम्प या रीबोर किसी के कहने से लगाओ तो सही आप विरोधी से मत पूछें हमसे मत पूछें लेकिन किसी के कहने से लगवाइए। अगर इस गर्मी में आप नहीं लगवाएंगे तो फिर लगवायेंगे कब ?

(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा हैण्ड पम्प लग रहे हैं की आवाज लगाने पर)

अगर एक भी लगा हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप लोग गलत बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आसन की ओर देखकर अपनी बात रखें। अब कन्क्लूड करिए।

श्री श्यामसुन्दर शर्मा–

अध्यक्ष जी हम इन्हीं के फायदे की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि इनसे पूछकर लगाइए हमें मत पूछिए। अध्यक्ष जी यह बार–बार एजूकेशनल सिस्टम पर बात करते हैं हमने सिस्टम में चेंज कर दिया है हमने परिवर्तन कर दिया है। हम सेलेबस चेंज कर रहे है सेलेबस में क्या है भगवाकरण। सिलेबस मे क्या है किसी का तुष्टीकरण। मैं इसीलिये कह रहा हूं कि जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, जो शिक्षा में भगवाकरण की बात करते हैं, कुछ लोग तुष्टीकरण की बात करते है और कुछ लोग नकलीकरण की बात करते है। शिक्षा में भगवाकरण से काम चलेगा, न तुष्टीकरण से काम चलेगा और न ही नकलीकरण से काम चलेगा। काम चलेगा तो सिर्फ अक्लीकरण से काम चलेगा। इसके लिये कोई योजना बनाईये।

(सत्ता पक्ष के एक सदस्य द्वारा कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, आप कृपया शांत हो जाएं। आप मा0 शर्मा जी को बोलने दें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, अगर मा0 सदस्य महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे है तो क्या इतने सारे लोगों के बोलने का मतलब सरकार का जवाब मान लिया जाए। यह नयी परम्परा न डाली जाए। अब तो सदन में यह नयी परम्परा शुरू हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

यह नयी परम्परा नही है। आप कृपया शांत रहिये। मा0 शर्मा जी, आपने जो भगवाकरण कहा है यह किसी किताब में, किसी साहित्य में कहीं हो तो बताईये। मैं यहां पर आपसे जानना नहीं चाहता, हम आपसे अलग से सीख लेंगे, क्योंकि हम इसके बारे में जानते नहीं है और जो शब्द लोक व्यवहार में न हो उसका अर्थ समझ में नही आता। आप अपनी बात को कन्क्लूड करें।

श्री श्यामसुन्दर शर्मा–

मान्यवर, हम आपको अलग से दे देंगे। जहां तक इनकी विकास की प्रतिबद्धता है, हम कुछ करें न करें, लेकिन हमारे मथुरा–वृंदावन को उस कल्चर में ढाल लें कम से कम, इतना हम आग्रह करना चाहते हैं। चीनी मिल और जगहों पर चला दी हैं तो हमारी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लें कि छाता की चीनी मिल को भी चला दें। धन्यवाद।

'श्री नीलरतन सिंह पटेल 'नीलू'–

मा0 अध्यक्ष जी, सम्मानित सदन, मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस देश को अखण्ड भारत बनाने का काम सरदार बल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। उनके सपनों को लेकर के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी चल रहे है। सरदार बल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि किसी भी देश के विकास के लिये तीन चीजें जरूरी होती हैं, दौड़ता हुआ ट्रांसपोर्ट, बहता हुआ पानी और अंकुरित बीज और पूर्व में यशस्वी प्रधानमंत्री मा0 श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस पर अक्षरशः अमल करके इस देश में फोर लेन की सड़कों का प्रचलन शुरू किया था (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) और उसको इस देश और प्रदेश में अक्षरशः लागू करने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी कर रहे है। आज इस उत्तर प्रदेश में मा0 योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और निश्चित तौर पर इस सरकार के प्रति पूरे प्रदेश को भरोसा है कि इस प्रदेश में सर्वांगीण विकास की बातें होंगी और दो साल में इस उत्तर प्रदेश में जो बदलाव आया है निश्चित तौर पर इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र है। निश्चित तौर पर पूरे पांच साल में नहीं, बल्कि मात्र दो साल के अंदर इस उत्तर प्रदेश का नजारा बदला हुआ नजर आयेगा, क्योंकि पीछे जो बीता हुआ पन्द्रह साल है उसमें जिस तरीके से इस उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाने का काम किया गया है उसको सुधारने में कुछ समय जरूर लगेगा। निश्चित तौर पर दो महीने में जो यह बदलाव आया है वह बदलाव इस बात की तरफ इंगित कर रहा है कि 'सबका साथ, सबका विकास' जो नारा था। जो सर्वांगीण विकास का नारा है वह निश्चित तौर पर चरितार्थ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहूंगा। मै बनारस का रहने वाला हूं और बनारस वरूणा नदी और मां गंगा नदी के तट पर बसा

हुआ है। गंगा नदी के उद्धार के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा बड़ी–बड़ी योजनाायें चलाई जा रही है और उसका लाभ भी मिल रहा है, लेकिन वरूणा नदी के उत्थान के लिए पिछली सरकार के द्वारा जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया गया उसको हम, आप अच्छी तरीके से जानते है उसको बताने की जरूरत नहीं है। हम यह चाहते है कि वरूणा नदी के उद्धार के लिए हमारी सरकार जरूर पहल करे और जहां से वरूणा का उद्भव हुआ है अगर वहां से लेकर बनारस तक पूरे सिल्ट को अगर साफ कर दिया जाये तो निश्चित तौर पर वरूणा का उद्भव जहां इलाहाबाद में फूलपुर से हुआ है, वहां से अगर वाराणसी तक के सभी किसान लाभान्वित होने का काम करेंगे। उस सिल्ट को साफ करने के बाद जो बरसात का पानी वहां इकट्ठा होगा उससे तमाम उस क्षेत्र के किसानों का भला होगा। पिछली सरकारों के द्वारा मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा और खास तौर से माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूंगा कि गर्मी के समय में पशुओं के लिए और अस्त–व्यस्त जनजीवन को ठीक करने के लिए उसमें जो पानी छोड़ा जाता रहा है उसकी कीमत 20 रुपये लीटर से ऊपर की पड़ती रही है। आप अगर चाहेंगे तो इसका आंकड़ा आपको मिल जायेगा। तो अगर उस सिल्ट को वहां से हटा लिया जाये और उस नदी पर बरसात के पानी के लिए स्टाक डैम बना करके पानी को रोकने का काम किया जाये तो निश्चित तौर पर वरूणा का भी उद्धार हो जायेगा। और हम काशी के लोग भी धन्य हो जायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री सौरभ श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के लाये गये अभिभाषण प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसद दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदय ने शासन की विकासपरक नीति को प्रस्तुत किया है। उनके प्रति हम सभी हृदय से आभार व्यक्त करते है। मान्यवर, यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं सदन में काशी की जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं। काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। भोले बाबा की नगरी है, भगवान बुद्ध ने यहां प्रथम बार उपदेश दिया था और विश्व के सबसे सम्मानीय नेता हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र भी है। इस नाते मैं काश की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर पिछले पन्द्रह वर्षों में जो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, मूलभूत सुविधायें, इस क्षेत्र में काशी बहुत पिछड़ गई है। पेयजल की समस्या, सीवर की समस्या, सड़कों की समस्या, काशी में पिछले पन्द्रह वर्षों में जैसे जानबूझकर पैदा की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर पिछले तीन वर्षों में बहुत ध्यान दिया है इस हेतु उन्होंने काफी धन आवंटित किया है लेकिन पिछली प्रदेश सरकार की कृपा से जो धन दिल्ली से चला लखनऊ तक आया लेकिन काशी पहुंच नहीं सका। कई परियेजनाएं अधूरी रह गयी। वर्तमान प्रदेश सरकार में हम सभी की उम्मीद जगी है कि इस स्थिति में सुधार आएगा और केन्द्र सरकार ने जो धन काशी की परियोजनाओं के लिए आवंटित किया था वह काशी को मिल सकेगा। मान्यवर काशी शिक्षा का एक बड़ा केन्द्र है। तीन–तीन बड़े विश्वविद्यालय काशी में है और भी कई केन्द्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से उनके निर्देश से खुल रहे है। मेरा निवेदन है 2012 के नए परिसीमन के बाद काशी की कैंट विधानसभा में कोई भी सरकारी डिग्री कालेज, इण्टर कालेज नहीं है। इस

तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक सरकारी डिग्री कालेज, इण्टर कालेज काशी में खोला जाए। मान्यवर सरकार की नीति दिव्यांगों के साथ उचित मानवीय व्यवहार और उनके जीवन को स्थिरता और उन्हें रोजगार दिलाने की रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम बार आदरणीय मोदी जी ने उनके जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए कई काम किए है। मैं सरकार का ध्यान वाराणसी के कैट विधानसभा के सिघराबाद में स्थित दिव्यांग बच्चों के एक विद्यालय विमलचंद्र घोष की ओर दिलाना चाहता हूं जो पिछले 30–40 वर्षों से कुछ समाजसेवक द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस विद्यालय को यदि सरकार कुछ सहायता प्रादान करे तो सभी अर्थों में दिव्यांगों की बड़े तौर पर सेवा हो पाएगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी क्रम में मैं वाराणसी के भदौली वार्ड में स्थित मां आनन्दमयी अस्पताल के विकास तथा वहां के कर्मचारियों को उचित पारितौषिक दिलाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। मान्यवर, काशी की एक बड़ी समस्या बाढ़ की है। 2016 में काशी में बाढ़ का पानी नगरीय क्षेत्र में पहुंच गया मैंने माननीय नगर विकासमंत्री जी से अनुरोध किया है कि बाढ़ से काशी के नगरीय क्षेत्र को बचाने के कुछ उपाय है जो मैंने बताये हैं मुझे पूरा विश्वास है कि यह सरकार काशी के इन क्षेत्रों को बचाने का पूरा प्रयास करेगी। मान्यवर हमारी सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि पिछले 10–15 वर्षों के दौरान काशी की जो भी बड़ी परियोजनाएं हुई है रामनगर में जो पुल बन रहा है इसमें जो भी घोटाले हुए है सरकार इनकी किसी बड़ी एजेंसी से जांच कराए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभषण पर कोटि–कोटि आभार प्रकट करता हूं और प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सहेन्द्र सिंह रमाला राष्ट्रीय लोक दल।

'श्री सहेन्द्र सिंह रमाला–

आदरणीय अध्यक्ष जी और बहुत ही सम्मानित सदन इस बात की मैं बधाई देता हूं कि राष्ट्रीय लोक दल भारतीय जनता पार्टी ''सबका साथ सबका विकास'' की बात करती है। अभी मई के पहले सप्ताह की बात है भारतीय जनता पार्टी के मा0 मंत्री जी ने हरिद्वार में दौरा किया ओर जो बहुत ही पहले समय से किसान और मजदूरों के मसीहा इस देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम से वहां पर वी0आई0पी0 घाट था उसका नाम बदलकर शंकराचार्य घाट कर दिया इसके लिए मान्यवर अध्यक्ष जी से निवेदन है।

श्री धर्मपाल सिंह (सिंचाई मंत्री)–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा नाम लिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट आप रुक जायें मा0 मंत्री जी कुछ कहना चाहते है।

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो अपना विचार व्यक्त किया। यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि गर्मी के समय में अभी गंगा का पूजन करके और बहुत गाजे–बाजे के साथ करके और मान्यवर, गंगा में जल नहीं था, पक्षी, पशु सब व्याकुल थे। 2200 क्यूसिक जल हमने हरिद्वार से भीमगौड़ा बैराज से पूजन करके गंगा में छुड़वाया और वह इसी 10 तारीख तक हरिद्वार से कुंभ में इलाहाबाद पहुंच गया। और पूरे पानी की समस्या दूर हो गयी। हमने वहां वी0आई0पी0 घाट जहां लगा था। मान्यवर, माननीय योगी सरकार वी0 आई0 पी0 कल्चर को समाप्त कर रही है। तो वी0आई0पी0 घाट क्यों। वी0आई0पी0 घाट के स्थान पर शंकराचार्य घाट का नाम लिख दिया गया है और चौधरी चरण सिंह जी के नाम को जहां भी जैसा लिखा है उसको कुछ नहीं किया गया है। मा0 चरण सिंह जी सम्मानित नेता है। हम उनका सम्मान करते है। चौधरी चरण सिंह जी का नाम कहीं पर अलग नहीं हटाया गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सहेन्द्र सिंह रमाला–

मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि अगर आप वी0आई0पी0 कल्चर को समाप्त करना चाहते है तो सबसे पहले आपकी गाड़ी के आगे पीछे जो आपके गनमेन लेकर चलते है और आप इतनी सरकारी सुविधा लेकर जो वी0आई0पी0 कल्चर में रहते हैं पहले उसका त्याग करें। और मैं मानता हूं कि आप वी0आई0पी0 कल्चर को खत्म करना चाहते है। आपने देश के प्रधानमंत्री रहे एक ऐसे महापुरुष का नाम बदलना चाहते है मेरे पास उसका प्रूफ है। अखबारों में लगातार प्रकाशित हो रहा है। उसका मैं नही बल्कि पूरा मीडिया से आपको जानकारी मिल सकती है कि वह नाम चेंज किया। मान्यवर, इसी तरह से अगर हमारे प्रधानमंत्री का और हमारे महापुरुषों का अपमान होता रहे तो यह सबके साथ और सबके विकास की बात नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं छपरौली जिला बागपत से आता हूं। बागपत जिला में इस सीजन में 597 करोड़ रुपये का गन्ना की खरीद हुयी है। जिसके बदले में 240 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। जो कि सिर्फ 37 प्रतिशत है और 63 प्रतिशत का भुगतान अभी किया जाना बाकी है। जबकि एक किसान डीजल, खाद और हर चीज नगद खरीदता है। और उसका दो–दो साल भुगतान नहीं होता। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मिलकपुर में एस0बी0ई0सी0 शुगर मिल के लिए इस साल उसने गन्ना खरीदा 327 करोड़ का, एकमात्र 20 करोड़ का भुगतान किया। जो कि केवल 6 प्रतिशत है। आज वहां के किसानों को घर की जवान बेटियों की शादी कराने के लिए बच्चों के स्कूल की फीस देने के लिए आम जनजीवन की पूर्ति के लिए अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहूंगा कि किसानों की मदद करने के लिए जो आपकी सरकार ने जनता के बीच में वायदा किया था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करायेंगे। आप अपने उस वादे को पूरा करने का प्रयास करें। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

(श्री अध्यक्ष जी द्वारा श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, कांग्रेस के दल के लोग कल बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। मा0 पंकज गुप्ता जी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में सभी प्रकार की जनहित कल्याणकारी योजनाओं सहित विकास के कार्यक्रम है। विपक्ष को बोलने के लिए कुछ है ही नही इसलिए सारे के सारे, चाहे बसपा के नेता हो चाहे कांग्रेस के लोग हों सब कह रहे है आज नही बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे, उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नही मान्यवर।

(हंसी)

श्री उमा शंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कई मा0 सदस्यों के नाम विचाराधीन है। वह बैठे है अपनी बारी का इंतजार कर रहे है। मैं उप नेता हूं बैठा हूं।

श्री अध्यक्ष–

हमारे पास वह नाम है। मौर्या जी का ध्यान बी0एसी0पी0 की तरफ ज्यादा रहता है।

श्री अध्यक्ष–

पंकज गुप्ता जी आप बोलें।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ कहने पर)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अध्यक्ष जी, यह पुराने दिनों को याद करके चिंतित है। इसलिए सदन में बार–बार इस बात की चर्चा ला रहे है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मौर्या जी, नेता विरोधी दल के लिए चिंतित हों तो आ जाइये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने दो महीना पहले, जब यह सत्तापक्ष में थे, पांच साल तक लगातार जब मैं वहां पर बैठता था, नेता विरोधी दल की जगह पर तब यह अनुरोध करते थे कि आप इधर आइये, आप इधर आइये। जब मैं इधर आ गया तब इनको चिन्ता लग रही है और कह रहे है कि इधर आ आइये। अरे, आप किसी बात पर तो कायम रहिए। आपने जो कहा मैंने वही किया, आपने कहा इधर आइए, मैं इधर आ गया।

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय वरिष्ठ नेताओं से, वरिष्ठ विधायकों से जो एक बार से ज्यादा है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना वक्तव्य देते समय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के अंशों के समानान्तर बोलें, पक्ष में बोलें या विपक्ष में बोले। नए सदस्य उनसे सीख रहे है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो निर्देश अभी दिया है, आज की कार्यवाही निकलवा कर आप देख लीजिएगा, कुछ माननीय सदस्यों ने इससे बिल्कुल विपरीत

आचरण किया है। जिन लोगों ने इसके विपरीत आचरण किया है, उनकी कार्यवाही से वह बातें निकाल दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

बातें जो असंसदीय होगी, वह निकाल दी जायेंगी। यह बात मैं दो बार कह चुका हूं कि जो बातें असंसदीय होंगी, उन्हें निकाल देंगे। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वह असंसदीय हों, विषयान्तर हो सकता है। विधान सभा की कार्यवाही से असंसदीय और मानहारिकारक शब्द ही निकाले जाते है। हम चाहते है कि इस पर काफी लोग बोलें।

'श्री पंकज गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए सबसे पहले आपका आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। पिछले वर्षों से सदन की चर्चाओं को मैं सुनता रहा, देखता रहा, समझता रहा, उस आधार पर मैं एक बात तो स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जिस प्रकार से माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जो घटनाक्रम हमारे इस सदन में हुआ, निश्चित रूप से उसकी जितनी भी निन्दा की जाए, उतनी कम है और उस घटनाक्रम के होने के उपरान्त जिस प्रकार से उस घटनाक्रम का बचाव किया गया, वह उससे भी ज्यादा दुखद और उससे भी ज्यादा चिन्ता का विषय है। निश्चित रूप से हमारे समाज में तमाम प्रकार के लोग है, तमाम प्रकार के कर्म करने वाले लोग है, अच्छे भी कर्म, खराब भी कर्म। अभी भ्रष्टाचार की बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय कर रहे थे, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ शर्मा जी कह रहे थे, और तमाम लोग कह रहे थे, मैं उनको भी सुन रहा था। हमारे समाज में विसंगतियां है, निश्चित रूप स लेकिन इस सदन के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको दूर करने का प्रसास हम लोग करते आ रहे है। और करते रहेंगे। इस सदन में जिस प्रकार से प्रदेश सरकार की नीति और नीतियों के बारे में महामहिम राज्यपाल ने अपने विषय को रखा, उसे सुनने के बजाय, उन पर चर्चा करने के बजाय महामहिम राज्यपाल के ऊपर कतिपय घटना घटी, उस घटना की सबसे पहले हम लोगों को निन्दा करनी चाहिए और उसके सापेक्ष प्रयास यह करना चाहिए कि चर्चा के माध्यम से कुछ अच्छा हल निकाल सकें और समस्याओं का निदान कर सकें जिससे प्रदेश की जनता को, आम जनमानस को राहत मिल सके, सुकून मिल सके। बहुत सारे विषय हमारे बीच में आए, नेता प्रतिपक्ष, शर्मा जी और भी विरोधी दल के लोग बोल रहे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 'सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद',। कितने सालों से जिनके पास सरकारें थी, कितने सालों जिनके पास सत्ता थी, ये कांग्रेस, सपा, बसपा के सामने बैठे हुए लोक जो सत्ता चला रहे थे, वह चिकित्सा के बारे में बोल रहे थे, वह शिक्षा के बारे में बोल रहे थे, वह बिजली के बारे में बोल रहे थे, पानी के बारे में बोल रहे थे। जरा कल्पना कीजिए कि हमारे देश और प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था किस प्रकार की है कि हमारे देश की सबसे ताकतवर महिला, सोनिया गांधी जी, यदि वह बीमार होती है, इन 70 सालों की आजादी के इतिहास के बाद तो अपना इलाज हिन्दुस्तान में नहीं करा पाती, अमेरिका जाकर इलाज कराने का काम करती है लेकिन उत्तर प्रदेश और भारत में...

(समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के कुछ सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर विरोध में बोलने का प्रयास करने लगे) (व्यवधान)

मान्यवर, मेरी बाात सुन लीजिए, आपके विषय पर हम शान्त बैठे हुए थे। मैं आपको आइना दिखाना चाहता हँ। इन 70 सालों आपने इस देश पर राज करने का काम किया, आप तुलना करिए, आप हमारी 02 महीने की सरकार के ऊपर आक्षेप लगाते है। आप दो महीने की सरकार के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। इस देश की सबसे ताकतवर महिला अपना इलाज कराने के लिए विदेश में जाती हैं, हिन्दुस्तान में इन 70 सालों में कांग्रेस ने ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां अपना इलाज करा पायें, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने कहा कि सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें बहत्तर छेद।

श्री अजय कुमार लल्लू–

मा0 अध्यक्ष जी, आप पहले इनको यह बताइये कि सदन में कैसे अपनी बात को रखना है, मैं इतनी देर से सुन रहा हूं, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी भी है क्षमा चाहूंगा मैं आपसे। किसी ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर समर्थन में यह कहते हुए शब्द नहीं कहा, यह अलग विषय है, लेकिन महोदय किसी भी व्यक्ति पर जो इस सदन का सदस्य नहीं है और इस तरह से नाम लेकर लांच्छित करना यह गलत परम्परा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठिये, आप किसी सदस्य को बोलने नहीं देंगे क्या। आप पहले इनको बोल लेने दीजिए फिर आप क्या कहना चाहते है, हम सुनेंगे।

श्री पंकज गुप्ता–

लल्लू भइया बैठ जाइये, मैं दूसरे ढंग से बोलता हूं, दूसरे ढंग से आपकी समझ में भी आ जायेगा, काम भी हो जायेगा।

श्री अजय कुमार लल्लू–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उनका नाम कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

मैं भी आप से कह रहा हूं, आप बैठ जायें, मैं बाद में आपकी बात सुन लूंगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैं सादर अनुरोध के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरे खड़े होने पर भी खड़े हुए है, नियमावली पढ़ा रहे है आप। मैं कह रहा हूं कि उनका भाषण समाप्त हो जाय थोड़ा रह गया है, उसके बाद हम आपकी बात सुन लेंगे, आप जबरदस्ती करते है, आप वरिष्ठ है आपको क्या लगता है कि आप लगातार टकराव कर के कोई अच्छा विषय निकाल लेंगे। उनके बाद जो आपकी आपत्ति होगी मैं सुनूंगा।

श्री पंकज गुप्ता–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नेता कांग्रेस जी से बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप उनको न बताइये। आप अभिभाषण पर बोलिये।

श्री पंकज गुप्ता–

मान्यवर, मैं चिकित्सा का विषय रख रहा था, मैं दूसरे ढंग से इस विषय को रखता हूं कि जो बहुत सालों तक इस प्रदेश में और देश की सत्ता में लोग रहे, सरकारें रही, शायद इस तरीके की चिकित्सा व्यवस्था या चिकित्सा पद्धति अपने प्रदेश और देश में लागू नहीं कर पाये जिससे वह स्वयं अपना इलाज हमारे प्रदेश और देश में करा पाते, विदेशों में जाकर वह अपना इलाज कराने की व्यवस्था प्रदान करते रहे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, अब किसी को पीड़ा भी नहीं होनी चाहिए। अभी वर्तमान में मैने किसी का नाम नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष–

नाम इसी सदन में लिया था न कि बाहर इलाज कराना पड़ता है, इस देश में चिकित्सा व्यवस्था उचित नहीं है इसलिए कुछ लोगों को, उनका नाम लिया। उनके बारे में कोई अभद्र टिप्पणी या कोई अभद्र बात हुई होगी तो हम देख लेंगे, ऐसा लेकिन हुआ नहीं, मैंने नही सुना।

श्री पंकज गुप्ता–

मान्यवर, एक स्वागत योग्य बात यह है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से प्रतीत होता है कि वर्तमान में ओर आने वाले समय में हमारे प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था लगातार सुघरने की ओर प्रगति कर रही है। आज आप किसी भी अस्पताल में जाइये, दवाओं का कोई टोटा आपको नहीं दिखाई देगा, अस्पताल में डाक्टर भी बैठे हुए दिखाई देते हैं, अब मरीजों का आराम से इलाज हो रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिखाई देती है, वहीं संसाधन, सीमित संसाधन और उनमें व्यवस्था दुरुस्त कर के एक निश्चित रूप से सामान्य व्यवस्था प्रदान करने का काम आज हमारी सरकार कर रही है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मा0 मुख्यमंत्री जी का कि इस प्रकार से व्यवस्था प्रदान की जा रही है। बहुत सारे विषय हमारे सामने थे, सड़क का विषय आया हमारे बीच में, हमारे बीच में जब सड़क का विषय आता है तो मन में एक भाव आता है कि आज हमको गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। नियम समय से हर सड़क की निश्चित तिथि है एक अवधि है कि इसको रिन्यूवल करना पड़ता है, एकदम से गड्ढा मुक्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ? क्योंकि उसके पीछे जिन लोगों ने पिछली सरकारों में ठेकेदारी की उन्होंने सिर्फ अपनी जेबे भरने का काम किया शायद उतनी गुणवत्ता देने का काम नहीं किया कि उस नियत समय तक की वे सड़के चल पाती। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आाज वो लोग हम पर प्रश्न करने का काम कर रहे हैं जिन लोगों ने अपने द्वारा अपनी सरकारों में जिस प्रकार की कार्य पद्धति अपनाई है वह आप सबके सामने परिलक्षित है। मान्यवर, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना कोई आज की नहीं, 2008 की है और एक बार लखनऊ माननीय केन्द्रीय मंत्री पियूष गोयल जी आये थे, उन्होंने सदन में हम सबके सामने एक विषय रखा था कि 2012 से लेकर 2013 के बीच में मात्र उत्तर प्रदेश में पूरा धन आवंटन करने के बाद भी 3 गांव में विद्युतीकरण का काम हो गया। उस समय किसकी सरकार थी और उसके बाद 2013–14 के बीच में गांवों की संख्या शून्य

थी। जब 2014 में हमारे मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनती है तो उसके बाद एक साल के अन्दर 1600 गांव विद्युतीकरण होते हैं ओर बिजली के कामों में गति प्रदान होती है। इस प्रकार की व्यवस्था बिजली के क्षेत्र में हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। अभी पानी की बात चल रही थी। क्या इससे पहले ग्राम प्रधानों को कभी रिबोर कराने की व्यवस्था प्रदान की गयी थी ? अच्छी तरह से याद है जब हम लोग उस तरफ बैठा करते थे तो 100–100 रिबोर मांगने के लिए 100–100 हैण्डपम्प मांगने के लिए हम लोगों को पूरे सदन में 10–20 बार निवेदन करना पड़ता था और उसके बाद भी 5 साल में शायद 100 रिबोर या 100 हैण्डपम्प मिले हों। इसके अतिरिक्त माननीय विधायकगणों कभी हैण्ड पम्प नहीं मिले। आज छूट दे दी है माननीय योगी जी की सरकार ने कि जिस किसी को भी किसी गांव मे रिबोर चाहे जितने कराने हों, रिपेयर चाहे जितने कराने हो, ग्राम पंचायतों के खातों से एक–एक हैण्डपम्प रिबोर कराया जायेगा और एक–एक हैण्डपम्प रिपेयर कराने का काम किया जायेगा। किसानों की बात करते हैं हम लोग, किसानों के लिए क्या काम किया गया ? क्या यह आपसे छुपा है, आज हिन्दुस्तान के इतिहास में शायद किसी प्रदेश के द्वारा इतनी बड़ी कर्जा माफी आज तक नहीं की गयी होगी। माननीय अध्यक्ष जी इस प्रकार से जितने भी क्षेत्र है, चाहे नौजवानों का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं का क्षेत्र हो, मैं बहुत लम्बा समय नहीं लूंगा बस एक बात सूक्ष्म में कहना चाहता हूं कि इस दो महीने की सरकार ने यह साबित करके दिखा दिया है कि पिछली 70 सालों की जो परम्परा चली आ रही है उसको बदलकर उत्तर प्रदेश एक नई दिशा में बढ़ने को अग्रसर हो चुका है। उत्तर प्रदेश को बड़े–बड़े पिछली सरकारों ने वादे किये होंगे कि हम उत्तम प्रदेश बनाकर दिखा देंगे लेकिन इस प्रदेश की जनता की नब्ज को टटोलने का काम शायद उन सरकारों ने नहीं किया। जितने भी काम हुए उन कामों के सापेक्ष जब मतदान हुआ तो मतदान के माध्यम से कहा जा सकता है कि जनता ने भरोसा किया, एक मात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा किया इसको यहां पर स्थापित करके सरकार बनाने का काम किया। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं है, उन किसी का नाम रखकर टिप्पणी करना, यह परम्परा इस सदन की नही रही है और महोदय, इन्होंने जो कोड करके जो अभिभावना व्यक्त की वह बिल्कुल गलत है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी भी दूसरी जगह जाकर अपना अपना इलाज कराते है, मैं यह नहीं कहना चाहता लेकिन मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि उस शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रत्येक पैराग्राफ के बारे में यह बात बता रहा हूं, केवल इसी पैराग्राफ के बारे में नही कि अगर कही कोई अनुचित बात होगी तो वह नियमानुसार कार्यवाही का भाग नहीं होगी लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप जैसी जबरदस्ती कर रहे थे, चूंकि आप तो बहुत वरिष्ठ है, वैसी जबरदस्ती आपको नहीं करनी चाहिए। जो हमने बोला है यह कार्यवाही का भाग होगा इसको आप ध्यान रखिये।

'श्री प्रभु नारायण सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बल देने के लिए और आपने समय दिया मैं आपको धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी परसों जब महामहिम महोदय ने अभिभाषण को पढ़ा उसके बाद हम लोगों ने अभिभाषण को पढ़ने का काम किया। उससे पहले लग रहा था कि बहुत सारे वादे करके बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में एक सरकार का गठन हुआ है। उनके अभिभाषण को पढ़ने के बाद लगा, जिस तरह का अभिभाषण में वर्णन किया गया है जैसे सरकार बनने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज राज्य आ गया बिजली अबाध रूप से देने का काम दो महीने में सरकार ने कर दिया। यह हम लोगों ने दो महीनों में नहीं देखा, इस बात का पता नहीं लग पाया जबकि एक भी बिजली बनाने के कारखाने की शुरुआत करने का काम क्या उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने किया है ? उत्तर प्रदेश में एक भी नया विद्युत सब स्टेशन बनाने का काम नहीं हुआ। यह पूर्व की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने चुनाव से पूर्व ही इस उत्तर प्रदेश में 24 घण्टे जनपद को, 20 घण्टे तहसील मुख्यालय को, 18 घण्टे गांव को बिजली देने का इंतजाम किया था और आज वही है बल्कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो किसानों के ऊपर एक विपत्ति आई थी ओलावृष्टि के नाम पर उत्तर प्रदेश में जिसमें भारत की सरकार ने धन देने का वादा किया था लेकिन पैसा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने उस सारे पैसों का भुगतान किया। पैसा देने के बाद भी आज तक, आज भी किसानों के खाते में ओलावृष्टि का पैसा नहीं जा पाया है। अब पता कर लें, सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि चन्दौली जनपद जहां का मैं रहने वाला हूं, आप भी किसानों के खातों में पैसा नहीं आ पाया है। मैं आपसे यह मांग करता हूं कि कम से कम उस पैसे को किसानों के खाते में भिजवाने का काम करें। 2016–17 में जो बाढ़ आई थी किसानों के जानवर भी मरे थे, मकान भी गिरे थे और पशुओं की हानि हुई थी। एक सरकार ने पैसा दिया है लेकिन आज भी चन्दौली जनपद में एक तहसील सकलडीहा हुआ करती है जहां का 53 लाख रुपया आज भी गांव के लोगों का बाकी है लेकिन आज तक वहां के सम्बन्धित अधिकारी पैसा देने का काम नही कर रहे है। बहुत से पुराने काम चाहे वह सब स्टेशन हो, बन रहे थे, आज उन कामों को बन्द कर दिया गया। बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं चाहे समाजवादी पेंशन हो, चाहे तमाम ऐसे काम हों जिनको बन्द करने का काम किया गया है। आज कानून व्यवस्था के नाम पर बड़ी पीठ थपथपाई जा रही है। मैं चन्दौली जनपद का ही आपके उदाहरण देना चाहता हूं। जब से यह सरकार बनी है 19 मार्च से 10 मई तक हमारे जनपद में 32 घटनाएं हो चुकी है। इन 32 घटनाओं में 17 चोरी–छिनैती की घटनाएं हुई, 4 से 5 मर्डर हुए, 5 छेड़खानी की घटना हुई। अभी एक मा0 विधायक बैठी थी, नेता विरोधी दल चर्चा कर रहे थे कि उनसे 10 लाख की फिरौती मांगने का काम हुआ, मुकदमा भी दर्ज हुआ। यह कानून का राज है। एक घटना ऐसी हुई चन्दौली जनपद के धीना थाने के अन्तर्गत एक माधोपुर गांव है। माधोपुर गांव में एक रिया नाम की लड़की थी जिससे कुछ लोगों ने छेड़छाड़ करने का काम किया था और उसके पिता जब थाने पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गए तो आजकल एक नया फैशन चल चुका है, उस नई वेशभूषा में गमछा लगाए हुए कुछ लोग थाने पहुंच गए। उन लोगों ने पुलिस के लोगों पर दबाव के साथ ही उस लड़की के परिवार के ऊपर दबाव बनाने का काम किया कि इनकी रिपोर्ट न लिखी जाए। किसी तरह से रिपोर्ट लिखने का काम हुआ, उसके बाद इतनी दर्दनाक घटना हुई कि रिपोर्ट लिखने के बाद जो लड़की का एक ही भाई था, अपने बाप का अकेला बेटा था उसकी भी हत्या उसी दिन कर देने का काम हो गया। आज ऐसी घटनाएं चाहे मथुरा की हो, चाहे इलाहाबाद की हो। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहां इतनी बड़ी चोरी–डकैती तो कभी हम लोगों ने सुनी भी नहीं थी वहां 10 करोड़ की चोरी हुई। आज जहां चोरियां हो रही है बड़े–बड़े दुकानदार आज व्यापारी हो या आम आदमी हो जिस तरह से आज कानून का राज कायम है कि आम आदमी का आज सड़क पर निकलना दूभर हो गया है। इसलिए हम आपसे यह बात बताना चाहते है कि अभी आज भी माननीय नेता विरोधी दल जी ने कहा, एक हमारी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य नितिन अग्रवाल जी, जिन्होंने प्रश्नों के माध्यम से अपनी बात कहने का काम किया था। चाह रहे थे कि आपसे समय भी ले लें लेकिन किन्हीं कारणों से आपने समय नहीं दिया। जिस तरह की बातें आई हैं कि कैबिनेट में 31.03.16 तक का किसानों की कर्ज माफी की बात कही जाती है और महामहिम राज्यपाल के भाषण में 31.12.16 तक की बात कही जाती है। इसलिए जिस तरह का यह अभिभाषण है, कानून–व्यवस्था के नाम पर, विकास के नाम पर, गड्ढा मुक्ति के नाम पर माननीय अध्यक्ष जी मैं निश्चित जानकारी के अनुसार इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप पता लगा लें कि पूरी तरह से खनिज पर रोक लगी है। आज मौरंग हो, गिट्टी हो, बालू हो उसका रेट आसमान छू रहा है। टेण्डर निकाले जा रहे हैं। कोई ठेकेदार टेण्डर डालने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। हर जिले में आप पता कर लें मैं चन्दौली जनपद की बात करता हूं, जहां टेण्डर निकाले गए लेकिन ठेकेदार टेण्डर डालने के नाम पर नहीं जा रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है। यहां 10 रुपये का सामान 15 से 20 रुपये मिल रहा है, गिट्टी नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में यदि यह कहा जा रहा है कि हम गड्ढायुक्त कर देने का काम करेंगे। आपने पत्थर का इंतजाम नहीं किया, आपने गड्ढा भरने वाले सामानों के दाम को कम करने का काम नहीं किया यदि इस तरह से आप इस वादे को पूरा करने की बात कह रहे है तो पूरी तरह से ये हवा–हवाई वातें है। ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह का अभिभाषण सुना और जो बयान आया है जो वक्तव्य आया है उसको पूरा करने का यह सरकार काम करेगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय नेता विरोधी दल जी ने जो भी प्रस्ताव रखा है कटौती का मैं उस पर बल देता हूं। धन्यवाद।

'श्री रविन्द्रनाथ त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है। इसके लिए आपको बहुत–बहुत, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है, जहां हमारे किसान भाई खाद के लिए, बीजों के लिए लाठियां सहते थे। आज यही उत्तर प्रदेश का खुशहाल किसान अगर अपना अनाज गेहूं को लेकर क्रय–केन्द्रों पर जाता है तो 1625 रुपये के साथ 10 रुपये और अर्थात् 1635 रुपये का तत्काल भुगतान उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया है। माननीय नेता विरोधी दल बैठे हुए है। हमारे माननीय पारसनाथ यादव

जी भी बैठे हुए है। आप अभी मंदिर, मस्जिद की बात कर रहे थे। माननीय चौधरी जी से बताना चाहता हूं कि आपने तो कभी मंदिर, मस्जिद बनाने का नाम ही नही लिया और आज हम लोग जिस धरती से आते है, अगर आप मंदिर बनाते तो शायद यह नहीं करते कि मंदिर में अनुसूचित को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाने से रोका जाता है, मंदिर में मुस्लिम को जाने से रोका जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे हिन्दू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, वह मंदिरों में जाकर पूजा–पाठ करने का काम करता है। देखना है आपको तो आकर के देख लीजिएगा भदोही जनपद में माननीय मंत्री जी बैठे हुए है, मैंने भी मंदिर की स्थापना की है। उसमें आज चाहे अनुसूचित जाति के व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे किसी भी जात–बिरादरी के लोग हो, मुस्लिम समाज के लोग भी जहां जाने का काम करते है। मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए केवल दो महीने हुए हैं। मैं गांव से आता हूं, भदोही जनपद से आता हूं। दो महीने पहले जब मैं सड़कों से गुजरता था तो अंधेरा दिखाई देता था लेकिन आज जब मैं क्षेत्रों में जाता हूं तो इतना प्रकाश मिलता है, लाइटें दिखायी देती है कि आज शहर से भी ज्यादा गांव में बिजली मिल रही है। गांव में बिजली का प्रकाश यह साबित करता है कि आज गांव भी शहर के रूप में परिलक्षित है। जहां पर केवल दो महीने में भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 15 हजार किलोमीटर सड़क बनवाने का काम, रिन्यूअल करने का काम किया हैं। पहली बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जहां गरीबों का सपना हुआ करता था, जो झुग्गी–झोपड़ियों में लोग रहते थे जिनको आवास की आवश्यकता होती थी और पिछली सरकारों ने 70 वर्षों में जो पैसे का बंदरबाट करते थे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब उन गरीबों के खाते में कहीं किसी के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। 2011 की आर्थिक जनगणना के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधे–सीधे पैसा भेजने का काम उन लाभार्थियों के खाते में कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कालीन नगरी भदोही के क्षेत्र से आता हूं। हमारे यहां कालीन एक्सपोमार्ट का निर्माण किया गया। दो सौ करोड़ रुपये की लागत से निर्माण का काम जहां पर अभी तक केवल निर्माण कार्य 60 प्रतिशित पूरा है, हमारे माननीय मंत्री जी निरीक्षण करने के लिए गए थे उसको पूरा दिखा दिया गया है। भ्रष्टाचार उसमें चरम सीमा पर किया गया है। आज स्वच्छता अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगुवाई में 12 हजार रुपये सीधे–सीधे लाभार्थियों के खाते में शौचालय निर्माण के लिए भेजने का कार्य किया जा रहा है। मेरी सरकार पावर फॉर ऑल योजना के अंतर्गत हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए 2018 तक का समय निर्धारित किया है। निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि 2018 तक प्रत्येक घर में बिजली पहुंचने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करने का काम करेगी। मेरी सरकार किसानों की खेती के लिए नए तौर–तरीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 नए कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का काम करने का काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में किसानों के कर्ज, जो लघु सीमांत

किसान है, उनके कर्ज माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था को अगर आप देखें तो दो महीने के पहले पूरे उत्तर प्रदेश में गुण्डाराज, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था लेकिन आज अगर उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है और निश्चित रूप से आज जो किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान की बात आ रही थी दो महीने के अंदर किसानों के दो ऐतिहासिक गन्ना मूल्य का जो बकाया था उसका भुगतान करने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है । बूचड़खाने की बात आ रही थी।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री रविन्द्रनाथ त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, केवल यह बात कह कर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। बूचड़खानों को समाप्त करने की बात कही जा रही थी जहां पर भदोही में तमाम बूचड़खानों थे, आज जब हमारी सरकार ने उन बूचड़खानों को बंद करने का काम किया हे तो वहां पर मुस्लिम भाइयों ने सराहने का काम किया है और कहा है कि अगर इस गंदगी को समाप्त करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राजयपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का और धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में बोलने का अवसर दिया। जब परसों राज्यपाल जी का अभिभाषण हो रहा था तो हम लोगों के मन एक धारणा थी कि माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण कैसा होता है उसमें क्या–क्या विषय आते है लेकिन जब दृष्य सामने आया तो सिर्फ कागज के गोले, सीटियां और पटल के सामने सिर्फ खोपड़ी ही खोपड़ी दिखाई पड़ रही थी। माननीय राज्यपाल जी का एक अभिभाषण एक लाइन भी हम लोग सुन नहीं पाये। मेरे मन में भी यह व्यथा थी कि कोई न कोई इस संबंध में बोलेगा। जब कल हमारी पार्टी के नेता सदस्य, विधान सभा माननीय पंकज सिंह जी ने प्रस्ताव रखा तो मेरे मन में कुछ शांति हुई कि कहीं न कहीं सबके मन में यह विषय था जो राज्यपाल जी के अभिभाषण में जिस तरह से विपक्ष के लोगो ने अवरोध खड़ा किया। हम चूंकि सदन में पहली बार 238 विधायक चुनकर आये है और मैं भी छात्र राजनीति से संघर्ष के दौर से निकल कर आया हूं। अभी नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी जी काफी सम्मानित है कई वर्षों से विधान सभा के अन्दर है। आज सुबह भी जब माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी तो आपने कहा कि माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण संवैधानिक नहीं है मैं उस समय ही बोलना चाहता था लेकिन माननीय जैसा माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि नेता प्रतिपक्ष जब बोलेंगे तो उनको कोई टोकेगा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण को असंवैधानिक करार दे दिया तो परसों जो कृत्य आप लोग कर रहे थे क्या वह संवैधानिक दायरे में आता है यह मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अभी विपक्ष के लोग, 2 महीने सरकार के नही हुए है विपक्ष के लोग चर्चा

करते है कि सड़कों पर आप क्या कर रहे है। नहरों में पानी के लिए क्या कर रहे है बिजली के बारे में कौन सी तैयारी कर रहे है बड़ा हास्यापद लगता है। अभी दो महीना मात्र बीते है और सारी योजनायें आपकी ही अभी चल रही है तो वह पूरी क्यों नहीं हो पाई यह आपको बताना चाहिए। आपका प्रस्ताव रखने का कोई उद्देश्य नहीं बनता है कि आप सत्तापक्ष से अभी तत्काल यह पूछे सड़कों के बारे में कि गड्ढा कैसे हो गये। यह गड्ढे आपके द्वारा किये गये है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी ने यह संज्ञान लिया कि सारी सड़के प्रदेश की गड्ढामुक्त की जायें। यह एक बहुत बड़ा अभियान है मैं इसकी सराहना करता हूं। एक विषय की और चर्चा करता हूं क्योंकि समय कम है मुझे मालुम है कि माननीय अध्यक्ष जी अभी कह देंगे कि अपने शब्दों को कम कीजिए। एक विषय जो हम लोग गांव देहात से राजनीति करके आते है रायबरेली की सरैनी विधान सभा से और इस समय गर्मी प्रचण्ड पड़ रही है। सरकार ने जो फैसला बिजली विभाग के बारे में लिया है कि ट्रांसफारमर 48 घण्टे के अन्दर निःशुल्क बदल दिये जायेंगे यह शायद इतिहास में पहली बार हुआ है। जब भी हम गांव के अंदर जाते थे तो सबसे बड़ी समस्या ट्रांसफारमर फुंक जाने की आती थी। पहले होता यह था कि जब ट्रांसफारमर फुंक जाता था तो पूरे गांव से चन्दा होता था और 15 दिन में ट्रांसफारमर बदल पाता था। लेकिन हमारी सरकार ने एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्पष्ट नीति दी कि 48 घन्टे के अंदर निःशुल्क ट्रांसफारमर बदला जायेगा, कोई किराया किसी जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा, यह सबसे बड़ा सराहनीय कदम है।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर–व्यवधान)

अब आप लोग जरा शान्त रहें और सुन लें। आपकी बात बहुत सुनी जाती है हम लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं इसलिये दायरे में रहना है अन्यथा जिस तरह की भाषा आप लोग बोलते हैं, हमारा नेता सदन बोल रहा हो, चाहे जो बोल रहा हो, हम लोग चुपचाप सुनते रहते हैं। चुपचाप सुनने को कायरता नही समझना चाहिये। हम लोग भी आपकी बातों का जवाब दे सकते है। सिर्फ तेज–तेज बोलना और हर समय कमी निकालना और सत्ता पक्ष के खिलाफ हमेशा गलत आचरण रखना, क्या विपक्ष की यही काम बचा है। मैं विपक्ष के लागों से कहना चाहता हूं कि हम लोग भी छात्र राजनीति से निकलकर आये है, बड़े–बड़े सम्मेलन हम लोग कराते थे, तमाम विश्वविद्यालयों के नेता वहां पर उपस्थित होते थे, सबकी अपनी–अपनी राय होती थी, एजेन्डा बनता था, उस पर सहयोग करके हम लोग काम करते थे। आज मैं समझता था कि सदन में मैं जाऊंगा तो ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा लेकिन जैसा दृश्य यहां देखने को मिला उससे मैं निश्चित तौर पर अन्दर से क्षुब्ध हुआ। लेकिन माननीय पंकज सिंह जी ने इस विषय को यहां पर रखा और उस पर चर्चा हुयी। चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता टोक रहे थे, कांग्रेस के वह नेता आज भी बोल रहे थे उनके द्वारा बिना सबूत के भारतीय जनता पार्टी पर इतना बड़ा आरोप लगा देना और उसके बाद क्षमा मांगने के लिये डेढ़ घन्टा तक सदन के हर एक व्यक्ति चिल्लाते रहे लेकिन उन्होंने सदन के अंदर क्षमा नहीं मांगी, यह बहुत ही चिन्तनीय और अशोभनीय बात है। मैं फिर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के संबंध में कहना चाहूंगा कि हमारे जनपद रायबरेली की सरेनी विधानसभा में और तमाम विधान सभाओं में नहरों में पानी नही है, नहरें सूखी पड़ी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, तब से नहरों में पानी नहीं है समाजवादी पार्टी के

लोग कह रहे थे कि नहरों में पानी बह रहा था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस नहर में पानी चल रहा था वह जरा बताने का कष्ट हमको करें। माननीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र उन्नाव मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगा हुआ है, यह मेरा सौभाग्य है और वहां भी नहरों में पानी नहीं है। इस संबंध में मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी कई बार चर्चा कर चुका हूं, निवेदन कर चुका हूं, माननीय धर्मपाल सिंह जी, सिंचाई मंत्री उनसे निवेदन कर चुका हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपना निवेदन दे चुका हूं और सब जगह से आश्वासन मिला है कि सिंचाई के लिये नहरों में पानी आयेगा और किसानों की कल्याणकारी योजनायें पूरी की जायेंगी। मैं इसी के साथ एक मिनट और लेते हुये अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं आदरणीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में बोल रहा हूं मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के संबंध में अभी तमाम योजनायें लागू हुयी । किसानों के लिये गेंहू के क्रय केन्द्र खोले गये, गेहूं के क्रय केन्द्र इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में कभी नहीं खोले गये। लगभग पांच हजार क्रय केन्द्र किसानों के लिये हमारी सरकार द्वारा खोले गये। यह किसानों के लिये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को और जो सरकार की नीतियां है उनका समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री अध्यक्ष–

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

ख5.20, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 51 की सूचनाए लेता हूँ। जो मा0 सदस्य अनुपस्थित है उनके स्थान पर उपस्थित मा0 सदस्यों को लाभ मिलना चाहिए। जिनकी सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत है उनको कम से कम सदन में उपस्थित रहना चाहिए।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जब नियम 51 की सूचनाएं आती हैं तो सभी मा0 सदस्यों को वक्तव्य की कापी मिलती है और कभी–कभी मा0 सदस्य उस पर अनुपूरक पूछते है।

अध्यक्ष–

वक्तव्य तो अभी आये ही नहीं है, अभी तो हम इन सूचनाओं को वक्तव्य हेतु स्वीकृत कर रहे हैं। हमने दो–तीन दिन में सूचनाओं को स्वीकृत किया है वक्तव्य आ जायेंगे तब आप उन पर प्रश्न पूछ सकते है।

आज दिनांक 17–5–2017 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनाएं प्राप्त हुई।

पहली सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद उन्नाव सदर में नगर निगम का गठन किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जनपद प्रतापगढ़ के टाउन एरिया लालगंज अझारा में राष्ट्रीय राजमार्ग 231 पर अधूरे ट्रामा सेंटर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर में इल्तिफातगंज से अकबरपुर तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री ज्ञान तिवारी की जनपद सीतापुर में राशन कार्ड बनाने में हुई धांधली जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा पांचवी सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र में राजकीय डिग्री कॉलेज खुलवाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित

कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में विद्युत विभाग द्वारा की जारी अनियमितताओं के सम्बन्ध में तथा आठवीं सूचना श्री ओंकार सिंह यादव की जनपद बदायूं के ग्राम नाधा दफ्तोरी और बिनावर को ब्लांक बनाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवी सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद जौनपुर में सम्बद्ध सभी बी0ए0 के कॉलेजों में बी0टी0सी0, जे0टी0सी0, सी0टी0 के समकक्ष डिग्रीधारकों को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में है तथा दसवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों के बावजूद जनपद अमेठी में शिक्षकों से अतिरिक्त कार्य लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीः–

श्री रविन्द्र जायसवाल, श्री दलवीर सिंह, श्री मनीष असीजा, श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट', श्री राजीव कुमार सिंह, डा0 मुकेश वर्मा, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री महबूब अली, श्री रफीक अंसारी, श्री नाहिद हसन, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री हरगोविन्द भार्गव, श्री आजाद अरिमर्दन, श्री राम अचल राजभर, श्री रितेश पाण्डेय, श्री अनिल सिंह, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, डा0 संगीता बलवंत, श्री ममतेश शाक्य, श्री संजय गर्ग, श्री कुलदीप सिंह सेंगर व श्री रोशन लाल वर्मा।

अब हम कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊः
दिनांक 17 मई, 2017

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–169 विधान सभा–18.10.2017–813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।